

C O N T E N T S**Seventeenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2021/1942 (Saka)****No.20 Friday, March 19, 2021/Phalguna 28, 1942 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 341 to 346	9-36
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 347 to 360	37-95
Unstarred Question Nos. 3911 to 4140	96-664

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	665-710
MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA	711
COMMITTEE ON ESTIMATES 9 th Report	712
STANDING COMMITTEE ON ENERGY 8 th to 17 th Reports	713-714
STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 9 th to 12 th Reports	715
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES Statement	716
STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 129 th Report	716
STATEMENT CORRECTING REPLY GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 4356 DATED 13.12.2019 REGARDING 'CABLE DIGITIZATION' ALONGWITH REASONS FOR DELAY Shri Prakash Javadekar	717-723

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 328th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology.

Dr. Harsh Vardhan

724

BUSINESS OF THE HOUSE

725-726

MATTER UNDER RULE 377

Regarding sanctioning of a Jawahar Navodaya Vidyalaya in Araku Parliamentary Constituency

Kumari Goddeti Madhavi

727-728

**MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY
(AMENDMENT) BILL, 2020**

729-731

Amendments Made By Rajya Sabha

729

Motion to Consider

729

Amendments Agreed to

731

**MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2021**

733-831

Motion to Consider

733

Shri Pralhad Joshi

733-744,
821-827

Shri Vincent H. Pala

745-748

Shri Sunil Kumar Singh

749-756

Shri N. Reddeppa	757-760
Shri Vinayak Bhaurao Raut	761-763
Shri Pinaki Misra	764-769
Shri Ramshiromani Verma	770-771
Shri Nama Nageswara Rao	772-774
Shri Sunil Dattatray Tatkare	775-777
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	778-785
Shri C. P.Joshi	786-789
Shri Sunil Kumar Pintu	790-793
Shri Arun Sao	793-795
Prof. Sougata Ray	796-799
Dr. Bharati Pravin Pawar	800-802
Shri Hanuman Beniwal	803-807
Er. Bishweswar Tudu	808-810
Shri Bhagwant Mann	811-812
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	813-815
Shri Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar	816-817
Shri Ritesh Pandey	818-819
Shri Sanjay Seth	819-820
Clauses 2 to 21 and Clause 1	828-831
Motion to Pass	831

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES)**ORDER (AMENDMENT) BILL, 2021**

833-894

Motion to Consider

833

Shri Thaawar Chand Gehlot

833-834,
886-893

Shri Gurjeet Singh Aujla

835-838

Sushri Sunita Duggal

839-845

Kumari Goddeti Madhavi

846-849

Shri Rahul Ramesh Shewale

850-851

Shri Vijay Kumar

852-854

Shri Girish Chandra

855-856

Shri Ramulu Pothuganti

857-861

Shri Sunil Dattatray Tatkare

862-864

Dr. Umesh G. Jadav

865-868

Dr. Amar Singh

869-871

Dr. Virendra Kumar

872-876

Shri Syed Imtiaz Jaleel

877-879

Prof. Rita Bahuguna Joshi

880-885

Clauses 2 and 1

893

Motion to Pass

894

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION**RE: WELFARE MEASURES FOR ANGANDWADI****WORKERS AND ANGANWADI HELPERS**

895-902

Shri Jagdambika Pal

896-902

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	851
Member-wise Index to Unstarred Questions	852-858

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	859
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	860

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 19, 2021/Phalguna 28, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. CHAIRPERSON: Now, Question Hour – Question No.341

Shri Thirunavukkarasar- Not present.

(Q. 341)

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab ji.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Thank you, Madam. The cotton textile industry has to import extra-long staple cotton, organic cotton and contamination free cotton to the tune of 10 to 12 lakh bales per year. India produces just three per cent of its consumption and has to import the deficit to meet the demands of the global customers and also the domestic market. As there is a duty enforced now or going to be enforced on cotton, it is going to be a direct blow to downstream industries, especially, the market that India enjoys relating to cotton fabric and that too bedsheets.

I would like to understand from the Government what step is being taken to, at least, ease this problem which the industry is facing or going to face.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam, through you, I would like to highlight it to the hon. Member that under the Cotton Corporation of India, the Government of India, Ministry of Textiles, conducts the MSP operation wherein if you look at the outreach to farmers and support with regard to cotton production, in the year 2013-14, if I just give a comparative data to last year, only Rs. 90 crore worth of MSP operation was done in the country. Under the Narendra Modi Government, last year, if you include, we had an MSP operation of over Rs. 28,000 crore. I have a figure of MSP operations of this

year of upto Rs. 26,000 crore. In our engagement with farmers, we have ensured that issues of contamination-free picking of cotton are undertaken. In collaboration with industry, we have ensured that cotton picking machines, the hand-held devices, are given, specially, to small and marginal farmers. Additionally, in collaboration with industry, we have seen many experiments being undertaken by farm and industry together where extra-long staple cotton is grown. We are also ensuring that productivity per acreage or hectare of land increases thereby benefitting both, farm and industry.

So far as the duty imposed is concerned, that is a subject related to the Finance Ministry. The industries stakeholders' meetings and all the industry inputs have been forwarded to the Finance Ministry and the Commerce Ministry.

श्री गुरजीत सिंह औजला : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। I would like to know the details of schemes being proposed to be implemented by the Government to promote the textile sector. अमृतसर के बार्डर डिस्ट्रिक्ट में टैक्सटाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। ओसीएम, प्रताप मिल, एसमा जैसे कई बड़े यूनिट थे, जो कि वर्ष 1984 के बाद यहां से शिफ्ट हो गए। यहां टैक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 120 यूनिट थे, अब वह कम होकर 15-16 रह गए हैं। सूरत और मुम्बई से भी ज्यादा प्रिंसिपल मानी जाने वाली इंडस्ट्री अमृतसर में थी। अब सारी इंडस्ट्री यहां से जा चुकी है, इस कारण बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल बस टर्मिनल भी है। यहां से हिमाचल और जम्मू-कश्मीर तक रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से प्रश्न है कि आप जो स्कीम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बना रहे हैं, क्या अमृतसर के लिए कोई स्कीम दे सकते हैं?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam, through you, I would like to highlight it to the hon. Member that, yes, India has a very vibrant textile potential and a vibrant textile legacy. However, one of the greatest challenges, my Ministry had to face, was that a decade in our country's governance is maintained wherein over 40 per cent to 50 per cent schemes, that were pronounced by the Textile Ministry, were surrendered. Though the hon. Member is from that political organisation, I am not casting aspersion on his kind self. But over a decade, the industry, at large, was bereft of that financial support; hence, a large segment of the industry was hit in that decade.

Additionally, Madam, we also need to recognise here that policies and industry interventions were ably and meant to be supported by statistics and by data, but the data accumulation capacity of the Textile Commissioner's Office was also seized in that one decade of UPA governance. We have now engaged, through the Textile Commissioner's Office, with industry partners across the country. Though the hon. Member speaks of Amritsar, here, I must tell him that any industry, be it a big company or an MSME, comes forward with a particular proposal for support in terms of technical upgradation or for that matter, subsidy support of other kinds, including building of work shed is ably supported depending on the proposal given by that industry representative.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी अवगत होंगी कि एक समय था, एक जमाना था, जब भागलपुर का सिल्क पूरी दुनिया में विख्यात था। पूरी दुनिया में भागलपुर के सिल्क का निर्यात इतने बड़े पैमाने पर होता था कि उसने पूरी मार्केट पर कब्जा किया हुआ था। आज की तारीख में भागलपुर की पूरी सिल्क इंडस्ट्री लगभग समाप्त हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी

से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या भागलपुर की सिल्क इंडस्ट्रीज को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए आप किसी योजना पर विचार करेंगी?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि भागलपुर सिल्क और डेवलपमेंट कमीशनर हैंडलूम का ऑफिस, इन दोनों के बीच में हमारे कई सांसदों द्वारा बार-बार उल्लेख करने के बाद हमने दोबारा इसमें काम करने का प्रयास किया। लेकिन, आज मार्केट के हालात ऐसे हैं, जहां पर फाइन सिल्क और फाइन सिल्क प्रोडक्शन के ऊपर देश-विदेश में ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए, 2000 करोड़ रुपये की लागत से 'सिल्क समग्र' नाम की एक योजना शुरू की गई है, जिसमें सिल्क की दृष्टि से हिन्दुस्तान को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पर काम हो रहा है।

महोदय, गत दो वर्षों में सिल्क बॉयवोल्टीन का प्रोडक्शन 24 प्रतिशत बढ़ा है। उस क्षेत्र में रोजगार 10 लाख और बढ़ गया है। लेकिन, साथ ही यह कहना भी उचित होगा कि एक तरफ जहां हम बॉयवोल्टीन की प्रोडक्शन को और तवज्जो दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, because there is not only a domestic but also international market. लेकिन, हैंडक्राफ्ट और हैंड लिगेसी की दृष्टि से भागलपुर सिल्क और वहां के वेवर्स के साथ डेवलपमेंट कमीशनर हैंडलूम का ऑफिस तथा प्रदेश की जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, वे दोनों समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। भागलपुर में सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि वहां रॉ सिल्क प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि डिजाइन एलिमेंट और पैकेजिंग एलिमेंट को सपोर्ट चाहिए। ई-कामर्स की एक्टिविटीज में, जहां थोड़ा-बहुत समर्थन चाहिए, उस दृष्टि से डेवलपमेंट कमीशनर हैंडलूम का ऑफिस, जहां-जहां पर लोग सहयोग की मांग कर रहे हैं, वहां दे रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON : Q.No.342.

Shri P.V. Midhun Reddy.

(Q.342)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Due to the adverse effect of climate change, we have seen forest fires in Amazon rainforest and also in the forests of Australia which led to a huge loss of flora and fauna.

I would like to know from the hon. Minister how prepared are we to tackle such forest fires in our country. Recently, we have also seen flash floods in Uttarakhand, and a few years back in Kerala. So, do we have a mechanism to prevent such flash floods? We have already seen that the Government is taking measures after occurring of these incidents. There were reports saying that the recent flash floods in Uttarakhand could have been prevented. So, do we have a mechanism in place to prevent such incidents like forest fires, flash floods, etc.? What preventive steps are we taking to prevent such incidents?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Let me assure the hon. Member that we have a very good mechanism which has been developed in the last one decade. We get alerts for forest fires, be it anywhere in India, and immediately, we communicate with the last-mile.

Even the States have that mechanism. So, they understand and they know where the fire is taking place and immediately, they can take action. Then, there is also prevention of fire. We can understand that when the temperature rises and if there is a very dry patch, then there is a likelihood of fire taking place. So, that also is taken care of. We can now act on our own before it happens. In the last two fires, we have done terribly well in Nagaland. On the very difficult terrain, there was a forest fire in Assam, Manipur and in

the Nagaland border. So, there also we used helicopters and all the available good technologies to douse the fire. At the same time, even in Simlipal, the place, which was burning last fortnight, has also come under the control immediately. So, that was second.

As far as Odisha hurricanes are concerned, we have been able to prevent loss of life and we are able to prevent many bad effects of such happenings which used to take a big toll earlier. The last but not least, every such natural incidence is not related and is not caused by climate change alone because there is a history behind this. Over a period of thousand or hundred years, we can see such things happening and recurring off and on.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY : There is a trend of packaging and processing of foods growing up in our country. These packaging and processing of foods lead to carbon emission. Do we have a blueprint in place to tackle such carbon emissions?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: First, let me demystify the carbon emissions because I have data from 1751 to 2017. Over a period of 270 years which countries have emitted how much is interesting to know and understand. The European Continent has done 33 per cent of the historical emissions, that is, 514 billion tonnes. The USA has done 25 per cent of emissions, which has resulted into climate change and which is nearly 400 billion tonnes. Europe, with 22 per cent, has done 353 billion tonnes of emissions. China has done over 13 per cent, that is, 200 billion tonnes of emissions. India has done just 48 billion tonnes of emissions. So, in this scenario, we are absolutely not

responsible. But I have given these details because people say do not talk about the percentage; do not talk about the per capita but talk about the net emission. So, in net emission, we have a much lower emission at present. But, as you have asked, we are already taking all the precautions. We are taking precautionary action in all the industries and everywhere.

श्री अजय मिश्र टेनी : सभापति महोदया जी, हमारे देश ने पेरिस समझौते का पालन करते हुए पर्यावरण के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने, तीनों प्रतिबद्धताओं के लिहाज से दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर काम किया है एवं अच्छे परिणाम भी दिए हैं। परंतु हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ भागों सहित बंगाल, बिहार व पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के विषय में भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के प्रभाव से दक्षिण-पश्चिम मानसून में खासी गिरावट देखी गई है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उक्त समस्या का संज्ञान लेकर पर्यावरण के कारण मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन व निराकरण हेतु कोई योजना बनाई है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, हमारा अध्ययन विभिन्न थिंक टैंक्स और भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों द्वारा हमेशा चलता रहता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि फिर एक राइडर है कि not that every change, which is taking place, is because of climate change.

But at the same time, जो बदलाव हो रहे हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। उसका परिणाम है कि चार से पांच राज्यों में बारिश कम हुई है। आठ दस राज्यों में बारिश बढ़ी है। यह पिछले 70 साल के रिकॉर्ड से साबित होता है। इसलिए वहां की सरकारों के साथ बात करके कि फसल कैसे लेनी है, कैसे जमीन की निगरानी करनी है और पानी की बचत कैसे करनी है, इनसे संबंधित उपाय वहां बताए जाते हैं।

श्री रितेश पाण्डेय : आदरणीय सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं वर्ष 2019 में जब से सांसद बना हूँ, तब से मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में मुझे कई जलवायु परिवर्तन देखने का अवसर मिला है। मुझे याद है वर्ष 2019 में बारिश की वजह से, उसके बाद भीषण गर्मी पड़ने की वजह से फसलों पर फफूंदी लगी थी। पिछले साल टिड्डी दलों का अटैक हुआ था। इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, लेकिन अगर आप इस बजट में देखेंगे, जो कल पास किया गया है, उसमें आपके विभाग को पर्याप्त धन आबंटित नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है? क्या सरकार जलवायु परिवर्तन को लेकर किसी भी रूप से गंभीर नहीं है। क्या सरकार यह नहीं मानती है कि जलवायु परिवर्तन हमारे देश पर बड़ा प्रभाव डालने वाला है? माननीय मंत्री जी को साफ पता है कि चाहे बंगाल के 'मैंग्रोज' हो, चाहे मुम्बई की बारिश हो, जिसमें मुम्बई डूबने का काम करता है, चाहे बंगाल के ऊपर खतरा मंडराने का काम हो, चाहे ओडिशा में 'टाइफून' हो या चाहे केरल में पानी भरने की समस्या हो, यह सब जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है।

मान्यवर, मुझे आपसे यह पूछना है कि इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके विभाग के लिए बजट क्यों नहीं बढ़ाया गया?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : बजट पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए, उतना है। पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट था, जो खर्चा हुआ था, उसके मुकाबले 800 करोड़ रुपये ज्यादा बजट मिला है। यह मुद्दा बजट का नहीं है। बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, उनका अपना-अपना बजट होता है। मूल मुद्दा यह है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया की प्रमुख समस्या है। जैसा कि मैंने बताया कि 250 सालों के उत्सर्जन के कारण यह समस्या बनी हुई है, जिसके हम भुक्तभोगी हैं। इसका कारण हम नहीं हैं, लेकिन Bharat is suffering because of climate change. इसलिए हम सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोर देकर बात करते हैं कि विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए। उनको विकासशील देशों को पैसा देना चाहिए। उनको सस्ते में टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, तभी सब मिलकर जलवायु परिवर्तन को मर्यादा में रख सकते हैं। यही हमारी भूमिका रहती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैडम, धन्यवाद । मैं यहां पर इसलिए खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के संदर्भ में जहां हमारा और पूरी दुनिया का लक्ष्य है कि प्रिंडस्ट्रीयल लेवल में 2 सेल्सियस तापमान की जो वृद्धि होनी है, उसको सीमित करेंगे । हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके हस्ताक्षर के भाग हैं और उसमें हमारी प्रमुख भूमिका है । प्रकाश जी ने 'polluters pay' के बारे में कहा है । हमारा दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट भारत पर है, जिसे माननीय सदस्य अपने-अपने तरीके से रख रहे हैं । आज मेरी चिंता अपने क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि मेरी चिंता प्रकाश जावड़ेकर जी के लिए है । आज मेरी चिंता मीनाक्षी लेखी जी के लिए है । आज मेरी चिंता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के लिए है, डॉक्टर हर्ष वर्धन जी के लिए है । मैं पिछले 6 दिनों से दिल्ली के पॉल्यूशन को देख रहा हूँ । स्विट्जरलैंड की एक संस्था का एक क्वालिटी इंडेक्स है, जो दुनियाभर में इस काम को करती है और मॉनिटर करती है । अगर हम उसके रियल टाइम पर जाएं तो आज दिल्ली हैजार्ड्स है । मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ, क्योंकि आज दुनिया में 30 सबसे पॉल्यूटेड स्थानों में से 21 स्थान भारत में हैं । अगर आप सांस की बीमारी से मरने वालों की संख्या देखें तो दिल्ली दुनिया के 10 सबसे खतरनाक शहरों में से है, जिस वातावरण में हम सब बैठे हैं । सौभाग्य से आज अरुणाचल प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, मिजोरम का हो या नागालैण्ड का हो, वह मात्र दो फीसदी है । महोदया, इससे महत्वपूर्ण सवाल सदन और देश के लिए नहीं हो सकता है ।

माननीय सभापति: आप सवाल पूछिए ।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ । मेरा विषय यह है कि दिल्ली का 480 है । कलकत्ता में तमाम लोग पत्राचार के लिए गए हुए हैं, वहां का 565 है । ये सब हैजार्ड्स में हैं । सबकी जान जोखिम में है । दिल्ली में कोविड से 11 हजार लोग मरे और इसी कोविड महामारी के दौरान दिल्ली में सांस की बीमारी और इस संकट से मरने वालों की संख्या 54 हजार है । पूरे भारत में कोविड से 1 लाख 59 हजार लोग मरे और पिछले एक वर्ष में दिल्ली में 1 लाख 60 हजार बच्चों की मौत हुई है । पेरिस एग्रीमेंट के तहत तीन विषय थे । पहला विषय एमिशन का था, जिसमें

भारत बहुत अच्छा कर रहा है। लोग जो भी कहें, एमिशन के दृष्टिकोण से हमने बहुत अच्छा किया है। दूसरा विषय डिफॉरेस्टेशन है, इसमें बहुत ज्यादा हास हो रहा है और भारत के कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल में जो 33 प्रतिशत का लक्ष्य दिया गया था, वह लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। एयर पोल्यूशन, हम सभी लोग जो इस सदन में बैठे हैं, सदन के बाहर बैठे हैं, पूरे भारतवर्ष में बैठे हैं, के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल पूरे देश का है। आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले तीस साल से इस विषय पर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं आपके साथ काम कर रहा हूं और दुनिया के हर फोरम पर जाकर हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। आज संकट की बेला है, आप पूरा भारतवर्ष इससे प्रभावित है। पटना, जो मेरे प्रदेश की राजधानी है, वहां पोल्यूशन लेवल 500 है।

माननीय सभापति: रूडी जी, प्रश्न पूछिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैडम, मैं इस चिन्ता के बारे में, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सार्वजनिक चिन्ता है। आपका प्रयास जारी है, सरकार का प्रयास जारी है, प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रयास जारी है, लेकिन संकट पूरे भारत पर मंडरा रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं हम इस प्रकार की व्यवस्था न कर पाएं कि नवजात शिशु जन्म लेते ही मर जाए, यह हमारे लिए और तमाम माताओं के लिए बहुत बड़ा संकट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देशव्यापी, विश्वव्यापी बृहत् संकट के लिए आपकी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत प्रयास हैं, फिर भी कोई बड़ी संरचना बनाएं, जिससे इस संकट का अगले पांच या दस वर्षों में हम लोग निवारण कर सकें। यह संकट पूरे भारतवर्ष का है, जो हरेक व्यक्ति, सभी सवा सौ करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है। यह एक सामान्य समस्या बन गया है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: मैडम, प्रदूषण एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण में थोड़ा अन्तर है, लेकिन मैं अभी उस साइंटिफिक डिबेट में नहीं जाता हूँ।

मैडम, आप भी दिल्ली की हैं, इसलिए आप जानती हैं कि दिल्ली का प्रदूषण सबसे गंभीर समस्या है। हमारा एक एप है – ‘समीर’। आप इसे आज डाउनलोड कीजिए। इस ‘समीर’ एप पर आपको देश भर के सभी शहरों का प्रदूषण लेवल अभी क्या है, यह पता चलता है। यह एप फ्री है। जब यह जानकारी मिलती है, तब आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर, आगरा, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी से लेकर कोलकाता तक पूरे गेंजेटिक बेल्ट में सबसे अधिक प्रदूषण है। आज के ही दिन में, मैं चार शहरों – दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु का उदाहरण देता हूँ। इन चारों शहरों में जनसंख्या लगभग उतनी ही है, वाहन उतने ही हैं, इंडस्ट्रीज उतनी ही हैं और प्रदूषण के घटक भी उतने ही हैं, फिर भी आज जहां पोल्यूशन के मामले में दिल्ली हेजार्ड्स में है, बेंगलुरु सैटिस्फैक्टरी है, चेन्नई एकदम ठीक है और मुंबई भी ठीक है। यह फर्क क्यों है? यह फर्क समझना चाहिए। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर पहले ही भारत सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। बदरपुर पावर प्लांट बन्द कर दिया, ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल वे, जो दस साल तक नहीं बना था, उसे बनाया। रोज जो 50 हजार ट्रक दिल्ली को प्रदूषित करके दिल्ली से गुजरते थे, वे अब यहां नहीं आते हैं। इसके साथ-साथ बीएस-6 प्रणाली के वाहन और बीएस-6 प्रणाली के पेट्रोल-डीजल हमने 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करके उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही, आज दिल्ली में इलेक्ट्रिकल वाहन चल रहे हैं, हजारों की तादाद में श्री व्हीलर्स हैं, टू व्हीलर्स भी हैं और अब फोर व्हीलर्स भी दिखने लगे हैं। वे भी प्रदूषण कम करते हैं। इसलिए दिल्ली में प्रदूषण पिछले सालों की तुलना में कम हुआ है, यह अभी नई रिपोर्ट आई है। दिल्ली के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनका काम ही नहीं है, जिसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वे क्रेडिट लेने के लिए दौड़ते हैं और इश्टिहार देते हैं कि हमारे कारण 15 प्रतिशत कम हुआ। यह सच नहीं है। भारत सरकार ने यहां के 3,000 उद्योगों में पीएनजी लगवाया और 3,000 ब्रिक क्लिन्स को ज़िग-जैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किया है। ये सारे उपाय किए गए हैं। मैं लास्ट में इतना ही बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बताया कि आने वाले पांच सालों में हम **100** शहरों में, जहां प्रदूषण की समस्या है, उस प्रदूषण की स्थिति में हम अच्छा सुधार करेंगे। हम ने उसके लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तैयार किया है। प्रदूषण का सिटीवाइज प्रोफाइल अलग होता है, कारण अलग होते हैं, उनके लिए उपाय करने के लिए हर शहर का एक प्लान बन गया है, हम ने उसके लिए पैसा भी दिया है और सभी राज्यों के साथ, सभी शहरों के साथ काम करके हम प्रधान मंत्री जी के लक्ष्य को निश्चित ही हासिल करेंगे, इतना मुझे विश्वास है।

HON. CHAIRPERSON: Question No. 343, Shri P.R. Natarajan –Not Present.

(Q 343)

HON. CHAIRPERSON: Shri Vinayak Bhaurao Raut.

श्री विनायक भाउराव राजुत: सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भूस्खलन के बारे में जानना चाहता हूँ कि खासकर, वेस्टर्न घाट के जितने भी इलाके हैं, वेस्टर्न घाट में जो गांव बसे हुए हैं, जब वहां भारी बरसात होती है या बेमौसम बरसात होती है, तो वहां कई गांवों में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। महाराष्ट्र में जितनी घटनाएं हुई हैं, खासकर मेरा क्षेत्र जो वेस्टर्न घाट का है, वहां ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। आर्केलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से उसकी सर्वे की जाती है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन वर्षों से जहां-जहां भूस्खलन हो रहे हैं, वहां के गांवों के संरक्षण के लिए या उनका पुनर्वसन करने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है, अगर योजना बनाई गई है, तो उसकी जानकारी हमें मिलेगी, तो अच्छा होगा?

डॉ. हर्ष वर्धन : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि केवल वेस्टर्न घाट के गांवों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि यह जो विषय है, यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देश में जितने भी लैंड स्लाइड्स हुए हैं या जहां-जहां यह होने की संभावना है, पोटेंशियल है, इसके बारे में डिटेल्ड नेशनल लेवल पर लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग करता है। जब उत्तराखंड में वर्ष **2013** में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, तो उसके बाद से यह शुरू हुआ था। हमारी सरकार ने इसको बड़े पैमाने पर टेक-अप किया है और देश में लगभग **4.2** लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, उसको पूरे देश के अंदर **one each to fifty thousand** स्केल के ऊपर, सारी जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, रिमोट सेंसिंग एवं अन्य दूसरी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल करके इसकी डिटेल्ड मैपिंग की गई है। देश में **80** प्रतिशत से ज्यादा की मैपिंग हो चुकी है। इन सारी इंफॉर्मेशंस को लेने के साथ-साथ आपने सवाल में पांच वर्ष का विवरण मांगा था, तो वह दिया गया है। आज तक जहां-जहां भी कहीं लैंड स्लाइड्स वगैरह हुए हैं, अगर आज भी उनके कोई भी चिन्ह, साइंटिफिक एविडेंस या उनके कुछ भी निशान बाकी हैं, तो मैपिंग के दौरान उनको

पॉइंट आउट किया जा रहा है। इनको बेसिकली, रेग्युलरली भूकोष के वेब मैप पर डाला जाता है और इसके साथ-साथ सारी जानकारियां, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ससेप्टिबल स्टेट्स एवं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर किया जाता है।

आपने ससेप्टेबल इलाकों और गांवों की बात कही है। इसका जो साइंटिफिक आस्पेक्ट है, वह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, लेकिन अगर कहीं लोकलाइज्ड इस तरह की व्यवस्था है कि कहीं कोई डिजास्टर के प्रोन होने के कारण शिफ्ट करने की जरूरत है, टेम्पररली रीलोकेट करने की जरूरत है, तो इसके बारे में वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रणनीति बनाते हैं, लेकिन जो जियोलॉजिकल सर्वे है, वह सारी की सारी जानकारियां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक समय रहते उपलब्ध कराता है और आगे आवश्यकता के अनुसार जो निर्णय होता है, वह संबंधित प्रशासन लेता है।

HON. CHAIRPERSON : Q.No.344.

Shri Ashok Mahadevrao Nete.

(Q. 344)

श्री अशोक महादेवराव नेते : सभापति महोदया, प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने डिटेल में जानकारी दी है, उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के आदिवासी बाहुल्य दुर्गम क्षेत्रों में गरीब आदिवासियों में मलेरिया, कैंसर, हृदय रोग, किडनी-लीवर तथा हेपेटाइटिस-बी आदि जानलेवा रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाओं का भारी अभाव है।

महाराष्ट्र में मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर् जो शायद देश का सबसे बड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित अविकसित क्षेत्र है। ऐसे जानलेवा रोगों के उपचार के लिए नागपुर तक 250 किलोमीटर जाना पड़ता है। कई आदिवासियों को धन का अभाव रहने के कारण वे इलाज के लिए जा नहीं पाते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वारा इन रोगों के उपचार में नियंत्रण लाने के लिए पूरे देश भर में खासतौर पर जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों में कोई ठोस एवं समयबद्ध विचार किया गया है?

डॉ. हर्ष वर्धन: सभापति महोदया, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न मलेरिया के कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि बाकी बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट में और विशेषकर उन बीमारियों का इलाज डिप्राइव्ड एरियाज़ में और विशेषकर देश के सभी हिस्सों में जिनमें कि ट्राइबल एरियाज़ भी इंकलूडेड हैं, सरकार का फोकस है।

माननीय सदस्य, यह जानते हैं कि शायद यह पहली सरकार है, जिसने साइंटिफिक ढंग से कई महीनों तक सर्वे करने के बाद देश के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ढूँढा है। वहां के लोगों को 6-7 बेसिक पैरामीटर्स की सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई थीं। इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी भारत सरकार के ऑफिसर्स नोडल ऑफिसर्स के तौर पर अप्वाइंटेड हैं। वहां लगातार उन पैरामीटर्स पर डेवलेपमेंट के काम हो रहे हैं। यह एक आस्पेक्ट है। इसमें ट्राइबल एरियाज़ भी इंकलूडेड होते हैं। अभी 75 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जो योजना बनी है, उसमें भी एस्पिरेशनल मेडिकल कॉलेजों को प्रिफरेंस दिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन में हम लोग ग्रास रूट लेवल तक सब सेंटर्स और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के क्रिएशन तक सभी राज्य

सरकारों को सपोर्ट करते हैं। ग्रास रूट लेवल पर फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए और फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथेन करने के लिए वहां पर फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री प्रिवेंटिक्स सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जहां कहीं भी सुविधा का अभाव है या स्वास्थ्य केन्द्र का अभाव है, वहां पर राज्य सरकारें नेशनल हेल्थ मिशन में पीआईपी के अंतर्गत जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है, उसके तहत योजना बनाकर भारत सरकार के पास भेजती है, तो भारत सरकार उन सबकी स्वीकृति देकर राज्य सरकारों को पूरी सहायता उपलब्ध करवाती है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से लेकर मैन पावर क्रिएशन तक इन सारी चीजों को स्ट्रेंथेन करती है।

मेरा माननीय सदस्य को यह सुझाव है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके स्पेसिफिक इलाके में कहीं पर जैसा कि यह बात मैंने सदन में पहले भी कही है कि हेल्थ सिस्टम के पैरामीटर्स के लिए वर्ष 2011 की एक गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के अनुरूप आप अपने-अपने इलाकों में जाकर सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स और जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन सबको एग्जामिन कीजिए और उन गाइडलाइंस के हिसाब से वहां पर जो भी कमियां हैं, अगर आप अपनी राज्य सरकार के थ्रू भारत सरकार को प्रपोजल भिजवाते हैं, तो उन सबको स्ट्रेंथेन किया जा सकता है। जैसा आपने अपने इलाके के खासकर ट्राइबल एरिया के लिए कंसर्न व्यक्त किया है। आपको जहां भी यह लगता है कि स्पेसिफिक कमियां हैं, तो आप राज्य सरकार के थ्रू भारत सरकार को भिजवाएं। मैं इस सदन के फ्लोर पर आश्वासन देता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई और भी इस प्रकार की एक्सरसाइज करके यह काम करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन चीजों को पूरा किया जाए।

इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि हेल्थ को एक प्रिवेंशन और प्रमोशन की दृष्टि से एक सोशल मूवमेंट बनाने के लिए प्रधान मंत्री जी ने 'आयुष्मान भारत योजना' शुरू की थी। इसका एक कंपोनेंट यह भी था, जिसमें देश भर में ग्रास रूट लेवल पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं, जहां ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हैं। 12 तरह की बीमारियों के बारे में प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक्स और दवाईयां देने की दृष्टि से

सारे काम होते हैं। इस योजना में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट करने की योजना है। हम ऑलरेडी करीब 66 से 67,000 फंक्शनल कर चुके हैं। मैंने कल-परसों भी यह कहा था और आपको यह सुनकर खुशी होगी कि इसमें से 30,000 कोविड के दौरान एक साल के अंदर फंक्शनल किये हैं। आप अपने-अपने इलाकों के प्राइमरी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जाइए और जहां-जहां भी कमियां लगती हैं, उन्हें हमें राज्य सरकार के माध्यम से भिजवाइए। हम उन्हें स्ट्रेंथेन करेंगे।

श्री अशोक महादेवराव नेते: सभापति महोदया, यह मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गरीब आदिवासी लोगों की जानलेवा बीमारियों के उपचार हेतु आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर में केन्द्रीय सहयोग से एक उच्च स्तरीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने पर विचार कर रही है, ताकि वे स्वस्थ रहकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें?

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि नए मेडिकल कॉलेजेज को बनाने की जो योजना है, उसके तहत पिछले छः-सात साल में ही देश में 157 मेडिकल कॉलेजेज विभिन्न फेजेज ऑफ डेवलेपमेंट में हैं। उसमें जो लॉस्ट लॉट था, वह 75 मेडिकल कॉलेजेज का था, जिसको वर्ष 2019 में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के दोबारा सत्ता में आने के बाद कार्यरूप दिया गया है। हम जिसे कह सकते हैं कि यह एक चैलेंज मोड में था। सभी राज्य सरकारों से कहा गया कि आपके इलाकों में जितने भी मोस्ट डिप्राइव्ड इलाके हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर 200-300 बेड्स के अस्पताल हैं। आपके उन जिलों में जहां पर कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल नहीं हैं, आप वहां की योजना बनाकर भेजिए। उसके अनुरूप जिन-जिन राज्य सरकारों ने इसमें प्रोएक्टिवली बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है, उसके आधार पर पूरी निष्पक्षता और ऑब्जेक्टिविटी के साथ हमने एक साल के अंदर देश में **75** मेडिकल कॉलेजेज स्वीकृत किए हैं।

अभी इस समय देश में और कहां-कहां पर मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, इसके बारे में नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि एक नई संस्था मेडिकल एजुकेशन को रेग्युलेट करने के लिए देश में डेवलेप हुई है, आप लोगों ने ही यहां पर उसका बिल पास किया था, वह संस्था नए सिरे से उसका अध्ययन कर रही है। आने वाले भविष्य में उस अध्ययन के अंदर जो भी नए मेडिकल कॉलेजेज खोलने की योजना बनेगी, उसमें आपके या राज्य सरकारों के माध्यम से जो डिमांड्स आएंगी, उनका ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करके उसके बारे में उस समय विचार किया जाएगा। आज उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वर्ष 2014 तक एमबीबीएस की 50,000 सीटें थीं और वर्ष 2014 से लेकर अभी तक हमने भारत के अंदर एमबीबीएस की 30,000 से भी ज्यादा सीटें क्रिएट की हैं। इसी तरह से 24,000 से भी ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशंस की सीट्स क्रिएट की गई हैं। अन्य योजनाओं के तहत, बीएंडबी और डिप्लोमा के माध्यम से मेडिकल एजुकेशन का जो प्रकल्प है, उसको और स्ट्रेथेन कर रहे हैं। जैसे आपके यहां के जो जिले हैं, उनके लिए नई रेजीडेंसी योजना बनाई गई है, जहां ऐसे जिलों के डिस्ट्रिक्ट्स हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट रेजीडेंसी स्कीम के तहत तीन महीने के लिए इन इलाकों में भी जाना पड़ेगा, जिन इलाकों की बात आप कर रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रोएक्टिवली इसके अंदर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स के अंदर हेल्थ का विषय बहुत ही डिटेल में हो चुका है। इसलिए अब मैं अगला प्रश्न ले रही हूँ।

प्रश्न संख्या 345.

(Q.345)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Under Vajpayee Ji's premiership, thalassemia was recognized by the Social Justice Ministry as a disability. When something is recognized as a disability, it carries its own compulsions. For instance, for physical disability you have ALIMCO providing free handicapped tools, legs, chairs, arms, for the teeth, for the ears, but for thalassemia, what has been done after it has been recognized as a disability? Have free blood banks been provided for *thalassemic* patients? Have there been camps in which *thalassemic* patients are registered? What exactly has been done to recognize and to fulfil the responsibilities that come under the word 'disability' for *thalassemic* patients?

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्या के सवाल का जो उत्तर है, उसमें काफी विस्तार से उल्लेख किया गया है। थैलिसिमिक बच्चे सरकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्युज में से एक हैं। पूरे देश में ब्लड बैंकिंग का नेटवर्क है, उसमें भी जो सारी चीजों को इंटिग्रेट किया गया है, उसके माध्यम से ऐसे बच्चों की मुख्य रूप से तीन तरह की जरूरतें होती हैं। एक तो प्रिवेंशन की दृष्टि से स्क्रीनिंग का इश्यु आता है, जिसके लिए कॉलेजेज में या दूसरे स्थानों पर कई कैम्पस लगाकर स्क्रीनिंग की जाती है, लोगों को गाइडेंस दी जाती है। प्रिकंसेप्शन मैरिज में काउंसिलिंग्स आदि की जाती है, वह एक अलग अस्पेक्ट है। लेकिन जो बच्चे थैलिसिमिक हैं, कैरियर हैं या जिनमें पूरी तरह से थैलिसिमिया डेवलप हो गया है, उनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या ड्रग्स हैं, जो आयरन किलेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है।

जो एक्सट्रीम केसेज होते हैं, उनमें बोनमैरो ट्रांसप्लांट वगैरह की जरूरत होती है। ये सारी चीजें हमारी सुविधाओं पर निर्भर हैं। पहली बात कि ये निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। चूंकि बोनमैरो ट्रांसप्लांट में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि के माध्यम से ऐसे

मरीजों की हेल्प की जा सकती है या हमने स्टेट्स को भी यह सुविधा दी है कि वे अपने-अपने स्टेट्स में स्टेट इन्नेस फण्ड क्रिएट करें, जिसमें यदि वे 50 प्रतिशत राशि लगाते हैं, तो शेष 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार हेल्प करती है।

इसके साथ-साथ, कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ मिलकर भी, प्राइवेट अस्पतालों में भी, जहाँ बोनमैरो ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वे लोग पूरी तरह से उनके खर्चों को सपोर्ट करते हैं। इसमें कोल इंडिया जैसे पीएसयूज बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं।

इसलिए मल्टिपल लेवल पर थैलिसिमिक बच्चों के लिए प्रिवेंशन की दृष्टि से, ट्रीटमेंट की दृष्टि से हम लोग पूरे हृदय और आत्मा के साथ काम करते हैं। इसके लिए सरकार का पूरा कमिटमेंट है।

HON. CHAIRPERSON : Second supplementary question.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: The *thalassemic* patients require blood transplants every three weeks or even less. There is no provision at all for blood for poor people. The Prime Minister's Relief Fund which is given for medical emergencies and the Chief Minister's Relief Fund of all States does not cater to *thalassemics at all. It caters for one-time operation. A thalassemic person* needs money for whole blood transplant every few weeks and there is absolutely no money. Now, I would suggest that either we allow *every thalassemic patient to get the Ayushman Bharat Card, so that their blood transplants can come free within that stipulated sum of Rs. 5 lakh a year or you will have to make a special provision that if a person has a Card saying that he is thalassemic, then he is given priority and given blood regularly. At the moment, it is all very well to have screening camps of whether they are thalassemic or they are carriers, but that does not solve the problem. That is*

only the beginning of the problem. For example, I am thalassemic and you diagnose me free, then what after that? Then my whole life you will have to look after me. So, what is being done? There is no point saying you are getting corporates to do it because corporates do not do anything with thalassemia. What is being done for the thalassemics that come to the hospital, for example Sultanpur district hospital, and do not find blood? During the COVID time, when people were not giving blood, there was a huge problem for people suffering from thalassemia.

डॉ. हर्ष वर्धन: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, she is a very learned Member of the House and a former Minister also. She had been a Minister in Atal ji's Government also. मैंने अपने आंसर में भी बताया है कि सबसे बेसिक चीज़ है कि उनको रेग्युलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। इन सब बच्चों को पूरे देश में, हमारे सभी सरकारी ब्लड बैंक्स में ब्लड फ्री-ऑफ-कॉस्ट मिलता है। इनको दवाइयां भी मिलती हैं। कोविड के टाइम में मैंने इसे पर्सनली मॉनिटर किया है, जब ब्लड की जनरली शॉर्टेज थी, we made specific arrangements to ensure that not a single thalassaemic patient is deprived of blood during the COVID-19 time. Even voluntary blood donation को भी स्ट्रेन्डेन करने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी या दूसरे सिस्टम्स के माध्यम से हमने वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स के घर में पूरी व्यवस्था भेजकर वहां से भी ब्लड कलेक्ट किया है, ताकि एक भी बच्चा इलाज से रह न जाए। जहां तक कॉरपोरेट की बात है, that was the last thing that I said, जिनको मान लीजिए, when we are talking about thalassemia, I am talking in general about other blood disorders also where one may require a bone marrow transplant. इसमें पीएसयूज, रैन – राष्ट्रीय आरोग्य निधि, स्टेट्स के इलनेस असिस्टेंस फंड्स हैं। अल्टीमेटली इन सारे तरीकों से जिनको बोन-मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है,

लेकिन वह कॉस्टली है, उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सकता है। अगर माननीय सदस्य की तरफ से स्पेसिफिक्स में कोई और सजेशन आता है, तो we are willing to take forward any good suggestion given by any Member in this House. ...*(Interruptions)* As regards your suggestion, we will look at it. I will pose that suggestion to the Governing Body of the ICMR and NHA.

श्री श्याम सिंह यादव: सभापति महोदया, आपका धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जो बीमार हैं, उन्हें पीएम रिलीफ फंड से मदद दी जाती है, उसके लिए एक साल में 35 पेशेंट्स का कोटा फिक्स किया हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस 35 की संख्या को अनलिमिटेड करेंगे? ...*(व्यवधान)* क्या माननीय मंत्री जी इस 35 की संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ सोचेंगे? ...*(व्यवधान)* हम लोग यह रोज महसूस करते हैं कि 35 पेशेंट्स की संख्या तो चार-छः महीने में पूरी हो जाती है, लेकिन जो अन्य बीमार लोग हमारे पास मदद के लिए आते हैं, जो दवा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उनके सामने बड़े असहज होते हैं, बहुत लाचार होते हैं। ...*(व्यवधान)* हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। ...*(व्यवधान)* क्या माननीय मंत्री जी इस दिशा में विचार करेंगे कि 35 पेशेंट्स के इस कोटे को खत्म कर के जितने लोग हों, उन्हें हम मदद कर सकें? अगर आप सबके लिए फ्री नहीं कर सकते, तो कम से कम 35 की इस संख्या को 100 कर दीजिए। धन्यवाद।

DR. HARSH VARDHAN: We will certainly get your suggestion examined.

श्री मनोज कोटक: सभापति महोदया, धन्यवाद। आपने मुझे थैलीसीमिया के इस विषय पर सवाल पूछने का मौका दिया। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्वॉल्वड है। यह बड़े गंभीर तरीके से आर्थिक रूप से भी पेशेंट्स पर भार डालने वाला है। मैं सरकार का और माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करूँगा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि 1,074 ब्लड बैंक्स और 1,699 रक्त भंडार का प्रावधान किया गया है।

मेरा प्रश्न है कि यह एक अनुवांषिक – हैरिडिट्री बीमारी है। Prevention is better than cure. अतः इसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, माननीय मंत्री जी कृपया इसकी जानकारी दें।

डॉ. हर्ष वर्धन: अभी आपने जो प्रश्न किया, उसी में आपके अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। आपने खुद ही बताया है कि कितने बड़े लेवल पर हम लोगों ने देश में ब्लड बैंक्स, इनका नेटवर्क और इनका इंटीग्रेशन इस्टैब्लिश किया।

जैसा कि मैंने बेसिकली अपने उत्तर में ही कहा कि एक तरफ प्रिवेंशन की दृष्टि से, हमें जो भी स्क्रीनिंग करनी है, एजुकेशन देनी है, जिस तरह जन्म कुंडली होती है, हम तो कहते हैं कि लोगों की रक्त कुंडली के विषय को भी आप सबके माध्यम से प्रचारित करना चाहिए। अगर हम इसे सोसायटल मूवमेंट बना दें और दो लोगों के बीच में विवाह होने से पहले अगर उनकी ठीक प्रकार से, इस दृष्टि से भी स्क्रीनिंग की जाए और उनको एडवाइस दी जाए, ताकि उनके बच्चे आने वाले समय में इसके कैरियर न हों या उनमें यह बीमारी न विकसित हो, यही हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन हो सकता है। जैसे-जैसे उनको जो-जो तकलीफ होती है, मैं आपको बताऊं कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि नेशनल हैल्थ मिशन के माध्यम से सब प्रकार की, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनमें हम स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे इंप्लिमेंट करने के लिए हैल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं।

महोदया, अभी हिमोग्लोबीनोपैथीस इन्क्लूडिंग थैलीसीमिया के लिए वर्ष 2018-19 में 11.54 करोड़ रुपया दिया गया और वर्ष 2019-20 में करीब 20.10 करोड़ रुपये और वर्ष 2020-21 में 15.15 करोड़ रुपये दिए गए। Specific to this, हर एक बीमारी के लिए सुविधा देने के लिए नेशनल मिशन द्वारा हम स्टेट गवर्नमेंट को उनके द्वारा बनाए गए प्लान के तहत सपोर्ट करते हैं। थैलीसीमिया, हिमोग्लोबीनोपैथीस उसका एक इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट है।

HON. CHAIRPERSON : Q. No.346.

Shri Ravneet Singh.

(Q.346)

श्री रवनीत सिंह : महोदया, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है। आज कोरोना वायरस चर्चा का विषय है और परसों ही सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी की गई है। हमारे राज्य में भी कोरोना वायरस के ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। जब डाक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, तो एप्रिहेंशन ज्यादा है कि ये वैक्सीन्स हमारी अगली जेनरेशन के अंदर हमारे डीएनए में या सैल्स में क्या असर डालने वाली है? इसे प्रूव करने के लिए आपके पास स्टडीज की रिपोर्ट होगी, डेटा होगा कि भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे? ये चीजें भय का माहौल बनाती हैं। यदि संसद में आप इस चीज को क्लैरीफाई करेंगे कि जेनरेशन के डीएनए में कोई खतरे की बात नहीं है, तो बहुत अच्छा होगा।

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदया, प्रश्न यद्यपि फिक्सड डोज़ कम्बिनेशन्स के बारे में है, लेकिन अच्छी बात है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देश में और दुनिया में शक, संशय हो सकता है कि जो वैक्सीन्स हैं, क्या ये आने वाले समय में हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती हैं। वैक्सीन्स आज के युग में शायद किसी भी बीमारी से होने वाली डैथ्स को कम करती हैं। कई बीमारियां वैक्सीन प्रिवेंटेबल दवाइयों से होती हैं और उनसे होने वाली डैथ्स को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डैथ्स कहते हैं। 12 से ज्यादा वैक्सीन्स हम नेशनल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम में भारत सरकार फ्री ऑफ कास्ट देश के हर बच्चे को देती है। वैक्सीन्स की मदद से ही दुनिया ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी पर फतह प्राप्त की है और उन्हें इरेडिकेट कर दिया है। उनका वायरस अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पोलियो दो देशों में बचा है, लेकिन मोटे तौर पर पूरी तरह से वह इरेडिकेशन की ओर है।

महोदया, जहां तक पार्टिकुलर कोविड की वैक्सीन की आपने बात की है तो वैक्सीन्स को समाज में इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल दिया जाता है, उसके पहले बहुत डिटेल में उसके साइंटिफिक ट्रायल्स होते हैं। प्री-क्लीनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लीनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लीनिकल ट्रायल्स के बहुत सारे फेजेज होते हैं। इंसानों से पहले एनिमल स्टडी की जाती है और

हजारों लोगों के अंदर जो फेज श्री ट्रायल होते हैं, उसमें 40 हजार, 50 हजार की संख्या में लोगों पर ट्रायल्स होते हैं और उनके जो रिजल्ट होते हैं, वे भी कोडेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को पता होता है कि उसे वैक्सीन लगी है या उसे प्लैसीबो लगा है। उन रिजल्ट्स के आधार पर जब उनके लिए अप्रूवल्स मांगी जाती है, तो उसके लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट्स की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है। वह कमेटी एक-एक केस का बहुत डिटेल्ड विश्लेषण करती है और फिर उन डेटा का सिर्फ देश में ही विश्लेषण नहीं होता है, बल्कि इनकी स्कूटनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार पर भी होती है। पूरे वर्ल्ड में सात स्थान ऐसे हैं, जहां उन वैक्सीन्स का इंडिपेंडेंटली असेसमेंट होता है। उन सात स्थानों में से एक स्थान हमारा बॉयो टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट भी है, जो फरीदाबाद के अंदर है। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वैक्सीन्स जनता के बीच आ गई हैं और करीब साढ़े तीन, चार करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं और आज वैक्सीन्स के बारे में भारत का साइड इफेक्ट .000432 है।

मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्कूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है, जिसे सारी दुनिया कर रही है और दुनिया के एक्सपर्ट्स सारी बातों का ध्यान करके करते हैं, तो फिर हमें निश्चित रूप से साइंटिफिक डेटा और उसके विश्लेषण पर विश्वास करना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि वैक्सीन के बारे में अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा भारत सरकार ने प्रधान मंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्ध कराई है, उस सुविधा का लाभ आप अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर उस वैक्सीन को लीजिए, खुद को सुरक्षित कीजिए, अपने मित्रों को, अपने परिवार को और समाज में सबको सुरक्षित करने का काम कीजिए।

श्री रवनीत सिंह : सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम सबको इसका साथ भी देना चाहिए और इसकी जरूरत भी है, लेकिन हमने इमरजेंसी में जो दो मेडिसिन्स बनाईं, चाहे वह कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, डब्ल्यूएचओ ने इसकी एफिशिएंसी 60 से 90 प्रतिशत बताई है। वहीं

अमेरिकन फाइजर की एफिशिएंसी को 95 परसेंट बताया गया है। इसकी जो पहली हाफ डोज़ है, उसके बारे में उनके परसेंटेज अलग हैं और हमारे परसेंटेज अलग हैं। यह अंतर क्यों है? यह डब्ल्यूएचओ भी बता रहा है। आखिर यह फर्क क्यों है? आपने डीएनए की बात फिर क्लीयर नहीं की।

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय सदस्य, हर एक वैक्सीन को बनाने का साइंटिफिक तरीका और उसकी साइंटिफिक डिटेल्स बिल्कुल अलग-अलग होती हैं। अभी ये दो वैक्सीन्स आपके पास आई हैं। इसके अलावा आधा दर्जन वैक्सीन्स अभी क्लीनिकल ट्रायल्स में हैं। एक दर्जन वैक्सीन्स अभी प्री-क्लीनिकल ट्रायल्स के फेज में हैं। सबके अलग-अलग साइंटिफिक मेथड्स हैं। वैक्सीन बनाने का कोई एक स्टैंडर्ड, कोई एक तरीका नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर तरीके से वैक्सीन को सारी दुनिया बनाए। फाइजर की वैक्सीन बेसिकली एमआरएनए वैक्सीन है। उनके अपने-अपने पैरामिटर्स हैं। सबके अपने-अपने डेटा होते हैं, जिनके आधार पर उनके सेफ्टी इश्यूज, एफिकेसी इश्यूज होते हैं। हमारे देश में जो दो वैक्सीन्स आज लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं, उनमें तीनों पैरामिटर्स यानी सेफ्टी, एफिकेसी और इम्यूनोजेनिसिटी के आधार पर पर्याप्त रूप से समाज की रक्षा करने की ताकत है।

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU: I have a question related to the original question asked by my dear colleague, Mr. Bittu. This is regarding the drug pricing. The drug pricing comes under the Ministry of Chemicals & Fertilizers, but not under the Ministry of Health & Family Welfare. Earlier also, I made a request that this shall be brought under the control of the Health Ministry because they know the importance of the drug and the dependency on a particular drug by the vast community in the country. It is much better if this drug pricing is under the control of the Health Ministry, not

the Ministry of Chemicals & Fertilizers. Is there any proposal of the Ministry to consider it to bring it under their purview?

DR. HARSH VARDHAN: What you said may be an ideal situation. But right now, as the situation stands in the country, there are two different Ministries handling these two different issues. I can assure you that both the Ministries, another Ministry is headed by Mr. Sadananda Gowda, have a perfect coordination and collaboration. We share each other's information and advice. We request them for any price fixing and all those things. All these subjects are dynamic subjects. From time to time, they definitely require consideration. If any consideration of that nature or any subsequent outcomes develop during the course of the subsequent years, we will let this House know about it.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : The vaccination drive is going very well in India. You are encouraging more and more people to take it. Is this Government, which has made Rs. 35,000 crore available in the Budget, committed to quickly do universal vaccination? If you are encouraging it, by when will you allow universal vaccination including the paediatricians to be allowed like the other programmes?

12.00 hrs

DR. HARSH VARDHAN: First, let me clarify that every vaccine does not require universal immunisation. All these priority groups that have been set up - like first we give it to health workers, then to frontline workers, then to people above 60 years or those between 45 and 60 years with comorbidities, tomorrow this will further expand - are all based on the opinion of the experts.

These are experts not only in India but there are guidelines which have been given by the World Health Organisation also as to who needs to be prioritised first. There is a very well-defined group called the National Expert Group for Vaccination (NEGVAC). Whatever you are seeing today is the result of the hard work of many people in our Ministry and the NEGVAC which was formed by the Prime Minister in the first week of August. Since then, this Group is working. We are in touch with all the scientific developments in this particular field not only in India but across the world. It is not necessary to scientifically give the vaccine to each and every person in the country. It is not going to be given to each and every person on this globe. This prioritisation process is a dynamic process and the behaviour of COVID-19 is also a dynamic process. All the things are based on scientific facts, scientific scrutiny, and scientific vision of the overall scientific and health community.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Since you are saying that it is a good vaccine, why would you not look at universalisation?

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos.347 to 360
Unstarred Question Nos.3911 to 4140)
(Page No.37 to 664)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर दो से आठ, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 4010/17/21)

- (3) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4011/17/21)

(5) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4012/17/21)

(7) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4013/17/21)

- (9) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4014/17/21)

- (11) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4015/17/21)

- (13) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4016/17/21)

- (15) (एक) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4017/17/21)

- (17) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4018/17/21)

- (19) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4019/17/21)

- (21) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4020/17/21)

- (23) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4021/17/21)

- (25) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4022/17/21)

(27) (एक) विद्युतकरघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विद्युतकरघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4023/17/21)

(29) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 3813 (अ) जो 26 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन श्री रजीत रंजन ओखंडियार, एमएस, सीएसबी को 06.11.2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वह पद धारण करते हैं, जो भी पहले हो, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3814 (अ) जो 26 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संबंधित राज्यों की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

- (तीन) का.आ. 4205 (अ) जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्ष श्री रवि कपूर, सचिव, वस्त्र मंत्रालय को अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर का अतिरिक्त प्रभार उनके द्वारा इस पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तारीख से 31.12.2020 तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति किए जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया है।
- (चार) का.आ. 349 (अ) जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन संबंधित राज्यों की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 479 (अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन संबंधित राज्यों की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(Placed in Library, See No. LT 4024/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं डॉ. हर्ष वर्धन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4025/17/21)

- (3) (एक) जैव संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जैव संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4026/17/21)

- (5) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4027/17/21)

- (7) (एक) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4028/17/21)

- (9) (एक) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4029/17/21)

- (11) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4030/17/21)

- (13) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4031/17/21)

- (15) (एक) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4032/17/21)

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4033/17/21)

(19) (एक) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4034/17/21)

(21) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल एण्ड रीजनरेटिव मेडिसिन, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल एण्ड रीजनरेटिव मेडिसिन, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4035/17/21)

(23) (एक) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4036/17/21)

(25) (एक) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4037/17/21)

- (27) (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4038/17/21)

- (29) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4039/17/21)

(31) (एक) जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4040/17/21)

(33) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 4041/17/21)

(ख) (एक) भारत इम्युनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

- (दो) भारत इम्युनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. LT 4042/17/21)

- (ग) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (34) उपर्युक्त (33) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4043/17/21)

- (35) (एक) कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4044/17/21)

(36) निम्नलिखित पत्रों की एक-:(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) एक प्रति-

(एक) भारत इम्यूनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 4045/17/21)

(दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4046/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4047/17/21)

- (3) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4048/17/21)

- (5) (एक) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4049/17/21)

(7) (एक) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4050/17/21)

(9) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 4051/17/21)

(10) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अंतर्गत चलचित्र (प्रमाणन) संशोधन नियम, 2020 जो 24 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 582(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4052/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री किरन रिजीजू की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4053/17/21)

- (3) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4054/17/21)

(5) (एक) उत्तर-पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर-पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4055/17/21)

(7) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4056/17/21)

- (9) भारतीय केंद्रीय औषध परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय केंद्रीय औषध परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2020 जो 20 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 4-90/2018-पीजी विनियमन (आयुर्वेद) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4057/17/21)

- (10) भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भेषज महाविद्यालयों में रैगिंग की दुष्प्रवृत्ति की रोकथाम के बारे में भेषज में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भेषज परिषद (संशोधन) विनियम, 2019 जो 10 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-1/2017-पीसीआई (भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4058/17/21)

- (12) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नाम निर्देशन का तरीका, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आस्तियों, पेशेवर और वाणिज्यिक वचनबन्ध की घोषणा) नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नाम निर्देशन का तरीका, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आस्तियों, पेशेवर और वाणिज्यिक वचनबन्ध की घोषणा) नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 772(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT 4059/17/21)

- (13) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सक (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता) संशोधन विनियम, 2020 जो 23 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 7-3/2003-सीसीएच (भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4060/17/21)

- (14) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT4061/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4062/17/21)

- (3) (एक) उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4063/17/21)

- (5) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में शासी मंडल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में शासी मंडल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में शासी मंडल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4064/17/21)

- (7) (एक) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4065/17/21)

- (9) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4066/17/21)

- (11) (एक) भारतीय भेषज परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भेषज परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4067/17/21)

(13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4068/17/21)

(15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4069/17/21)

- (17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4070/17/21)

- (19) (एक) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4071/17/21)

(21) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4072/17/21)

(23) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4073/17/21)

(25) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4074/17/21)

(27) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4075/17/21)

(29) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4076/17/21)

- (31) लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4077/17/21)

- (32) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) नौवां विनियम, 2020, जो 13 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/प्रसंस्करण इमदाद/अधिसूचना / एफएसएसएआई / 2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषक आहार) विनियम, 2020, जो 10 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/03/ अधिसूचना (आईएफआर) / एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020, जो 18 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.1-94/एफएसएसएआई / एसपी (लेबलिंग) /2014 (भाग-2) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादों का सुदृढीकरण) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी / सुदृढीकरण संशोधन (1) / अधिसूचना / एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 13 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/ एसपी(एलएण्डसी/ए)/तेल दावे/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण/आरईजी/2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) तीसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 26 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/ओएण्डएफ/ अधिसूचना(12)/एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।

- (आठ) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 14 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एसपी/ (संदूषक)/अधिसूचना-1/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) छठा संशोधन विनियम, 2020, जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस / एमएण्डएमपी / अधिसूचना (04) / एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस / सीपीएलएण्डसीपी / अधिसूचना / 01 / एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 21 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 16 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 11023/24/2017-क्यूए में प्रकाशित हुए थे।

- (तेरह) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/योज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पांचवां संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. ए-1 / मानक / एमार्क / 2012-एफएसएसएआई(पी+1) में प्रकाशित हुए थे।
- (पन्द्रह) खाद्य सुरक्षा और मानक (मद्युक्त पेय) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एसपी (जल और पेय)/अधिसूचना(1)/ एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) दूसरा संशोधन विनियम, 2021, जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/ओएण्डएफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौथा संशोधन विनियम, 2020, जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस / एमएण्डएमपीआईपी (3) / एसपी / एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

- (अठारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-110/एसपी (जैवकीय खतरे वाले पदार्थ)/संशोधन-1/एफएसएसएआई/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) आठवां संशोधन विनियम, 2020, जो 13 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1/अतिरिक्त योजक-तीन/ एसटीडीएस / अधिसूचना / एफएसएसएआई / 2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ और संतुलित आहार) विनियम, 2020, जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 15(1)/2016/स्कूली बच्चे विनियम/ईएनएल/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी-18/मीनू लेबलिंग/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) पहला संशोधन विनियम, 2021, जो 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी/एसटीडीएस-खेसारी दाल/एफएसएसएआई-2020 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 21 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-1275/एफएसएसएआई/आयात/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारबार का संचलन तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के लिए प्रक्रिया) पहला संशोधन विनियम, 2021, जो 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-63/एफएसएसएआई/ कारबार एससी और एसपी/आरईजी/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT 4078/17/21)

(33) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रसाधन सामग्री नियम, 2020, जो 15 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2021, जो 26 फरवरी 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 140(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT4079/17/21)

- (34) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 124 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड) संशोधन नियम, 2021, जो 18 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 120(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) विनियम, 2021, जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. वी.15011/09/2019-पीएच-एक में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT4080/17/21)

- (35) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा(3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (एक) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2020, जो 13 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 248(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) दूसरा संशोधन नियम, 2020, जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2020, जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 458(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT4081/17/21)

- (36) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 897(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।
- (दो) का.आ. 1888(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में दादरा नागर हवेली और दमन दीव के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।

- (तीन) का.आ. 1889(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में केरल के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।
- (चार) का.आ. 2867(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में जम्मू और कश्मीर चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 3260(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन के बारे में है।
- (छह) का.आ. 3261(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चार स्वायत्तशासी बोर्डों के गठन के बारे में है।
- (सात) का.आ. 3262(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के उपबंधों को प्रभावी करने के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 4302(अ) और 4303(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और चिकित्सा परामर्शी परिषद में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 4775(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में दादरा नागर हवेली और दमन दीव के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।

(दस) वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं विनियम, 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनएमसी/एमसीआई 35(1)98-चिकित्सा(2)123627 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) चिकित्सा कॉलेज की स्थापना विनियम (संशोधन), 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनएमसी/एमसीआई 34(41)/2020-चिकित्सा/123626 में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT4082/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री बाबुल सुप्रियो की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT4083/17/21)

- (2) (एक) जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT4084/17/21)

- (3) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT4085/17/21)

- (5) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT4086/17/21)

- (6) (एक) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4087/17/21)

(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2019, जो 24 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2019, जो 24 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2019, जो 26 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 952(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, जो 3 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2018, जो 28 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1241(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (छह) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2018, जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1095(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020, जो 22 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 27 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.742(अ) में प्रकाशित एक तत्संबंधी शुद्धिपत्र।
- (आठ) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, जो 18 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, जो 22 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 263 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2018, जो 29 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT 4088/17/21)

- (9) एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2020 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 4014(अ) जो 5 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के गठन के बारे में है।
- (दो) का.आ. 751(अ) जो 18 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 5 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि.4014(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(Placed in Library, See No. LT 4089/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं सुश्री देबाश्री चौधरी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 4090/17/21)

12.02½ hrs

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA ***

SECRETARY GENERAL: Madam, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Insurance (Amendment) Bill, 2021, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th March, 2021."

2. Madam, I lay on the Table the Insurance (Amendment) Bill, 2021, as passed by Rajya Sabha on the 18th March, 2021.

* Laid on the Table.

12.02³/₄ hrs

COMMITTEE ON ESTIMATES

9th Report

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Madam, I beg to present the Ninth Report (Hindi and English versions) of Committee on Estimates (2020-21) on the subject 'Recent Budgetary Reforms for Better Financial Management of Government Expenditure' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)

12.03 hrs**STANDING COMMITTEE ON ENERGY****8th to 17th Reports**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) 'राष्ट्रीय सौर मिशन – एक मूल्यांकन' के संबंध में अट्ठाईसवें प्रतिवेदन सोलहवीं लोक) कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन-गई-में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की (सभा ।

(2) 'विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्तनिष्पादनकारी आस्तियां-गैर/' के संबंध में सैंतीसवें प्रतिवेदन कार्रवाई संबंधी नौवां -गई-में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की (सोलहवीं लोक सभा) प्रतिवेदन ।

(3) 'दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए आरबीआई की संशोधित रूपरेखा का विद्युत क्षेत्र में एनपीए पर प्रभाव' के संबंध में चालीसवें प्रतिवेदन सोलहवीं)ं लोक सभामें अंतर्विष्ट (कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन-गई-सिफारिशों पर सरकार द्वारा की ।

(4) 'गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में दबावग्रस्तनिष्पादनकारी आस्तियां-गैर/' के संबंध में बयालीसवें प्रतिवेदन सिफारिशों पर सरकार द्में अंतर्विष्ट (सोलहवीं लोक सभा)वारा की-गई- कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

(5) 'जल विद्युत' के संबंध में तैंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों (सोलहवीं लोक सभा) कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन-गई-पर सरकार द्वारा की ।

(6) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों)2019-20) के संबंध में पहले प्रतिवेदन कार्रवाई -गई-में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की (सत्रहवीं लोक सभा) संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन ।

- (7) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों)2019-20) के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन सत्रहवीं) में अंतर् (लोक सभाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कीकारवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन-गई- ।
- (8) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों)2020-21) के संबंध में तीसरे प्रतिवेदन कार्रवाई -गई-फारिशों पर सरकार द्वारा कीमें अंतर्विष्ट सि (सत्रहवीं लोक सभा) संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन ।
- (9) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों)2020-21) के संबंध में चौथे प्रतिवेदन सत्रहवीं) कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन-गई-में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की (लोक सभा ।
- (10) '175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना (जीडब्ल्यू)' विषय संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन ।
-

12.03½ hrs

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER
AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
9th to 12th Reports

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): महोदया, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2020-2021) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की अनुदानों की (विभागमांगों)2021-22) के संबंध में 9वां प्रतिवेदन ।
 - (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य,और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की (उपभोक्ता मामले विभाग)) अनुदानों की मांगों2021-22) के संबंध में 10वां प्रतिवेदन ।
 - (3) 'आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धिभावकारण और प्र -' विषय के संबंध में 11वां प्रतिवेदन ।
 - (4) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण तकनीकी साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना - ""एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना का कार्यान्वयन' विषय के संबंध में 12वां प्रतिवेदन ।
-

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

Statement

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदया, जल शक्ति मंत्रालय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के “जल संरक्षण के स्वदेशी तथा आधुनिक रूप- तकनीकें और पद्धतियाँ” के संबंध में 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.04½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

129th Report

DR. BHARTI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Madam, I beg to lay on the Table a copy of 129th Report on the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020 (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare.

12.05 hrs**STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 4356 DATED 13.12.2019 REGARDING CABLE DIGITIZATION ALONGWITH REASONS FOR DELAY^{*}**

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Madam, I rise to lay a Statement (i) correcting the reply given on 13.12.2019 to Unstarred Question No. 4356 (Hindi and English versions) by Shri Gautam Gambhir, MP regarding 'Cable Digitization' and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

^{*} Laid on the Table and Placed in Library See No. LT 4008/17/21

AUTHENTICATED

696

Ministry of Information and Broadcasting


STATEMENT TO BE MADE BY THE MINISTER FOR INFORMATION AND BROADCASTING CORRECTING THE REPLY TO PART (A), (B) AND (C) LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 4356 ANSWERED ON 13.12.2019 REGARDING "CABLE DIGITIZATION"

QUESTION	PREVIOUS REPLY	REVISED REPLY
(a) whether the Government is aware of the actual number of cable television subscribers in India;	(a) to (c) With the implementation of Digital Addressable System in the country, every Multi-System Operator (MSO)/Local Cable Operator (LCO) is required to install a Subscriber Management System (SMS) which records, inter-alia, number of subscribers with the respective MSO/LCO. As per the seeding data available from MSOs/LCOs, the number of subscribers of Cable TV as on 30.11.2019 is approx. 11.70 Crore. 18% GST is applicable on Cable TV Networks on subscriber fee, which is revenue to the Government.	(a) to (c) With the implementation of Digital Addressable System in the country, every Multi-System Operator (MSO)/Local Cable Operator (LCO) is required to install a Subscriber Management System (SMS) which records, inter-alia, number of subscribers with the respective MSO/LCO. As per the seeding data available from MSOs/LCOs, the number of subscribers of Cable TV as on 30.11.2019 is approx. 7.11 Crore. 18% GST is applicable on Cable TV Networks on subscriber fee, which is revenue to the Government.
(b) if so, the details thereof along with its effects on the revenue of the Government; and		
(c) whether the accurate number of subscribers may be known with complete digitization and if so, the current status of digitization?	Accurate number of subscribers would be known on completion of cable TV Digitization across the country. However, hundred	Accurate number of subscribers would be known on completion of cable TV Digitization across the country. However, hundred

AUTHENTICATED

697

	percent Digitization of Cable TV Network has been achieved in Phase-I(4 metro cities), Phase-II (38 cities with population of more than 10 lacs) and Phase-III (All other urban areas Municipal Corporation/Municipalities). In Phase-IV (Rest of India), it is about more than 90% at present.	percent Digitization of Cable TV Network has been achieved in Phase-I (4 metro cities), Phase-II (38 cities with population of more than 10 lacs) and Phase-III (All other urban areas Municipal Corporation/Municipalities). In Phase-IV (Rest of India), it is about more than 90% at present.
--	---	--


(Prakash Javadekar)

MINISTER FOR INFORMATION AND BROADCASTING

PRAKASH JAVADEKAR
Minister of Information & Broadcasting

AUTHENTICATED

698

REASON FOR DELAY IN CORRECTION THE REPLY TO PART (A), (B) AND (C) LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 4356 ANSWERED ON 13.12.2019 REGARDING "CABLE DIGITIZATION"

The reply to Unstarred Question No. 4356 was laid in the Lok Sabha on 13.12.2019. The reply to Parts (a), (b) & (c) of the question needs to be modified, which came to notice only recently while processing the implementation of the Assurance. As such, statement correcting the reply is being made now.

2. Inconvenience is regretted.


(Prakash Javadekar)

MINISTER FOR INFORMATION AND BROADCASTING

PRAKASH JAVADEKAR
Minister of Information & Broadcasting

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.4356
(TO BE ANSWERED ON 13.12.2019)**

*Corrected
Original
Reply*

CABLE DIGITIZATION

4356. SHRI GAUTAM GAMBHIR

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether the Government is aware of the actual number of cable television subscribers in India;
- (b) if so, the details thereof along with its effects on the revenue of the Government; and
- (c) whether the accurate number of subscribers may be known with complete digitization and if so, the current status of digitization?

ANSWER

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND
MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES
(SHRI PRAKASH JAVADEKAR)**

(a) to (c): With the implementation of Digital Addressable System in the country, every Multi-System Operator (MSO)/Local Cable Operator (LCO) is required to install a Subscriber Management System (SMS) which records, inter-alia, number of subscribers with the respective MSO/LCO. As per the seeding data available from MSOs/LCOs, the number of subscribers of Cable TV as on 30.11.2019 is approx. 11.70 Crore. 18% GST is applicable on Cable TV Networks on subscriber fee, which is revenue to the Government.

699
Corrected Reply

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 4356
(TO BE ANSWERED ON 13.12.2019)

CABLE DIGITIZATION

4356. SHRI GAUTAM GAMBHIR

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

- (a) whether the Government is aware of the actual number of cable television subscribers in India;
- (b) if so, the details thereof along with its effects on the revenue of the Government; and
- (c) whether the accurate number of subscribers may be known with complete digitization and if so, the current status of digitization?

ANSWER

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND
MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES
(SHRI PRAKASH JAVADEKAR)

(a) to (c): With the implementation of Digital Addressable System in the country, every Multi-System Operator (MSO)/Local Cable Operator (LCO) is required to install a Subscriber Management System (SMS) which records, inter-alia, number of subscribers with the respective MSO/LCO. As per the seeding data available from MSOs/LCOs, the number of subscribers of Cable TV as on 30.11.2019 is

7700

approx. 7.11 Crore. 18% GST is applicable on Cable TV Networks on subscriber fee, which is revenue to the Government.

Accurate number of subscribers would be known on completion of cable TV Digitization across the country. However, hundred percent Digitization of Cable TV Network has been achieved in Phase-I (4 metro cities), Phase-II (38 cities with population of more than 10 lacs) and Phase-III (All other urban areas Municipal Corporation/ Municipalities). In Phase-IV (Rest of India), it is about more than 90% at present.

Handwritten notes at the bottom of the page, partially legible, mentioning "The Cable network also plan to..." and "Digital India".

12.05½hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 328th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology.*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Madam, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 328th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Scientific & Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4009/17/21

12.06 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, with your kind permission, I rise to announce that Government business during the week commencing Monday, the 22nd of March, 2021 will consist of: -

1. consideration of any item of Government business carried over from today's order paper: - [it contains consideration and passing of (i) the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill 2021 and, (ii) the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill 2021]
2. consideration and passing of the following Bills: -
 - (i) The Finance Bill, 2021.
 - (ii) The Tribunals Reforms (Rationalization and Conditions of Service) Bill 2021.
 - (iii) The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021.
 - (iv) The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021.

(v) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021.

(vi) The Marine Aids to Navigation Bill, 2021.

(vii) The National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021 after its introduction.

3. Consideration and passing of the following Bills as passed by the Rajya Sabha:

(i) The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020.

(ii) The National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill, 2021.

(iii) The Insurance (Amendment) Bill 2021.

12.09 hrs

MATTER UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: आज जिन माननीय सदस्यों को 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

**Regarding sanctioning of a Jawahar Navodaya Vidyalaya in Araku
Parliamentary Constituency**

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): I would like to draw the attention of the Government House towards the fact that I represent Araku constituency which is a reserved constituency. Majority of the people in my constituency belong to the tribal community.

In this regard, I would like to submit that better education facilities for the tribal students are the utmost need of the hour. I had requested the then Hon'ble Minister of Human Resource Development to kindly sanction one Jawahar Navodaya Vidyalaya in CHINTAPALLI area in Paderu Assembly Constituency.

* Treated as laid on the Table.

I would once again request the Hon'ble Minister of Education to sanction a Navodaya Vidyalaya as early as possible so that the students of my constituency, especially from the tribal community, may be benefited.

12.09 hrs

*** MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY (AMENDMENT) BILL, 2020**

Amendments made by Rajya Sabha

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR.

HARSH VARDHAN): Madam, I beg to move:

“That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 be taken into consideration: -

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word “Seventy-first”, the word “Seventy-second” be *substituted*.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 4, *for* the figure “2020”, the figure “2021” be *substituted*.”.”

* The Bill was passed by Lok Sabha on the 17th March, 2020 and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held on the 16th March, 2021 and returned it to Lok Sabha on the same day.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 be taken into consideration: -

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, for the word “Seventy-first”,
the word “Seventy-second” be ***substituted***.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 4, *for* the figure “2020”,
the figure “2021” be *substituted*.”.

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: We shall now take up amendments made by Rajya Sabha. I shall now put amendment Nos. 1 and 2 made by Rajya Sabha together to the vote of the House.

The question is:

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word “Seventy-first”,
the word “Seventy-second” be *substituted*.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 4, *for* the figure “2020”,
the figure “2021” be *substituted*.”.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move that the amendments made by Rajya Sabha in the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020, as passed by Lok Sabha, be agreed to.

DR. HARSH VARDHAN: Madam, I beg to move:

“That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to.”

The motion was adopted.

माननीय सभापति : खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, **2021** – माननीय मंत्री जी ।

...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): मैडम, जीरो अवर होगा?... (व्यवधान)

माननीय सभापति : शाम को होगा ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : शून्य काल शाम को 6 बजे लिया जाएगा ।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): यह बहुत इम्पोर्टेंट बिल है ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपस में बात मत कीजिए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, बिल के बारे में कुछ बोलिए ।

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Zero Hour will be taken up at 6 o'clock.

... (Interruptions)

12.10 hrs

**MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT
AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2021**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND

MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): I beg to move^{*} :

“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration.”

Madam, thank you for providing the opportunity to present this Bill. Mining is a very important sector. We have the same mineral potential compared to South Africa and Australia. India produces around 95 minerals. Despite having the same share, the same geological mineral potential, हमारा परफॉर्मेंस मिनरल सेक्टर में बहुत गणनीय मात्रा में कम है । Considerably, it is less. We produce worth around Rs.1.25 lakh crore of the minerals and we import around Rs.2.5 lakh crore worth minerals. हमारे पास गोल्ड रिज़र्व भी है । We have approximately around 501 million tonnes of gold reserves. But every year we import around 983 tonnes of gold which is worth around Rs.22.9 thousand crore.

^{*} Moved with the recommendation of the President.

इससे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे देश में कोयला बहुत बड़ी मात्रा में है। We have the fourth largest reserve of coal in the world. Our coal reserve as on date, जो असेसमेंट किया गया है, सर्वे किया गया है, is around 326 billion tonnes. But still in 2019-20, we have imported around 248 million tonnes of coal. It is almost worth Rs.1.5 lakh crore. हमारी जीडीपी भी, contribution by the mining sector to GDP is just 1.75 per cent; whereas in South Africa it is around 7.5 per cent and in Australia it is above 7 per cent.

Madam, I would like to speak at length but my reply will be quite shorter. Whatever clarifications are there, I will reply to that only.

After agriculture, mining is the biggest employment generator. One per cent growth in the mining sector generates almost one lakh direct employment and five-lakh indirect employment opportunities. Despite having all this, we are still underexplored. Our Government under the leadership of Shri Narendra Modi ji brought an amendment in 2015 introducing the transparent and non-discretionary method of allocating the mineral resource through auction. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let there be order in the House.

... (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी: मैडम, आप जानती हैं, हम सब जानते हैं कि पहले फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व होता था। There was discretion; चिट्ठी पर चलता था। जिनकी चिट्ठी आती थी, उनको कोल माइन मिलती थी। जिनकी चिट्ठी आती थी, उनको माइन मिलती थी। Now, we have changed that entire system. There is now transparent auction system, that is online. The mantra of hon. Prime Minister who has directed and guided all of us, all

the Ministers, is “Reform, Perform and Transform”. कितना भ्रष्टाचार होता था, कितने स्कैम्स हुए, यह हम सब जानते हैं । I do not want to go into the details. I am not interested in that. We have now started reforms, and we should unanimously bring a major change which can contribute to a great extent to the State exchequer.

Continuing with our reforms in this sector, in 2019 BJP manifesto, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, we had promised that in coming few years we will bring the contribution of the mining industry to GDP from one per cent to 2.5 per cent. That was our promise. Especially, making use of the lockdown period, we have utilised all our channels of energy in finding out a solution to the problems of not only this sector but many other sectors also. After having interactions with the States, stakeholders, and others, we have formalised this major reform.

Our Government, under the leadership of Shri Modi ji, aims at unshackling the huge potential of mining sector to generate employment. We are also taking care of the welfare of the people living in the mining areas. For the first time DMF, District Mineral Foundation, was instituted in 2015. The major objective of this reform is to generate employment. Around 55 lakh, direct and indirect, employment opportunities are expected to be generated through this reform. These are the major points with regard to this reform.

हमारी चिंता का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि हम क्यों माइनिंग सेक्टर में ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं । Why our performance was quite low despite having rich natural resources? Only ten per cent of the total OGP (Obvious Geological Potential)

is being explored. Out of that ten per cent, only 1.5 per cent is mined. ओ.जी.पी. एरिया में माइनिंग एक्टिविटीज़ केवल 1.5 प्रतिशत ही होती हैं। इसलिए माननीय प्रकाश जी को हमने अपने मंत्रालय की ओर से निवेदन किया था। He was kind enough to consider more exploration work. जहां पेड़ों की कटाई नहीं होनी है, वहां के लिए हमने उन्हें निवेदन किया था। उन्होंने इसे बहुत ही पॉजिटिवली कंसीडर किया है। इस सदन के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद समर्पित करता हूं।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): हमारे यहां पोटाश के बारे में भी जरा पता कर लीजिएगा।

श्री प्रहलाद जोशी: मेघवाल जी, हाँ, बिल्कुल, हम पोटाश का काम कर रहे हैं। हम इसे करवा देंगे।

महोदया, ऑस्ट्रेलिया में ऑब्जियस जियोलॉजिकल potential के 70 से लेकर 80 प्रतिशत तक माइनिंग होती है, दक्षिण अफ्रीका में यह 80 प्रतिशत होती है, पर भारत में यह केवल 1.5 प्रतिशत होती है। The main reason is that we have not involved the private sector in exploration. यहां सिर्फ जी.एस.आई., एम.ई.सी.एल., स्टेट गवर्नमेंट, सी.एम.पी.डी.आई. ही करती हैं। इन सबको कंसीडर करते हुए, to encourage our youth entrepreneurs, start-ups, the Government will allow exploration by the private players having advanced technology in exploration.

We have also decided to provide funding from the National Mineral Exploration Trust, NMET. The Prime Minister has been kind enough to make it a professional and autonomous body. The funds generated in NMET will be completely utilised for exploration and even private players will be involved in the exploration activity. Steps are being taken to further increase the mining activity. At present, the mining leases are given at G2 level. जी-2 लेवल तक लाने

के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ा है। इसलिए हम जी-3 लेवल पर माइनिंग lease की व्यवस्था कर रहे हैं। जी-4 लेवल पर कम्पोजिट लाइसेंस का लेवल दे रहे हैं। जहाँ हम कम्पोजिट लाइसेंस देते हैं, वहाँ फर्दर माइनिंग लीज के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। This is the level of transparency.

The second thing is with regard to transfer of clearances. जब हम एक बार किसी को माइंस दे देते हैं तो माइंस देने के बाद उसके लिए there are around twenty-three clearances which are needed. अगर उनकी माइनिंग लीज खत्म होता है तो नेक्स्ट बिडिंग होता है। A new person will come and take the mining lease. For that, he has to apply everything afresh. That will take years together. Now, we have decided that these clearances should normally be transferred to the new owner like any other infrastructure project. In case of mines, this transfer of clearance ceases once the lease period ends. To encourage ease of doing business -- which is the mantra of the hon. Prime Minister --; to stop the repetitive and redundant process, and to streamline the process, we have decided that these clearances will be transferred to the next successful bidder. To the new lessee, to obtain the fresh clearance of the same mine, is repetitive and time consuming and is creating a hurdle in doing business. Now, we have decided to stop it.

Why was it happening? 'Mines' was not defined in the Mining Act itself. वर्ष 1957 से एक्ट है। अभी हम माइनिंग को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं। By that, all the clearances will be transferred to the next person, that is, through a transparent bidding process. But the departments concerned can monitor and also issue direction on how to function. जब तक माइनिंग लीज, माइनिंग प्लान वही रहता है, तब तक

वह कंटेनर कर सकता है। अगर वह कुछ एडिशनल कंडीशन वगैरह डाल सकता है तो उसमें ले सकता है। लेकिन पब्लिक हियरिंग, एप्लीकेशन, इधर से उधर तथा असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर से दिल्ली तक आने में वर्षों लगते थे। अब हम इन सब चीजों को बंद कर रहे हैं। यह दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमने कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव का एक सिस्टम बना कर रखा है। यह कैप्टिव क्या होता है कि उनका एक प्लांट होना चाहिए। He should own a plant. उस प्लांट के लिए हम एक माइन देते हैं। उस माइन को देने के बाद, अगर वह माइन बड़ी है या छोटी है, कभी-कभी हम बहुत बड़ी माइन देते हैं। अगर उस प्लांट की रिकवायरमेंट कम होती है तो उतना ही माइनिंग होती है। इसीलिए हमने यह निर्णय किया है कि उनके 50 परसेंट प्लांट का जो टोटल प्रोडक्शन होता है, the captive mines may sell up to 50 per cent of the minerals produced during the year after meeting the requirement of the attached plant by paying an additional amount to the States. If he has produced 100 million tonnes, he is allowed to sell 50 million tonnes in the market and for that, he will pay the revenue to the State. In doing so, the State will get an additional revenue also. मैं ऐसे ही आँकड़ा देख रहा था कि हमारा टोटल माइनिंग इतना कम होते हुए भी, at present, if only by allowing 50 per cent to the captive mines, the State is expected to generate around 45 million tonnes of iron ore itself every year and will also get a revenue of Rs. 9000 crore every year.

जैसा मैंने पहले भी कहा कि कैप्टिव और नॉन कैप्टिव मर्चेट सिर्फ भारत में हैं, दुनिया में कहीं और नहीं हैं। So, we are changing this also. हम जानते हैं, पहले भी मैंने कहा कि जो माइनिंग कंसेशंस हम देते थे, माइनिंग लीज देते थे, that we previously used to give discretionarily by allotment route; whether it is captive or non-captive, we used to do it on discretionary method. But, after 2015, हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया। some of them were given in 2015 itself. Transfer of mining concession was not

there. Now, pre-2015 एलोकटेड रूट से भी जो हुआ था, that can also be transferred without any hassle but they have to share whatever it is decided in the Act itself. हमने शेड्यूल में डाला है । There is no discretion even to the Minister in the Modi Government. हमने शेड्यूल में डाला है । शेड्यूल के अनुसार वह 50 पर्सेंट में हो, माइनिंग कंसेशन में ट्रांसफर में हो, माइनिंग कंसेशन ट्रांसफर में तो हमने फ्री ही रखा है । ऐसे ही वर्ष 2015 के पहले, जो लोग फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, under the leadership of Modi Ji, we could come to Government. Earlier, every approval of the mine used to come to the Central Government in Delhi. The previous approval of the Central Government was required before granting the mining lease or prospecting license by the State Government. माननीय मोदी जी फेडरल स्ट्रक्चर में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए 2015 में Our Government has done away with that practice and we have started democratisation of the powers. We have given it to the State Governments and the State Government now without the previous approval of the Central Government can go for auction. States can allocate and this power is given to the State Government. However, in the last five years, after the system of auction came in, around 143 mines were handed to various States. Out of that, only seven mines were auctioned. हमारे नेचुरल मिनरल्स ऐसे ही पड़े हैं । I would like to congratulate the Odisha Government. Comparatively, they have done very well and even Karnataka, for that matter. Only seven mines have been auctioned and in March, 2020, 334 mines got expired. Out of that, 46 mines were working mines. Those working mines were given back to the State Government for the auction. But out of that, only 28 mines were auctioned. After March 2020, they were lying as it is. This

has very adversely affected the mineral supply in the entire country. Now, after having an experience of five years, the Government of India, feels after due consultations with the State Governments and many State Governments have supported this, that many States need support for the auctioning system. Accordingly, we have proposed to assist the State Government to conduct the auction in consultation with the State and once a mine is handed over, we will prescribe a time that within six months or within one year, they have to auction. If that is not done, then the Central Government in consultation with the State Government will take over and the Central Government will auction.

The entire revenue, not a single naiye paisa comes to the Central Government, goes to the State Government. इसके लिए हम बहुत उत्साहित नहीं हैं, क्योंकि सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। But we believe that when States become financially and politically stable, then the States will become strong and consequently, the Central Government also will become strong, the country will become strong and it would then be good for the whole world. This is the thinking of the Modi Government. हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। We propose to assist the State Government to conduct the auction in consultation with them. हम जानते हैं, My sixth reform is this. In 2015, the District Mineral Foundation was established. The fund generated from this Foundation is to the tune of some thousand crores. There is a recommendation even from the Standing Committee in this regard. It has been emphasised that DMF should be utilised for the development of directly affected areas in mining. इसमें इन-डायरेक्टली भी यूज करते हैं, इसमें हम कुछ रेशियो बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट

गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के लिए पॉवर ले रहे हैं। Ultimately the State will decide, but there should be uniformity across the States in implementing the DMF, सभी एमपीज भी खुश होंगे, In that Committee the District Magistrate will be the Chairman and all MPs and MLAs compulsorily will be the Members of that Committee. Therefore, it is proposed to empower the Central Government to issue the directions. अभी कई राज्यों में ऐसा है और कई राज्यों में नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉवर लेकर डायरेक्शन इश्यू करेंगे। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। It would be decided by taking into confidence the MPs and the MLAs. हम गलत बात कुछ ऐसी करते ही नहीं, आप चिंता मत कीजिए। जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं। छत्तीसगढ़ में गलत हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल देश में क्या करना चाहिए, हम इस बारे में सोच रहे हैं। ये सेवेंथ रिफॉर्म है। The next point is with regard to Judicial interpretation of Section 21 of the MMDR Act. There was no proper definition of 'mines' or some other things, I am not commenting on the judicial interpretation, the definition of 'without lawful authority' had created some hurdles and difficulties in ease of doing business in the mining sector. इन्टरप्रिटेशन के कारण क्या हो गया था? A miner can be penalised under this Section for the violation of any Act. For example, the Motor Vehicles Act. एक माइनिंग एरिया में मोटर व्हिकल एक्ट का वायलेशन होता है तो मोटर व्हिकल एक्ट के तहत पेनल्टी होना चाहिए, लेकिन एमएमडीआर एक्ट के तहत पेनल्टी होती है, वॉटर एक्ट है, सभी के लिए एक-एक एक्ट है लेकिन सभी में विदाउट लीगल अथॉरिटी के करोड़ों रुपये के फाइन के कारण माइनिंग सेक्टर ठप हो रहा था। We have even taken the opinion of learned Shri Harish Salve ji and it has been advised that by amending the law we should properly define 'without lawful authority' and by that this problem can be solved. Therefore, we have proposed to clarify

the language of this Section, namely, 'without lawful authority' and almost all the State Governments have supported this.

Our 8th reform is, before 2015, some mines were allocated, चाहे आरपी में हो या पीएल यानी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस में हो । After that, in 2015, it was somehow felt that whichever ones were given under RP and PL should be converted into mining licence. उनको संरक्षण दिया गया था । But in the last five to six years, there are around 572 such cases and, even if you take the minimum worth of these 572 cases, it comes to Rs. 27 lakh crore. Total area comes to 4.6 lakh hectares and out of these 572 cases, a majority of them have neither applied for it nor the State Governments have recommended them. Even if they have somehow recommended, and if you continue this after five or six years, there will be two regimes. One is with auction. We have already auctioned around 105 blocks in various States and it has generated a revenue of more than Rs. 8.3 lakh crore.

Before 2015, if we would have converted RP and PL into ML, in around 4.6 lakh hectares, minimum worth, without adding any premium, would have come to Rs. 27 lakh crore without any auction and there would not have been any level playing field. So, we are now bringing a level playing field.

Hence, we are withdrawing that provision of 10A(2)(b) and all these 572 mines will be brought under auction. Some of them are so old. वर्ष 1980, 1981, 1990, 2000 में दिया गया लेकिन अभी तक माइनिंग लाइसेंस एप्लाइ नहीं किया, नहीं लिया ऐसे ही पड़ा है । Minerals are wasted like anything. कोई काम नहीं आ रहा है । धरती के अंदर ही पड़ा है, इसलिए ऑक्शन लाए । This is not our own proposal. These proposals

have come from many State Governments. Requests have come from many State Governments and we are amending this section.

नौवां रिफार्म है । एक डेफिनेशन माइनिंग ऑपरेशन है । There are many blocks which are not producing even after many years taking the advantage of the term 'mining operation'. दो वर्ष में माइनिंग ऑपरेशन करना है । ऑपरेशन यानी गड्ढा खोदता है तो भी ऑपरेशन होगा, जेसीबी खड़ा करके रोड बनाए, तो भी ऑपरेशन होगा । इसकी एडवांटेज लेकर वर्षों तक कुछ नहीं करते थे । Nothing was done in mines where they were given through allotment. So, we are now proposing to clarify this point for leaseholders to start production and despatch of the minerals within two years of signing mining lease. We are bringing this definition and clarity in the language. पीएसयू के लिए हम ओरिजनल माइन देते हैं, उसके लिए पांच साल दे रहे हैं, It is because we are just giving them original mines. बहुत वर्षों से 1980 से, 1970 से पीएसयू को एलॉट हुआ है । लेकिन, कुछ नहीं किया है, वह ऐसे ही पड़ा हुआ है ।

Now, we have told PSUs that within five years – whether it is State PSU or it is a Central PSU and in this case, we have not made any discretion –they have to start the production within five years. One more extension will be given for some valid reasons. Otherwise, that mine will also be taken and it will be put for the auction in the open market.

Reform is an on-going process. When we interacted with the Government of Karnataka, Government of Odisha, where auction is taking place now, they gave good suggestions. We have incorporated them. We do not feel that whatever Central Government does is only correct. I went to Odisha; I went to Karnataka. राजस्थान में भी आए थे । After having a detailed

discussion with the officers and even with the Chief Minister of Odisha, they have sent many proposals. We have incorporated them also.

According to me, today it is one of the most remarkable days in mining sector which will be remembered in the years to come. Under the leadership of Modiji, we are unshackling the mineral potential of the country.

By this reform, 2.5 per cent of the contribution of mining sector to GDP will strengthen the State economy. By strengthening the States, the country will become strong. When India becomes strong, it will help the entire world. We have seen that in the case of vaccination also. Harsh Vardhanji is sitting here. We are taking care of the entire world.

Madam, with these words, I request all the Members from all sections to support this Bill whole-heartedly and pass it unanimously. As I have already said, reform is an on-going process. If you suggest any good things, we can take into the rule while formulating the rule and for the remaining things, if it is needed, we will further reform this. We want to come up to the level of other countries especially South Africa and Australia which are doing extremely well in the mining sector.

With these words, I once again appeal to the House to kindly consider and pass this Bill unanimously. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration.”

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you, Sir, for your explanation on this Bill and I appreciate what you have said that if there are any suggestions, you can take it forward.

So, my first suggestion is, you kindly read the Supreme Court judgement in 2019. I am talking about the case filed by the Dimasa Students Union versus the State of Meghalaya. The judgement was given by the Supreme Court in 2019. It was specifically related to Meghalaya and rest of the tribal areas. It says that, where the land belongs to the tribal, the mines belong to the tribal. For example, if the mine belongs to the Government, you can lease it. But, if the mine owner and the land owner are the same, how will you lease it?

So, I want that the amendment of the MMDR Act of 1957 should exclude the Sixth Scheduled Areas. I request you to amend the Act and exempt the State of Meghalaya and other States, which have the Sixth Scheduled Areas from this.

Secondly, I think you could convince the friends of BJP that you are taking reforms, but there is no reform; it is totally taking out the rights of the State Government. For example, what reforms are you taking for the DMF? Most of the States who have got mines, from Maharashtra to West Bengal, from Chattisgarh to Odisha, are non-BJP ruled States. That is why, you have brought this Bill to take away the rights of the District Mineral Foundation.

What reform are you doing with regard to DMF when the collection will be from the stakeholders and the fund is supposed to be operated by the Deputy Commissioner, by the local officers there? So, when the Central

Government comes in and interferes in the affairs of the States, what reform will there be? I want the Minister to explain what reform he is bringing in this respect. I would like to say that whether it is in Maharashtra or Meghalaya or Odisha or anywhere else, they use this fund for building schools, roads etc. So, I do not understand what kind of reform you are bringing with respect to DMF. I strongly oppose this measure, because the Central Government should not interfere in the functioning of State Governments. For example, NIA is interfering everywhere in the functioning of State Governments. In the same way, the Central Government is interfering in this field and is taking away the rights of State Governments. I hope my friend will support me on this issue.

Sir, I agree with the Minister that India has got lots of reserves. But I want to know why this Act is being amended almost every year. The Government has amended this Act in 2015, 2016 and almost every year, except in 2018 because there was an election in some States. The Government amended this Act in 2020 and now it is amending it again in 2021. I feel either the Ministry is not competent to make this Act a fool-proof one or there is a strong lobby working behind to make this amendment. Why is there a strong lobby? For example, in the telecom sector, the MTNL is suffering huge losses whereas the private players are doing well. So, here also, what is the Government doing with the captive mines and the non-captive mines? The new allottees will be doing well. How can you ensure a level playing field for all the previous lease holders especially with regard to captive mines? How will you differentiate between the previous allottees and the new allottees? What

will be the charges for those who have got mining leases through the bidding system? I want a clarification from the Minister on this issue. In the name of reforms, I think the Government is creating a disparity between the old allottees and the new allottees.

I would like to say that this amendment is a desperate attempt of the Government to get some quick money because the Government is cash-strapped. That is why they are doing it. Every year, the Government is getting Rs. 1.50 lakh crore from the coal sector. But the Government wants to get more money from this sector. The Government wants to earn about Rs. 9 lakh crore and coal is the only sector from where they can get more money. So, this amendment is a desperate attempt to increase its revenue from this sector.

The hon. Minister said that there is a lot of coal reserves in our country. We have got a reserve of 336 billion tonnes of coal in India. At present, we are importing almost 248 million tonnes of coal every year. Now the Government wants to close the gap of importing coal. Instead of importing, the Government wants to increase the production capacity of our country. But at the same time, we should keep in mind that we are trying to finish our reserves quickly. We are having coal reserves which can last for 400 years. With this amendment, I doubt whether we will be able to use our coal reserves even for 200 years because of too much exploitation of our coal reserves and other minerals. In the last amendment, the Government allowed the captive coal mine owners to sell 25 per cent of their production in the open market. Now, within a year the Government is coming up with another amendment to allow 50 per cent sale in

the open market; not only that, the Government has taken away the power of the Parliament. In future, the Government need not come to the Parliament and they can simply issue a notification. I oppose it very strongly. Hereafter, there will be no amendment Bill before the Parliament because all the power will be vested with the Government. So, I do not know what type of reforms you are doing by avoiding the Parliament. This will pave the way for the Government to make amendments from time to time simply by issuing a notification.

Sir, I would like to make a point regarding the Power Purchase Agreement which the captive mine owners sign with the power producers. The Central Electricity Regulatory Commission did not allow the mine owners to increase the rate. Most of them have now gone to NCLT. The Minister is right that most of the captive mine owners have not started coal production. What is the reason for this? They did not start because it is not viable for them. On the one side, the Coal Ministry is going in one direction and on the other side, the Power Ministry is going in another direction. That is the major reason why they are not able to start coal production.

I think, if 10 people cannot start the work, it does not mean that you would penalise the entire people, who have been doing the work very genuinely.

I hope, my friends from Odisha will also speak on this important Bill.

I think, this Bill should be truly pro-reform and not a reform for a certain section of the people only. With these words, I conclude. Thank you.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 के समर्थन में अपनी पार्टी की तरफ से विचार रखने का अवसर दिया है। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत रूप से यह जानकारी दी है कि इस बिल को लाने के पीछे का कारण क्या है। हम सबको पता है कि भारत के पास खनिजों का भरपूर भंडार है। हमारी संस्कृति में भी इसकी चर्चा की गई है। अथर्ववेद में एक श्लोक है: “विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतोनिवेशनी”। अर्थात् यह धरती रत्नगर्भा है, जिसने खनिज के रूप में अनेक रत्नों को अपने गर्भ में रखा है, परंतु आजादी के बाद से जिस तरह से खनिजों का दोहन होना चाहिए था, उस तरह का दोहन नहीं हुआ, बल्कि शोषण हुआ। विनसेंट पाला जी कह रहे थे कि बार-बार संशोधन की क्या जरूरत है? निश्चित रूप से उनकी पार्टी को संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने धारा 370 का अस्थायी कानून बनाया और भूल गए कि इसको समाप्त भी करना है। इनकी सरकारें इसी तरह के कानून बनाती रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी ब्रिटिश पीएम के सिगार मैन की चर्चा कर रहे थे। अब वह कानून भी चलता रहा है। हम कानूनों में इसलिए परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हम खनिज को जनता के हित में, जो हमें धरती माता ने दिया है, जिसको हम माँ मानते हैं और हमने जिस माता के रूप में कल्पना की है, उसके अनुसार उसका लाभ यहां के नागरिकों को दिला सकें। इस दृष्टि से हमने इसमें संशोधन किया है। हमारे ध्यान में है कि भारत लगभग 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें से 4 फ्यूल रिलेटेड मिनरल्स हैं, 10 मेटेलिक मिनरल्स हैं, 23 नोन-मेटेलिक मिनरल्स हैं, 3 एटोमिक हैं और 55 माइनर मिनरल्स हैं। एक समग्र नीति नहीं होने की वजह से हमारा ध्यान उन सलेक्टेड मिनरल्स के ऊपर ही जाता था। हम समग्रता में इनका ध्यान नहीं रखते थे इसलिए इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको संशोधित किया है।

माननीय मंत्री जी ने खासकर दक्षिण अफ्रिका और ऑस्ट्रेलिया का जो उदाहरण दिया है, उसको समझना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि लगभग 18-19 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के दक्षिण अफ्रिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही भाग थे। एशियाई प्लेट से टकराने के बाद

जब हिमालय पर्वत की संरचना हुई, उसके बाद हम एक-दूसरे से अलग हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो जियोलॉजिकल खनिज की संभावनाएं और क्षमताएं हमारे देश में आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की अपेक्षा कम नहीं, बल्कि ज्यादा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विशाल खनिज संभावनाओं के बावजूद भारत दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के समकक्ष अपनी खनन क्षमता को बढ़ा नहीं पाया। दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया की चर्चा करते हुए, मैं एक बात की चर्चा करना चाहूंगा कि आस्ट्रेलिया में एनवायरनमेंट को पहली प्राथमिकता दी जाती है और एनवायरनमेंट को प्राथमिकता देने के बाद भी आस्ट्रेलिया ने माइनिंग के क्षेत्र में तरक्की की है, लेकिन भारत में जब भी हम माइनिंग की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोई संशोधन करते हैं तो यहां भांति-भांति प्रकार के पर्यावरणविद् रातों-रात उत्पन्न हो जाते हैं, जो धरती की, मौसम की और बाकी चीजों की चिन्ता करने लगते हैं। वे लोग यह चिन्ता नहीं करते हैं कि खनिज उत्पादित करने वाले अधिकांश राज्य, जो पूर्वी भारत के हैं, जिनमें झारखण्ड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल आदि राज्य हैं, वहां के लोगों की स्थिति कितनी दयनीय थी। हमारे झारखण्ड के लोगों के बारे में खासकर कहा जाता है कि 'अमीर राज्य के गरीब नागरिक।' इस धारणा को बदलने की दृष्टि से हमने यह कदम उठाया है, क्योंकि हमसे कम कैपेसिटी होने के बावजूद माइनिंग सेक्टर का दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी में 7.5 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया की जीडीपी में 7 प्रतिशत योगदान है। भरपूर संभावनाओं के बावजूद भारत की जीडीपी में हमारे माइनिंग सेक्टर का योगदान सिर्फ 1.75 प्रतिशत है, जबकि भारत के कुल जियोग्राफिकल एरिया में 17.4 प्रतिशत क्षेत्रफल खनिज सम्पदा से भरपूर है। इसमें से आज हम मात्र .25 प्रतिशत क्षेत्र पर माइनिंग का कार्य कर रहे हैं। इसलिए कितनी बड़ी संभावना हमारे सामने है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। यह संशोधन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास खनिज है और हम मात्र 1.25 लाख करोड़ रुपये के खनिजों का ही उत्पादन कर पाते हैं, जबकि हमारा आयात लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो पहल हुई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक मजबूत खनन और खनिज क्षेत्र के बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है, क्योंकि खनिज और खनन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के

महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यह 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प होना चाहिए। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के मामले में, जो देश के 130 करोड़ देशवासी हैं, उनके संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में यह संशोधन हमारे सामने आया है। यह इसलिए भी आया है कि धरती में खनिज होने के बावजूद हमको गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करना पड़ रहा है। समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत लम्बी चर्चा न करते हुए, जो बात श्री विंसेंट पाला जी कह रहे थे कि बार-बार संशोधन क्यों आ रहे हैं, चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपनी चर्चा के क्रम में विषय को रखते हुए, सारे चेंजेज और लाए गए संशोधनों की चर्चा की है, इसलिए मैं उसको छोड़कर इसको लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, उसे बताना चाहता हूं। हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि पर बार-बार प्रश्न उठाया जाता है, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी के खनिज क्षेत्र की संभावना और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा का उल्लेख किया है। यहां मैं, परम पूजनीय गुरु जी ने ठाणे सम्मेलन में वर्ष 1972 में जो भाषण दिया था, उसे कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

“हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए – अधिकतम उत्पादन और समान वितरण और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता होनी चाहिए हमारा निकटतम लक्ष्य। बेरोजगारी और अर्द्ध-रोजगार की समस्या का निराकरण युद्धस्तर पर होना चाहिए।”

इसी सोच के चलते, इसी सोच को बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने इस संशोधन विधेयक को सदन के सामने रखा है।

13.00 hrs

सबसे अच्छी बात यह है कि एमएमडीआर एक्ट में संशोधन लाने से पहले सभी पक्षों से बातचीत की गई है और लगातार बातचीत की गई है, खासकर विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों, नीति आयोग की अलग-अलग कमेटियों द्वारा आम जनता के लिए और साथ ही साथ इस संशोधन के माध्यम से कोल एंड स्टील की स्टैंडिंग कमेटी ने अनेकों बार सुझाव दिए हैं, उनको भी इसमें अकामोडेट किया गया है। इसलिए इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि देश की खनिज क्षमता में 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। आपको पता है कि खनिज के क्षेत्र में अगर एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 1.5% की वृद्धि होती है। खनिज के क्षेत्र में खासकर माइनिंग के क्षेत्र में, क्योंकि इस पूरे संशोधन से अनुमानित है कि लगभग 75 से एक करोड़ नए रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होंगे।

महोदया, यहां जानना आवश्यक है कि अगर एक नया प्रत्यक्ष रोजगार खनिज के क्षेत्र में पैदा होता है तो लगभग दस नए अवसर बढ़ते हैं। यह सिर्फ मैं किताबी ज्ञान पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक प्रमुख खनन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज मैं यह कह सकता हूं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र चतरा, जिसमें चतरा, लातेहार और पलामू जिला है, वह कोयले के मामले में बहुत अग्रणी स्थान रखता है। हम कोल इंडिया की जो अनुषांगिक इकाई सीसीएल है, उसका सबसे बड़ा उत्पादन देते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एक डायरेक्ट एंप्लॉयमेंट जनरेट होने पर माइनिंग के एरिया में लगभग 10 अप्रत्यक्ष रूप से अवसर खड़े होते हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

श्री सुनील कुमार सिंह : मैडम, आपने जब शॉर्ट करने के लिए कहा है तो मैं बहुत चर्चा न करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि विनसेंट पाला जी ने कहा है कि क्यों जरूरत पड़ी है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सरकारों के समय जो सरकार का कल्चर था, वह एबीसीडी कल्चर था। एबीसीडी कल्चर में ए का मतलब है वाइट, बी का मतलब है बाईपास, सी का मतलब है कंप्यूज और डी का

मतलब है डिले। इसी एबीसीडी कल्चर पर वे काम करते रहे, जिसके चलते झारखंड जैसा राज्य, जो खनिज के प्रचुर भंडारण के बाद भी आज गरीब है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की राष्ट्रीय कार्यशाला में रोडमैप दिया था और उन्होंने रोड के बारे में कहा था कि आर फॉर रेस्पांसिबिलिटी, ओ फॉर ओनरशिप, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी और डी फॉर डिस्सीप्लिन। हमारा रिफॉर्म इसी आधार पर आगे बढ़ने वाला है। माननीय मंत्री जी ने चर्चा करते समय जो कहा है, उसको हम श्री आर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो इस संशोधन को करने के पीछे का रीजन क्या है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया और फिर हम क्या रिफॉर्म कर रहे हैं, वह भी मंत्री जी ने बताया है। इसके माध्यम से रिजल्ट क्या होगा तो रिजल्ट के रूप में निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि हमने जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है, उस 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को बनाने के लिए यह संशोधन जरूरी है।

प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोट करते हुए कहा भी था कि अंग्रेजी में एक कहावत है - 'Size of the cake matters.' अंग्रेजी की इस कहावत के अनुसार केक का साइज जितना बड़ा होगा, उसका लाभ उतने ही ज्यादा लोगों को मिलेगा। इसलिए खनिज के क्षेत्र में उत्पादन हम जितना बढ़ाएंगे, उस क्षेत्र में हमारी जितनी आय बढ़ेगी, उसी हिसाब से हमारी सुख-सुविधाएं और बाकी के काम भी बढ़ेंगे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि एमएमडीआर एक्ट में हो रहा संशोधन, उसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधन के बारे में बाकी चीजें कही गई हैं, चूंकि आसन की ओर से शॉर्ट करने का आग्रह है। मैं उसे शॉर्ट करते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि इससे कैपटिव और नॉन-कैपटिव खाद्यानों के अंतर को समाप्त करने से खनिजों को बिक्री और उपभोग के लिए खोला जा सकेगा। दूसरा, समयपूर्ण उत्पादन करने से रेवन्यू शेयर में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से खनिज क्षेत्र में जो अवसर उपलब्ध होंगे, उसके माध्यम से पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन

के क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से हम विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और खनिज भंडारों का समुचित दोहन हो पाएगा, इसलिए इसके माध्यम से जो खासकर अनुच्छेद 10(एबी) और 10(2)(एसीके) बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है, तो उसमें संशोधन सच्चाई यह है कि खनन क्षेत्र को बेड़ियों से मुक्त करने का एक सार्थक प्रयास इसके माध्यम से हुआ है। साथ ही साथ इसके कारण 500 से अधिक मिनरल्स ब्लॉक्स नीलामी योग्य हो जाएंगे और पीएसयूज भी अपने वर्किंग की ओर ध्यान देंगे, उनमें वर्क कल्चर की ओर आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होगी और जो माइनिंग ऑपरेशन का डेफिनेशन बदला है, उसमें उत्पादन और डिसपैच पर जोर होगा।

सभापति महोदया, डीएमएफटी की चर्चा हो रही थी। विनसेंट पाला जी ने कहा है कि डीएमएफटी राज्यों के अधिकार में कटौती है। अब मुझे नहीं पता है कि वह किस संघवाद की धारणा से काम करती है, क्या राज्यों को चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में डीएमएफटी में इम्पीच को स्थान देने में राज्य के अधिकारों में कटौती होगी, क्या माननीय सांसद अपने क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि अनेक राज्यों में, लोग जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं, आपने प्रभारी मंत्रियों को उसका चेयरमैन बना डाला है। राजस्थान में वही हो रहा है। आप बंगाल में कभी डीएमएफटी की बैठक नहीं बुलाते हैं। यह जानने की जरूरत है कि डीएमएफटी में हम सिर्फ माननीय एमपी को इनक्लूड करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात को जानने की जरूरत है कि डीएमएफटी की जरूरत क्यों पड़ी? आपके ध्यान में भी होगा कि आदिवासी बहुल जिलों में पूरे भारत की खनिज बेल्ट है, खनिजों का दोहन खूब हुआ है, शोषण खूब हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों के हित में कुछ नहीं हुआ है। इसी को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हम खनिज संपन्न क्षेत्रों के निवासियों को समृद्ध बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और उन्होंने खास कर ग्लोबल बिजनेस सम्मिट में यह विकास के बहुत से आयाम हैं। हमें एक तरफ अधिक आय की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हमें समावेशी समाज की भी आवश्यकता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के दबाव और तनाव को संतुलित रखता है, इसलिए वह आबादी जहां से

खनिज का उत्पादन होता है, जिसके माध्यम से प्रधान मंत्री खनिज विकास कार्यक्रम को इम्प्लिमेंट करने की जिम्मेवारी है।

सभापति महोदया, आप ज्यादा समय नहीं दे पा रही हैं, इसलिए मैं आंकड़ा नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में यह कागज है, एलोकेशन के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि राजस्थान में जो कलेक्शन हुआ है, उसका मात्र 29 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, वहीं वेस्ट बंगाल में मात्र 23 प्रतिशत खर्च हुआ है, उसके अलावा महाराष्ट्र में 41 प्रतिशत खर्च हुआ है, झारखंड की भी यही स्थिति है। कुल 2,14,014 योजनाएं सैंक्शन्ड हैं और अब तक मात्र 95 हजार योजनाएं कंप्लीट हुई हैं और तो और 16.875 योजनाएं हाथ में लेने के बाद छोड़ दी गई हैं। इस अधिनियम के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि सिर्फ सदस्य ही नहीं बनाएं, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंसेंट भी अनिवार्य करें। मैं आपके माध्यम से यह भी सामने रखना चाहता हूँ।

आपका आग्रह है कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ, तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस संशोधन के माध्यम से प्रोडक्शन डबल होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी इस संशोधन के माध्यम से स्टेट के रेवेन्यू की कटौती नहीं की गई है, बल्कि इसके माध्यम से एडिशनल रेवेन्यू देने का प्रयास किया गया है और पीएम खनिज विकास योजना का क्रियान्वयन होगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कहा था, मैं अंत में उसे कोट करूंगा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपने की नींव रखी जा रही है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने में समर्थ होना पड़ेगा और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत है। मैं इसी के साथ उनकी एक कविता को कोट करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा:

‘वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है।

चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है,

विकास के यज्ञ में जन-जन के परिश्रम की आहूति, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है।

गरीब अमीर बनें, नए हिन्द की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है,
देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा, अब न्यू इंडिया दौड़ने को तैयार है।
दौड़ना ही न्यू इंडिया का सरोकार है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को कोट करता हुआ, माननीय मंत्री जी श्री प्रह्लाद जोशी जी को
अत्यंत बधाई देते हुए, इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस संशोधन के माध्यम से खनिज
विकास के माध्यम से देश की गरीब जनता को समग्र विकास नसीब होगा। धन्यवाद।

माननीय सभापति: हमें आज दो महत्वपूर्ण बिल समाप्त करने हैं। इसलिए लंच आवर को स्किप
किया जा रहा है। हम इसी डिस्कशन को कंटीन्यू करेंगे।

श्री एन. रेड्डप्प जी।

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you, hon. Chairman, for giving me this opportunity to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulations) Amendment Bill, 2021. This Bill is in the direction taken by the Government to revive the economy following the pandemic. It will give a boost to the mining sector, especially commercial coal mining and attract more investment into the sector.

Madam, however, in spite of a number of amendments, which have been done in the original Act, and which, no doubt, were necessary, the mining sector is still not liberated. In order to fully harness the potential of the mineral sector, increase employment and investment in the mining sector, including coal and increase the revenue to the States, it is extremely necessary to further amend the Act.

Our hon. Chief Minister, Shri Jaganmohan Reddy and our party welcomes the major changes to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021. I would like to inform the House about the main changes that are going to be brought in through this Bill.

One, the Bill seeks to remove the distinction between captive and merchant mines by providing for auction of mines in future without restriction of captive use of mineral.

Two, it allows existing captive mines, including captive coal mines to sell up to 50 per cent of the minerals produced after meeting the requirement of the linked end-use plants to ensure optimal mining of mineral resources and specify the additional amount to be changed on such sale. Madamji, this is

indeed a much-required move. The sale of minerals by captive plants would definitely facilitate an increase in production and supply of minerals and ensure economies of scale in mineral production which ultimately will help in stabilising the price of ore in the market and bring in additional revenue to the States.

Thirdly, the State Governments, like Andhra Pradesh, have already taken sufficient steps to bring more and more transparency in the auction process. Moreover, there are apprehensions that this amendment would allow the Union Government to prefer certain bidders. These provisions are taking over the ownership of the State Government over the mines. The State Governments must have a larger role in auctioning of the mines.

Under cooperative federalism, the States should be allowed to exercise their right to bring their mines to auction after considering all the associated parameters.

The Bill also proposes to fix additional royalty payments to the States for the extension of mining leases for Central Public Sector Enterprises, but this may lead to lower revenues for the States compared to a transparent auction process.

Fourthly, Madamji, the current Bill also ensures that all the approvals, clearances and licences granted to a lessee in respect of a mine shall continue to be valid even after the expiry or termination of lease and such clearances shall be transferred to and vested with the successful bidder of the mining lease. This will ensure continuity in mining operations even with change of

lessee, conservation of minerals and avoid repetitive and redundant process of obtaining clearances again for the same mine.

Fifthly, another major point in the Bill is that restrictions on transfer of mineral concessions for non-auctioned mines to attract fresh investment and new technology in the sector have been removed. This is also a welcome move and will help in freeing up the sector.

Madamji, the Bill also empowers the Central Government to notify the area and conduct auction in cases where the State Governments face difficulty in notifying the areas and conducting auction or fails to notify the area or conduct auction, in order to ensure auction of more number of mineral blocks on regular basis for continuous supply of minerals in the country.

Madamji, for the above clause, I request the Government to have regular and periodic discussions with the State Governments and also to take into account the views of all stakeholders because this clause can be used arbitrarily and will be contentious in future also. So, definitely it should not be an infringement on the federal structure of the country.

Now, I come to suggestions. I request the Central Government to have a single-window clearance facility and to empower the State Governments to clear projects within a small area at the State level itself. Right now, lot of time is getting wasted due to unnecessary paper pushing between the States and Delhi. If this is sorted out, and I hope that the Central Government would seriously consider this suggestion, I believe we can free up the sector.

Our learned Minister, Shri Pralhad Joshi, also stated that if the State Government is strong, the Central Government is also going to be strong. In turn, the Modi's Government will get a good name in the entire world. Therefore, in the present circumstances, as per the financial position, we have to change Acts now and then. So, I am supporting this Bill to amend the MMDRA. Thank you.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, धन्यवाद ।

सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने माइन्स एंड मिनरल्स का जो यह बिल पेश किया है, इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हूँ। वर्ष 2015 से 2021 तक इस पर कम से कम चार बार अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, यह चौथा अमेंडमेंट है। वर्ष 2015 में जब इस बिल में अमेंडमेंट हुआ, तब गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया था कि इसमें बहुत से सुधार करने हैं, जिसके लिए वे अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। अब वर्ष 2021 में जो यह बिल आया है, इसमें भी वही बात है।

सभापति महोदया, एक बात सही है कि माइनिंग सेक्टर देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्टर है। दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा अनियमितता या चोरी माइनिंग सेक्टर में होती है, चाहे वह कोयले की हो या आयरन की हो। सिलिका, बॉक्साइट आदि माइनर माइनिंग में आते हैं, लेकिन मेजर माइनिंग में ज्यादा से ज्यादा इररेग्युलैरिटीज़ करने का प्रयास कई लोग हमेशा करते हैं। इस कारण देश को जिस प्रोडक्ट से ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, देश की इनकम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, वहीं इस सेक्टर में ज्यादा इररेग्युलैरिटी होने की वजह से वहां चोरी ज्यादा होती है और उस स्टेट को या पूरे देश को उससे जो फायदा होना चाहिए, वह फायदा नहीं हो रहा है।

इसके लिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। पहले ऐसा होता था, खासकर मेरे क्षेत्र – महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में कलनी, रेड्डी, तलवनी की जो मेजर माइनिंग है, वे 60 वर्ष के लिए उस पर लीज दे चुके हैं। इसके लिए जो भी रूल्स एंड रेग्युलेशन्स हैं, उनको कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। वहां एक जिले के लिए एक माइनिंग ऑफिसर होता है। इतने बड़े स्तर पर जो काम होता है, वह उसका सही तरीके से सुपरविजन नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से माइनिंग का उत्खनन होना चाहिए, डिगिंग के ऊपर जिस तरीके से उनका कंट्रोल होना चाहिए, दुर्भाग्य से आज मेजर माइनिंग में उत्खनन करते हुए उस पर कंट्रोल नहीं है।

कई वर्षों पहले गोवा में इतनी बुरी तरह से माइनिंग का उत्खनन हुआ कि समुद्र का पानी वापस आना शुरू हो गया, तब गोवा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई। ऐसे ही मेरे सिंधुदुर्ग

जिले की तीन-चार माइनिंग कंपनीज़ के बारे में मैंने बताया, उनकी हालत भी वैसी ही है। उत्तराखंड में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, यह आप सभी को मालूम है। माइनिंग सेक्टर पर कंट्रोल लगाने और सही नियम बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से बार-बार, यानी वर्ष 2015, 2016, 2020 और 2021 की तरह हर वर्ष एक-एक अमेंडमेंट करने वाला बिल नहीं आना चाहिए। वर्ष 1957 का यह जो कानून है, इसको सही तरह से अमल में लाने के लिए एक बार गवर्नमेंट इस पर सही तरीके से अध्ययन करे और एक ही बार में सुनिश्चित कर के उसमें प्रावधान करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा माइनिंग सेक्टर है, चाहे वह चंद्रपुर हो, नागपुर हो या रामटेक हो। सिंधुदुर्ग और गोवा भी माइनिंग का एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन इस माइनिंग सेक्टर में जिस तरह कोल-वॉशरीज़ का काम चलता है, दस परसेंट सही कोयले को 90 परसेंट बोगस कोयले के साथ मिलाकर सप्लाई करने जैसी कई गलत गतिविधियां कोयले या आयरन-ओर के साथ होती रहती हैं। इसके कारण देश को जो फायदा होना चाहिए, वह नहीं होता है।

मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ स्पष्टीकरण की भी मांग कर रहा हूं। कई दिनों पहले हम कई सारे मेंबर्स आपसे मिले थे और हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी कैबिनेट ने इसके ऊपर कुछ सोचा है, ऐसा आपने इसमें क्वोट किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसकी फंक्शनिंग करती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड की कमेटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसका मेंबर होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, यह हमारी मांग थी। आपने इसे अपने नोट्स में लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य से जो बिल है, उसमें भी उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए था। जैसा कि हमारे आदरणीय साथी ने बताया, सैक्शन-9B में it is said, "The composition and functions of the District Mineral Foundation shall be such as may be prescribed by the State Government".

डिस्ट्रिक्ट माइनिंग मिनरल फंड में इस बिल के माध्यम से एमपी को स्थान देने की आवश्यकता है अन्यथा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को यदि लिखा होगा और उसे सही तरीके से अमल में लाए होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपने यदि इस विधेयक के माध्यम से माइनिंग के जो सैक्टर्स हैं, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल लगाने की कोशिश की, तो मैं विनती करूंगा कि आपके प्रयास का हम समर्थन करेंगे। मैं एक बार फिर कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग मिनरल फाउंडेशन में एमपीज को सदस्यता अधिकृत रूप से देने की आवश्यकता है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Madam Chairperson, thank you for calling upon the Biju Janata Dal to speak on this very very important piece of legislation that this House is intending to pass.

Let me straightaway, at the threshold, thank the hon. Minister, and convey my gratitude to the hon. Minister for having shown great appreciation for the manner in which Odisha Government under Shri Naveen Patnaik ji's leadership has conducted its mining affairs. I am only desirous that his local leaders also take a leaf out of the hon. Minister's book and appreciate what Shri Patnaik is doing there because very often we find that the local leaders unfortunately are not in sync with the national leaders and they tend to criticise many of the State Government's actions without any foundation at all. बहुत दुख की बात है कि केंद्र सरकार के मंत्री प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का कोऑपरेटिव फ़ेडरलिज्म का बड़प्पन दिखा कर राजनीति करना चाहते हैं, मेरे खयाल से यदि स्टेट लेवल के लीडर्स भी वह करें, तो उससे स्टेट का फायदा होगा और पार्टी का भी फायदा होगा।

What the hon. Minister said by way of appreciation is not unfounded. I will just give a couple of figures in a couple of minutes and show why Odisha plays such an important role in the national mining scene. During 2020, while the total iron ore production in India was 222.30 million metric tonnes, Odisha accounted for 60 per cent of the production. It is that high! So, when the entire country, including Odisha, was impacted by COVID-19 pandemic, due to the very pragmatic approach of Naveen babu, the State did not make any distinction between essential and non-essential commodities, and facilitated unhindered movement of goods traffic. As a result, Odisha has been

successful in producing 74 per cent of last year's iron ore production and more than 100 per cent of coal production. These are extraordinary figures. That is why the hon. Minister said what he said.

So, during 2020 we have also conducted successful auction of more than 24 working mines, out of which 19 have been signed, and production has started in 90 per cent of these leases. Another 13 mineral blocks are now ready to go for the auction. So, we are hoping under Naveen babu's leadership to double our mineral production, especially iron ore and coal production in the next five years. So, as you can see, Odisha is poised to play a very important and seminal role in India's growth story and in realising the Prime Minister's dream of a five trillion-dollar economy by 2022.

I am mindful also of the fact that the Central Government has, in its wisdom, on many of these issues taken the State Government on board and taken their very important suggestions on board while enacting legislation. There is no denying the fact that after 2015 we saw very heavy-duty recommendations being implemented as part of mining reforms. Today, some of these amendments which are being proposed in the Bill are long overdue and, therefore, we welcome the hon. Minister's initiative to come up with this Bill.

The amendments with regard to Section 3 are important. They were needed. I am not going to compliment the Government and the hon. Minister at great length. It has already been said what are the good aspects of this Bill. So, I am not going into that at all because the hon. Minister has rightly flagged

all the important and good aspects of the Bill. I am only going to flag some of the issues and some of the suggestions that the State Government had made which may have been overlooked in this Bill.

I know it is a dynamic process. Further amendments are likely to come in the future. As the mining sector improves, as the economy improves and as the situation changes, I am sure the Government will be nimble in bringing further amendments to the House. But in Clause 3 definition, one major issue of concern is that in the definition of 'Dispatch', the inclusion of 'consumption of minerals and mineral products within such leased area' leaves some ambiguity and can be misutilized by the lessee. Such a provision has the potential of illegal consumption of any of the minerals, and therefore, can cause theft of mineral and consequent loss of revenue both to the Centre and the States. So, I request the hon. Minister to address this concern and attempt to bring some amendments in the proposed definition so as to ensure safeguards against misutilization. This is one of the suggestions that we had made.

Thereafter the State Government had also suggested and those have been brought on board about the critical provisions of 10B, sub-clause (3), sub-clause (4) of Clause 11 wherein it has been provided for that where the State Government has not notified such areas for grant of mining lease, the Central Government may step in. Now, some criticism has come from some quarters that this is an impingement on the federal structure of our Constitution. I am somewhat ambiguous on this. I feel that it does tend to give Central Government excessive powers. I suppose in certain situations these

powers need to be exercised, but it should not be unbridled powers because the federal structure of our Constitution must be borne in mind. Therefore, I reiterate on behalf of my State Odisha that the exercise of these powers should be done very sparingly and only in the exceptional circumstances and that this should not become an excuse for these powers to be continuously exercised and to take away and whittle down the powers that the State Governments has under the Constitution with regard to mining sector.

Another provision which has some cause for concern for the State of Odisha, and I am sure for other mineral bearing States as well, is with regard to the insertion of a proviso to Clause 9B that the hon. Shiv Sena Member just spoke about which is regarding the District Mineral Foundation. It is a new proviso which says, "provided that the Central Government may give directions regarding composition and utilization of fund by the DMF". The composition I can understand. I just had a chat with the hon. Minister. He was very gracious. He said for instance, Members of Parliament to be included. That is a salutary suggestion. I think that will bring about some degree of supervision that MPs can have in their areas. Regarding the direction regarding utilization of funds to the State Government, my State has disagreed on this issue during the consultation phase. Let us face it. Both the Central Government and the State Governments work for the welfare of the people. We are both partners in this process. Therefore, trust must be there between the Centre and the States and therefore, I suggest and my State very seriously suggests that this provision may perhaps be couched either in very definite terms or may be entirely

exempted from the proposed amendments since it has the potential to really whittle down the States' powers as far as discretion to utilize these DMF funds are concerned because after all, the entire ecological damage that happens happens in the State and for its people. Therefore, the DMF is intended to benefit those areas which are degraded because of mining activities and the people who directly suffer as a consequence of that. The State Government is in the best position to understand what is the level of degradation and therefore which are the people which are directly to be benefited.

I am just going to conclude in a minute or so. I am happy to note that many of our suggestions have been considered positively with the inclusion of Clause 12A. The new lessees selected through the auction route have a stipulation of minimum production requirement. In case of failure, they are to be imposed with penalties etc. That is good. Odisha had suggested to make the weighted average grade of ore of the previous two years of production to be the basis for calculating the penalties in case of default. Both these proposals have been included in the draft Bill. So, we are very happy.

The hon. Minister of Environment was here and he has left now, but many of the suggestions that really pertain to the opening-up of the mining sector and the ease of doing business in the mining sector pertain to the MoEF. The hon. Minister has just walked in and I welcome him. I was just saying that we expect a lot out of the Mining Ministry and the Ministry of Environment under the dynamic leadership of both the young Ministers. I think that both have to work in very close synergy to ensure intergenerational equity,

which is of maximum importance for us, and we have to leave our future generations the environment in a better position than we found it.

But nonetheless, for ease of doing business, for opening-up the mining sector, and unlocking the actual potential, I think that there are a number of environmental hurdles, which needlessly and unfortunately still obtain and which can be easily done away with. There is a lot of bureaucratism and I can tell you that at the cutting-edge level because day-in and day-out I appear in these matters in courts. Therefore, there is a lot of bureaucratism and there is a lot of discretion, which still continues to obtain. I think that both the Ministers must sit together and attempt to smoothen it out in order to ensure that this potential is unlocked.

Therefore, before concluding, I would only like to say that the present set of reforms are definitely going to further streamline and enhance the ease of doing business. Our State would definitely welcome these. There are suggestions, which perhaps might impact some revenue from the State, but I think that the hon. Minister has assured the House that the revenues of the States are intact. I hope this Government continues to work forward in that spirit of cooperative federalism.

I support the Bill in its present form. We would request you to take some of our other suggestions on board as well. I am grateful to the hon. Minister and to you, Madam Chairperson, for having given me this opportunity to participate in this debate. Thank you very much.

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): महोदया, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021, पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, भारत कोयला उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। आज भी देश की 70 से 80 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति इसी सेक्टर द्वारा होती है। पिछली सरकारों की गलत व अप्रभावकारी नीतियों के कारण हम आज भी अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए कोयले के पर्याप्त भण्डारण के बावजूद भी आयात पर निर्भर हैं। कोयला के भारी मात्रा में आयात से न केवल सरकार पर अतिरिक्त राजकोषीय भार पड़ता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है।

महोदया, सरकार ने इस क्षेत्र में पहल करते हुए खनिज क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 84 प्रतिशत उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड करता है। इसमें लगभग 3 लाख कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। इसी कड़ी में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में कोल इंडिया द्वारा 525 पदों का सृजन किया गया था, जिसमें 500 पद सुरक्षा प्रहरी हेतु और 25 अन्य पदों का सृजन हुआ था। अन्य प्रकार के 25 पदों पर समयानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, लेकिन 500 सुरक्षा कर्मियों का फिजिकल टेस्ट व अन्य परीक्षाएं लेने के उपरान्त भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इस गंभीर समस्या पर भी सरकार विचार करे। खनिज क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से कोल इंडिया में कार्यरत सभी कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार को उन्हें भरोसा दिलाने की जरूरत है।

महोदया, इन खनन क्षेत्रों में बहुत ही भारी मात्रा में मजदूर काम करते हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है। उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, बीमा व रहने की अच्छी सुविधा आदि की उचित व्यवस्था हो सके, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना

होने पर उनको कम से कम 20-25 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया जाए। इसके साथ-साथ सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोयला क्षेत्र में आने वाली सभी निजी कम्पनियाँ कालाबाजारी या अन्य कोई मनमानी या अनियंत्रित दोहन न करें, नहीं तो आने वाले समय में यह कारोबार कुछ निजी कम्पनियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा।

इन नई बड़ी कम्पनियों की तरफ सरकार का झुकाव ज्यादा न होकर नई नीति का फायदा आम लोगों तक कैसे पहुँच सके, इस पर जोर देने की जरूरत है। आज खनन क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला क्षेत्र बनाने की जरूरत है। इसके लिए लीज प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल, उन्नत टेक्नॉलोजी व नवाचार और जीरो वेस्ट खनन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही खनन का काम समाप्त होने के बाद लीज होल्डर उस खनन वाली जमीन को पुनः उपयोग के लायक सही हालत में पर्यावरण के अनुकूल हरा-भरा बनाकर वापस करे, इस संबंध में सरकार को नियम बनाने की जरूरत है।

महोदया, खनिज क्षेत्रों में खनन के कारण प्रभावित लोगों की सुरक्षा के समुचित उपाय किए जाने की जरूरत है, साथ ही देश में बढ़ते अवैध खनन को रोकने की भी आवश्यकता है। बालू खनन में काम करने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाती है, उनका बहुत शोषण किया जाता है। सरकार को इनके हितों को ध्यान में रखते हुए सख्त कानून बनाना चाहिए, जिससे इन गरीबों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Hon. Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Mines & Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill.

मैडम, मंत्री साहब चले गए हैं। बिल को इंट्रोड्यूस करने के टाइम काफी डिटेल में डिसकस किया गया है। मंत्री जी हाउस में जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, यह अमेंडमेंट पास होकर एक्ट बनने के बाद कंट्री में जो मिनरल बेस है, उसको अभी तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। उसके साथ-साथ हम लोग जो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, फोर एग्जाम्पल कोल के लिए मंत्री साहब ने मेन्शन किया है और भी चीजों के लिए मंत्री साहब ने मेन्शन किया है, यह सब कुछ अमेंड करने से डेफिनेटली इसमें ग्रोथ आएगी, माननीय मिनिस्टर साहब ने हाउस को ऐसा ब्रीफ किया है। उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी बता दिया था कि मिनरल डेवलपमेंट फंड में एमएलएज और एमपीज रहेंगे। उनके बोलने के बाद जब मैं बिल पढ़ रहा था, उसमें कहीं पर भी एमएलएज और एमपीज का नाम नहीं है। मैं सोच रहा था कि मंत्री साहब ने एमपीज को खुश करने के लिए यह बात बोल दी होगी, मगर जब बिल में नहीं है तो वह कल के दिन में कैसे होगा, यह एक पॉइंट है।...(व्यवधान)

सर, मेरे दो-तीन पॉइंट्स हैं। बिल में बहुत ही क्लियर बताया गया है, 'the Central Government to issue directions regarding composition and utilisation of fund by the District Mineral Foundation'. डीएमएफ फंड के पूरे यूटिलाइजेशन के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन्स हैं, उसको चेंज करना चाहिए। एक्चुअली यह मेजर इश्यू है। हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट के यूटिलाइजेशन के लिए स्टेट के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर स्टेट के ऊपर नहीं भी छोड़ते हैं तो उसमें कम से कम with the consolation of the States लिखना चाहिए। क्योंकि जो मिनरल डेवलपमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट की रिकवायरमेंट वगैरह है, वह डिस्ट्रिक्ट वालों को मालूम होती है, स्टेट गवर्नमेंट को मालूम होती है। टोटल पावर

सेंट्रल गवर्नमेंट से करे, यह अच्छी बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि उसको थोड़ा सुधार कर टोटल कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहिए। स्टेट में जो मिनरल एक्सप्लोर करते हैं, उसका रेवेन्यू, रॉयल्टी वगैरह उधर आता है, डीएमएफ फंड की पावर स्टेट गवर्नमेंट को देनी चाहिए। मैं उस अमेंडमेंट को जरूर कंसीडर करने के लिए माननीय मंत्री जी को बोल रहा हूँ। उसी तरह से to empower the Central Government to notify the area and conduct auction in cases. मान लीजिए कोई रेयर केस हो तो अलग बात है। उसको ऑक्शन करने के स्टेट के राइट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। मैं उसके अमेंडमेंट के लिए, करेक्शन के लिए मंत्री साहब को निवेदन कर रहा हूँ। बाकी सब ठीक है। मान लीजिए लीज ली है, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पा रहा है।

बाकी सबको हम लोग सपोर्ट करते हुए, इन दोनों को जरूर अमेंड करने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ-साथ हमारे स्टेट, तेलंगाना से मेजर मिनरल्स के लिए काफी परमिशंस, अभी तो मंत्री साहब ने बिल को ब्रीफिंग करने के टाइम में बता दिया था कि आने वाले टाइम में किसी तरह का डिले नहीं होगा। और परमिशंस वगैरह भी अच्छी तरह से तुरंत हो जाएगा। जो भी 20-25 पर्सेंट परमिशन चाहिए, उनके लिए आने वाले टाइम में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, यह उन्होंने बताया है। मगर उसमें हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी आपके पास हमारे राज्य, तेलंगाना का 62.02 स्क्वेयर किलोमीटर का आयरन ओर की लीजिस की परमिशन पेंडिंग है। उसी तरह से मंगनीज के लिए 0.5 स्क्वेयर किलोमीटर की परमिशन भी पेंडिंग है। लाइमस्टोन की 747 एकड़ की पमिशन आपके पास पेंडिंग है। इन सबको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए, उसको तुरंत क्लियर करें।

उसके साथ-साथ, हालांकि यह बिल से कनेक्टिड नहीं है, परंतु मंत्री साहब की दृष्टि में हम एक एश्यु को ले कर आना चाहते हैं। पूरे साउथ इंडिया में ग्रेनाइट इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली मंत्री साहब के एरिया कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी और तमिलनाडु में भी है। इस इंडस्ट्री को परमिशन वगैरह देने के समय, वह तो माइनर मिनरल्स में आता है, स्टेट

गवर्मेंट में आता है, फिर भी पॉल्युशन की, ईसी की क्लियरेंसिस वगैराह में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप उसके बारे में भी थोड़ा सोचिए। छोटी-छोटी ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज़ हैं, वे सब दिक्कत में हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए भी थोड़ा ईसी क्लियरेंस और पॉल्युशन क्लियरेंस के बारे में सोचना चाहिए। उसके साथ-साथ हम लोगों ने जो सजेस्ट किया है, उसको कंसीडर करते हुए इस बिल को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं।

धन्यवाद ।

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Madam, there are certain points that have been included in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021. First is the removal of restriction on end-use of minerals. Second is the sale of minerals by captive mines. Third is the auction by the Central Government in certain cases. Fourth is the transfer of statutory clearances. Fifth is the allocation of mines with expired leases. Sixth is the rights of certain existing concession holders. Seventh is the extension of leases to government companies. There are conditions for lapse of mining leases and non-exclusive reconnaissance permit.

There are a few areas of improvement which I would like to put forward. According to para 4 (i) of the statement and objects, the Ministry of Mines is proposing to allow captive mines holders to sell up to 50 per cent of the minerals excavated during the current year after meeting the requirement of the attached plant. The proposal said that the government would charge an additional amount on extension of mining leases of both coal and non-coal government companies. As commercialisation of coal mining is encouraged to end the import of coal in India and shorten the trade deficit, the government fails to recognise the fact that we already have overcapacity and it is against the country's clean energy transition plan. It, in fact, would have an adverse impact on the environment. I urge the Government not to allow the commercial mining of coal as it defeats the very purpose of auction. Para (viii) of statements and objects talks about the Central Government auctioning mines in case the states are facing difficulties. But, in reality, auctioning of mines without taking

the States into confidence and without taking the consent of States taking over the ownership of the State Government over the mines is robbing States of their right to fair auctioning.

Another major concern is the low production by miners to manipulate demand pressure by restricting supply. Thus, the amendment recommending incentivisation of production and the dispatch of mineral earlier than the scheduled date will enable continuous flow of minerals.

The district mineral fund (DMF) remains grossly under-utilised due to restrictive guidelines. The mineral districts also get nearly Rs. 1,200 crore per annum for the development from the Finance Commission, rural development schemes, road construction, irrigation, agriculture, and other social protection schemes. There is a need to allow expenditure from this fund for road construction, health, education, and rural development schemes.

One long-awaited correction on transfer of mineral concessions proposes that there will be no charges on transfer of mineral concessions for non-auctioned captive mines. However, the amendment proposed falls short of another much-needed change: giving the first right of refusal on mining or selling the rights to the explorer. Therefore, in order to boost exploration, the National Mineral Exploration Trust must be made an autonomous body. This was also recommended by the Parliamentary Standing Committee.

Out of the total Obvious Geological Potential (OGP) area of 0.571 million square kilometres, only 10 per cent has been explored so far, and mining

happens in just 1.5 per cent of the OGP area. It is crucial to get a detailed exploration profile for India. Exploration needs to be treated as a scientific process driven by corporations, and the Geological Survey of India must develop baseline data and make it available to attract exploration investment. The Government should announce incentives to attract private sector investment in exploration.

Certain proposals of the Government of Maharashtra pending for the approval of the Central Government should be cleared without any prejudiced mind as to which Government is functioning in the State of Maharashtra. I hope the hon. Minister would make note of the suggestion and incorporate this accordingly. I thank the hon. Minister for bringing this amendment in the Bill. I would request the hon. Minister that in future the incentive of the States must be increased.

Thank you, Madam.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Madam Chairperson, I rise to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill, 2021. Before I start to speak on the Bill, let us have a different perspective. I come from Odisha which is one of the major States in mining and is predominantly a tribal region with a lot of people who are affected mainly by mines. You look at all the incidents of firing and the protests which happened, at Kalinganagar where 12 tribal protestors were killed in police firing and at Maikanch where three protestors were killed. If you look at this, mostly it affects the tribals.

When it comes to Odisha, almost 25 per cent of India's iron and manganese ore resources will be up for sale for captive users. By doing so, Odisha, the projected steel capital of India, would become the principal provider to India's target of 300 million tonnes steel capacity by 2030. It has a direct influence on India's economy. No doubt it will propel Indian economy. About 2.1 per cent of GDP will be contributed by all the mines in Odisha. Definitely, to the five-trillion-dollar economy dream which PM Modi has been envisaging, Odisha is a major contributor through all these mining activities.

Madam, we are called Ratnabhandar because we are filled with mines and all. But, over the soil, I will tell you some statistics of Odisha. Mining is not something new there. Before 2015 also there was mining in the State and it has been going on for a long time. Despite its riches, the unemployment rate in Odisha is 7.1 per cent. It is more than the national average. Estimated asset of the people is around 2.81 lakh which is lower than national income. Agricultural production is sharply decreasing. What are the employment opportunities that

we have? They are the automobiles, rentals, logistics, hospitality, and brokering. Our youths are present neither in upstream nor downstream activities. There is a mining boom but we do not have jobs for the local youths in Odisha. It is at the bottom of health index score. All the mineral Districts of the State are featured in India's most backward Districts. Most of the Districts are aspirational Districts. I will give you an example. In Keonjhar, which is the epicentre of mining activity, 62 per cent of the population lives below the poverty line. Koraput, which I represent, is Asia's bauxite capital with 90 per cent of bauxite reserves. We have a lot of mines there like NALCO, Utkal, etc. There, we have 79 per cent of the people living below the poverty line.

The income from this mineral extraction has not benefitted the region. There is a reason behind it. What I see is that after the mining, the region has become poorer; poverty has increased. If you look at the ecological thing like how it has impacted the environment, you will find that the Brahmani, which is a large river with a length of 701 kilometres, is the second largest river in Odisha and the most polluted river in Odisha also. It is one of the 10 most polluted rivers in India. According to a study by the Institute for Policy Studies, the greenhouse gas emissions from Odisha make up nearly one per cent of global emissions. What it is impacting here is the uprooting of thousands of Adivasis. Most of the mine areas belong to the Adivasis and we are forced to give lands to non-Adivasi people. Another study contests that in Koraput district alone, around 100,000 of the Adivasis were displaced from their land including 1.6 lakh hectares of forest land. Most of the Adivasis live on forest

land for non-forest timber products, cultivation etc. They do not have their own land.

It is said that the mining sector generates employment. I tell you again that the employment has not increased. If you look at our areas like in my district, employment has gone up only because they are not skilled. They are unskilled and they do not get employment opportunities. Most of the people, even the entrepreneurs who come into mining sector are from outside the State. It is perhaps not surprising that Odisha's mine districts like Jajpur, Keonjhar, Dhenkanal, Angul, Jharsuguda, Sundergarh, Mayurbhanj, Koraput, and Rayagda which is under my constituency, are the poorest districts in the State. It has dramatic impact on community organization and so on. I understand the Government is cash-strapped and it wants to increase the revenue. But we have to look at the human factor of it in a holistic manner and see whether it is actually good for the country and whether the people are developing or not.

I give you specific example of the District Mineral Fund which you have brought in. This is a very good thing. I am a part of the DMF in my State. But do you know what kind of works they used to do? They used to paint walls of the Railways; they used to maintain gardens; they used to have toy trains and other things. We have changed that. You may give any recommendation or direction, but definitely you should make the local MP the chairman of the DMF

so that we can at least monitor what kind of spending is happening. Let the revenues be with the State, but let the MP be a part of the DMF.

Mining has adverse impact on environment. After 30-40 years, the reserves will go out and it will be a dump; nothing will be there. The Minister of Environment is also here. He should work in close collaboration. I would request that the Minister of Tribal Affairs Shri Arjun Munda should also be a part of this group. It is very nice when you see there is petrol in someone else's house; you would like to extract it. But if it comes to your house, it is very difficult. You need to rehabilitate the people; you have to look at the environment, biodiversity etc.; you have to look at the federal structure of the State while awarding power to the Union Government to auction a mine.

There is one particular clause in this Bill that if the State Government is not able to do the auction, you will take it over. We need to understand what the process is and what the time line is for the State Government not being able to auction the mines.

I have already spoken about the District Mineral Fund. It is a very good fund and very much required. Let it not become like MPLAD. We had MPLAD where we could oversee what kind of development we used to have. Now, I do not know where and how Rs. five crore is going to be spent this year and next year. If the District Mineral Fund is spent in that area, we welcome this. Whatever measures you take, you must ensure that the people's

representatives like MPs, MLAs, sarpanchs, Gram Sabhas etc. are involved in this.

There is one point about removal of restriction on end-user minerals. The Bill empowers the Central Government to reserve any mine other than coal, lignite and atomic minerals, to be leased through an auction for a particular end-use. Such mines are known as captive mines. The Bill provides that no mine will be reserved for particular end use. I tell you the history of captive mines.

14.00 hrs

जब पब्लिक हियरिंग में जाते हैं, आप अगर हमारी माइंस ले रहे हैं जो इम्पैक्टेड विलेजेज पेरीफेरी में हैं, वे लोग चाहेंगे कि केवल माइंस लेकर हमें डीएमएफ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। We need employment. We need development in the area, hospitals in the area. जब तक कैप्टिव माइंस आप नहीं देते हैं, तो कोई कंपनी वहां पर प्लांट सेट अप नहीं करेगी। कोडिंगमाली से अगर कैप्टिव माइंस का आप नहीं देंगे, तो ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please wrap it up.

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: कैप्टिव माइंस इसलिए इंपोर्टेंट है, I will tell you. जैसे कंसारीगुडा में एक प्लांट है, Hindalco wanted to set up a plant. So, they wanted the Kodingamali mines. अगर वह माइंस निकालकर, if you sell it to other companies, रिजर्व्स कितने हैं, जस्ट 19 मिलियन टन टोटल रिजर्व्स हैं और 3 मिलियन टन ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। If you give it, 6 मिलियन टन करोगे, तो फिर वहां प्लांट बनेगा ही नहीं। इसलिए कैप्टिव माइंस की जरूरत है।

14.02 hrs

(Shrimati Rama Devi in the Chair)

Regarding transfer of statutory clearances upon expiry of mining lease, mines are leased to a new person through auction. आप क्या कर रहे हैं? जब ऑक्शन हो जाता है, तो जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज हैं, वे भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर लीज खत्म होती है, कोई नया बिडर ऑक्शन के लिए आता है, तो यह ग्राम सभा, पुलिस वगैरह फिर से करायेगी। जो नया बिडर है, वह क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, लोगों का मत भी आपको लेना चाहिए कि ग्राम सभा में यह होना चाहिए।

Regarding rights of certain existing concession holders in 2015 Act, the Act was amended to provide that mines will be leased through an auction process. You gave an exception to right to obtain prospecting licence to a

holder of reconnaissance permit or prospecting licence. जो पहले से ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा है, रीकंसीडर कर रहा है, जो स्टडी करके एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उनको यह छूट दी गई थी। अब इसमें आप उसको हटा रहे हैं। This is a welcome step. I will give you a case. There is one company which had got the prospecting licence in 1992 for Kutrumali and Sijimali mines in KBK districts, that is in Rayagada district. वर्ष 1990 से वे पड़े हुए थे। वर्ष 2005 में, they decided to set up a Rs.30,000 crore factory. फिर वर्ष 2015 में, because they have the prospecting licence, they were exempt from the MMDR Act. So, they could have the captive licence. वर्ष 2015 में स्टेट गवर्नमेंट ने आपको रिकमेंड किया, उनकी फाइल आपकी माइनिंग मिनिस्ट्री में 6 साल से पड़ी हुई है, क्लियर नहीं हो रही है। हम वहां पर आंदोलन करते हैं कि यहां फैक्ट्री क्यों नहीं सेट अप कर रहे हैं? वे बोलते हैं कि माइनिंग मिनिस्ट्री में 6 साल से पेंडिंग है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे रिकमेंड किया है। Now, you are changing the law. So, if you bring someone, we expect that at least the public hearing, ग्राम सभा और यह सब आप जरूर कीजिएगा। यह बहुत ही संगीन मामला है। माइंस केवल सरकार के रेवेन्यू की बात नहीं है। यह आदिवासियों और जितने पीड़ित लोग हैं, यह हम लोगों की जिंदगी का सवाल है। Mines have never worked in either Australia or South Africa. माननीय सदस्य जो भी बोल रहे हैं, I do not agree that it is a successful model in either Australia or in South Africa. But in India we do not have an option. I believe that with your Ministry and everything, you come up with an alternate option. Instead of selling our reserves, if we can really work कि हम कैसे कर पायें? इसको और रेगुलेट कीजिए और कंट्रोल कीजिए। जो ह्यूमन एंगल है, जो ह्यूमन इंडेक्स है, इसमें हम आदिवासी लोग वहां फंसे हुए हैं। हम लोगों के पास वहां कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ग्राम सभा वगैरह चलता है, माइनिंग हो गया, डीएमएफ हो गया, यूजी इंप्लायमेंट, आदि, फिर हम बेघर हो जाते हैं, हमारी जमीन चली जाती है।

हमने एग्जांपल्स देखे हैं। हमारी जमीन चली जाती है। वहां पीएसयूज भी हैं। वहां जमीन देकर हमने लड़ाई की थी। But all this agitation will always surface. I would request the Government to reconsider this particular Bill. आप एक ज्वाइंट कमेटी को भेजिए, जहां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी हो, ट्राइबल मिनिस्टर भी हो, आपकी मिनिस्ट्री हो, ट्राइबल एमपीज़ हों और जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ से एमपीज़ हैं, उनको यह बिल भेजकर फिर से आप विचार-विमर्श करिए और देखिए कि कैसे एक लॉग लास्टिंग बिल लेकर आएँ, जिससे आप हम आदिवासी लोगों के जीवन का भी संरक्षण कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जो दूषित होता है, जो रिजर्व्स होता है, उसको बचाकर इसे मॉनीटर करेंगे। We are not against mining and operations. But we are against the hasty auctions which you are doing. एक ऑक्शन के बाद आप बड़े-बड़े players को लेकर आएंगे, they would not look into the well-being of the people. So, I request you to send this to a Select Committee. You form a Joint Committee of the Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Environment and Forests, आपके मंत्रालय plus some MPs and let us discuss this once again.

Thank you.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आज एमएमडीआर एक्ट में संशोधन पर चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

देश में लंबे अर्से के बाद हम सभी लोग देखते हैं, यह बात हमेशा से होती रही है कि देश में खनिज सम्पदा भरपूर है, लेकिन उसके बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमें इसके लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बिल में कई ऐसे संशोधन होंगे, जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, खनिज उत्पादन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सम्बल मिलेगा।

वर्ष 2015 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। पहले आओ और पहले पाओ का सिस्टम था, लेने वाला भी मैं और पाने वाला भी मैं। पहले किस प्रकार की प्रक्रिया थी, इसमें बहुत बड़ा संशोधन हुआ है। इसके लिए पारदर्शी तरीका अपनाया गया है। देश में माइन्स की नीलामी शुरू हुई और इसका फायदा भी देश को मिला है। इसके साथ ही डीएमएफ में ऐसे प्रावधान किए गए, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिले।

इस संशोधन से नए खनिज क्षेत्रों की खोज भी होगी। माइनिंग प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, स्टेट का रेवेन्यू जेनरेट भी होगा, माइनिंग एरिया का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और एम्पलायमेंट जेनरेट भी होगा। कई लोगों के अलग-अलग विचार होते हैं। जिस प्रकार का सुधार हो रहा है, उसे हमने पिछले पांच-छह वर्षों में देखा है, यह बदलाव हर कोई नहीं ला सकता। इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना कई लोगों ने सोचा होगा लेकिन उसको साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है और माननीय मंत्री प्रह्लाद जोशी जी कर रहे हैं। पहले हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था।

आज हम अनाज उत्पादन के मामले में दुनिया में नम्बर वन बने, आप कार्यक्षमता और सोच देखिए, चाहे डेरी हो या फल-सब्जी हो, हम दुनिया के सेंकड लार्जस्ट कंट्री बन गए हैं। आज इस क्षेत्र में भी हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जिस

प्रकार से कैपटिव-नॉन कैपटिव माइन्स का वर्गीकरण है। हमारे पास अपार खनिज सम्पदा है, लेकिन उसके बाजवूद भी ऐसे नियमों का बंधन है कि हम लोग उस खनिज सम्पदा का उपयोग नहीं कर सकते। हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। इसके माध्यम से कई प्लांट और माइन्स होते हैं जो उसी प्लांट माइनिंग का उपयोग कर सकते हैं, उसे दूसरी जगह नहीं दे सकते। आज हमारे पास अपार खनिज सम्पदा है, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते।

दुनिया के किसी भी खनिज प्रधान देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जैसा हिन्दुस्तान में है। आज इस बिल के माध्यम से संशोधन किया जा रहा है। कई बार जो माइन्स होती हैं और जिस ग्रेड का मेटेरियल चाहिए, उसे माइन्स ऑनर बेच देता है। उसके अलावा जो मिनरल्स मिलते हैं, उसके पहाड़ बन जाते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल नहीं है। इस संशोधन के माध्यम से उस मिनरल्स को भी वह बेच सकेंगे, उससे संबंधित एनओसी मिल जाएगी। लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा, कई लोगों को इससे लाभ होगा, इस प्रतिबंध के हटने से कई लोगों को लाभ मिलेगा। जिस प्लांट का माइन्स है और उसको 50 परसेंट से ज्यादा बाहर बेचने पर इस संशोधन से लाभ मिलेगा। आज उदाहरण के तौर पर देखें, 250 मिलियटन टन कोयला हिन्दुस्तान को अभी भी आयात करना पड़ता है। इससे डेढ़ लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का क्षय होता है, जो विदेशों को देनी पड़ती है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में कोयला और खनिज सम्पदा है, लेकिन उसके बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस फैक्ट्री के साथ माइन्स अटैच हैं, उसके पास अपार सम्पदा है, लेकिन वह दे नहीं सकता है। इस संशोधन के बाद वह अपने उत्पादन का 50 परसेंट तक बाजार में बेच पाएगा। हमें पहले निर्भर रहना पड़ता था, अब आत्मनिर्भर बनने में बहुत सहयोग मिलेगा।

एक्पैशन के मामले में ओजीपी इतनी बड़ी संपदा होने के बावजूद भी 1.5 परसेंट प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि जीडीपी में कितना योगदान है और हिन्दुस्तान में कितना योगदान है? इस संशोधन के बाद कई फायदे मिलेंगे और सामरिक महत्व के खनिजों की डैवलपमेंट करने का बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हम एनएमईटी की

बात करें, वर्ष 2015 में संशोधन किया गया था। पहले इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी काम कर सकती थी, अब प्राइवेट एजेंसी के आने के बाद हमें देश ही नहीं दुनिया की अच्छी तकनीक का फायदा मिलेगा।

महोदया, इसमें समयबद्ध खानों की नीलामी का भी इश्यू है। पहले ऑक्शन करने से पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। वर्ष 2015 में निर्णय लिया गया कि बिना पूर्व अनुमति के राज्य सरकारें ऑक्शन कर सकती हैं। राजनीतिक समीकरण या प्रशासनिक व्यवस्था के कारण कई माइन्स नीलाम नहीं होती थीं। इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार से बात करके समय सीमा तय होगी और अगर इस समय सीमा में राज्य सरकार ऑक्शन कर लेती है, तो ठीक है, नहीं तो केंद्र सरकार उसे नीलाम करेगी। इसके बावजूद रैवेन्यु स्टेट को मिलेगा और खनिज संपदा देश की अर्थव्यवस्था में उपयोगी साबित होगी। केंद्र और राज्य सरकार की इस नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से खनिज संपदा, जो कई वर्षों से माइन्स में पड़ी है, को नीलाम करके देश की अर्थव्यवस्था में सहभागी भूमिका का निर्वहन होगा।

महोदया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में सभी सांसदों ने कहा। राजस्थान सरकार में सांसदों को मैम्बर नहीं बनाया गया था। हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में इस बारे में राज्य सरकार से बात की और इस कारण डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में एमपीज़ को सदस्य बना दिया। आज भी देश के अनेक राज्यों में सांसद उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उस क्षेत्र के डैवलपमेंट की उनकी जिम्मेदारी है, दायित्व है। जो रैवेन्यु भारत सरकार के खजाने में आता था, अब वह जिले के विकास में आएगा, लेकिन अब भी कई राज्य सरकारों ने सांसदों को इसमें मैम्बर नहीं बनाया है। राजस्थान में पिछले दो वर्षों में सरकार बदलने के बाद से एक भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की बैठक नहीं हुई है। पहले राजस्थान में जिला प्रमुख चेयरमैन हुआ करते थे, सरकार बदली और डिस्ट्रिक्ट कलक्टर को उसका चेयरमैन बना दिया गया। अभी कुछ दिन पहले प्रभारी मंत्री को इसका चेयरमैन बना दिया गया। इसके लिए सिस्टम होना चाहिए। सांसद इसका चेयरमैन हो, यह पूरे सदन की मांग है। इस पर सभी साथी सहमति दे रहे हैं।

महोदया, खनिज का दोहन होता है तो सड़कें टूटती हैं। चाहे एजुकेशन हो, रोड हो, हैल्थ हो या आईसीडीएस हो, हर क्षेत्र में बजट आबंटन का कानून बना हुआ है। कई राज्यों ने इसके बारे में मीटिंग नहीं की। मेरा निवेदन है कि उस पैसे का कैसे उपयोग हो, यह कानून में नियत होना चाहिए। हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। इस बिल के आने के बाद क्या इसका फायदा होगा? कितना रैवेन्यू बढ़ेगा? स्टेट का कितना रैवेन्यू बढ़ेगा? कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? हालांकि रोजगार स्टेट का विषय है। लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कई इंडस्ट्रियां राजस्थान में और देश भर में होती हैं, माइनिंग होती है, लेकिन, एक एडवाइजरी राज्य सरकारों को भी देनी चाहिए कि उनके एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। बाहरी लोग आते हैं और रोजगार उनको मिल जाता है। जो स्थानीय लोग हैं, चाहे इंडस्ट्री हो या माइनिंग हो, उसमें उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

एक और विषय राजस्थान का है, जो इस बिल से संबंधित नहीं है। चित्तौड़गढ़ का एक फोर्ट, जो एक ऐतिहासिक विरासत है। मैंने पहले भी इस विषय के बारे में कहा है। मीरा, पन्ना और पद्मिनी का गौरवशाली इतिहास वहां से जुड़ा हुआ है। माइनिंग के कारण वह किला क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि एक विशेष टीम भेजकर उसको दिखवाया जाए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस बिल के आने के बाद देश में खनिज उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, आर्थिक उन्नयन होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा।

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापति महोदया, आज सरकार के द्वारा जो खान और खनिज संशोधन (विधयेक), 2021 को लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदया, मैं जिस राज्य से आता हूँ, आप भी उसी राज्य से बिलांग करती हैं। वर्ष 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड हमसे अलग हो गया। झारखंड के अलग हो जाने के बाद, जितनी भी बिहार के अंदर खनिज खानें थीं, वे सब झारखंड में चली गईं। वर्ष 2000 में बिहार में कहा जाता था कि बिहार में अब सिर्फ तीन ही चीज बची है, लालू, बालू और आलू। परन्तु, वर्ष 2005 में बिहार की जनता ने लालू जी को झारखंड भेज दिया, जो आज तक झारखंड में ही हैं। बिहार वापस नहीं आ पाए। अब बिहार में बच गया बालू और आलू। वहां आलू की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। वहां बालू की जितनी खानें हैं, वे सभी मौजूदा सरकार के नेतृत्व की देख-रेख में हैं। पहले वहां लूट मचती थी। जो बालू माफिया के नाम से जाने जाते थे, उन्हें खनन माफिया कहा जाता था। उनके वर्चस्व को तोड़ते हुए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने वहां पारदर्शिता के साथ सभी खानों को पट्टे पर दे दिया। आज वहां खनन का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। राज्य सरकारें लगातार यह मांग कर रही हैं कि हमारे राज्यों से जो खनन होता है, उसके लिए भारत सरकार जो रॉयल्टी देती है, खनन के पट्टे का जो दर देती है, वह कम है। उसको बढ़ाया जाए। इस संशोधन के माध्यम से राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इस संशोधन में इस बात का भी जिक्र है। भारत सरकार के लिए यह भी प्रशंसा की बात है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा और ज्यादा से ज्यादा धन कैसे मिल सके, इसके लिए पूरे हिन्दुस्तान में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो चिंतित हैं, वे हैं माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी। देश का विकास तभी होगा, जब सभी राज्यों का समानांतर विकास होगा। सभी राज्यों को समानांतर, उनके यहां जो खनिज है, उसके मूल्य का उन्हें हिस्सा मिल सके। यह सोचने वाले एकमात्र व्यक्ति हमारे देश के प्रधान मंत्री जी हैं।

सभापति महोदया, पहले हम लोग लगातार सुनते थे कि किसी पॉवर स्टेशन में चार दिन का कोयला है, किसी पॉवर स्टेशन में तीन दिन का कोयला है। तीन दिन के बाद हो सकता है वहां बिजली का उत्पादन बंद हो जाए। जब से यह सरकार आई है, तब से समाचार-पत्रों में कभी सुनने को नहीं मिला कि किसी भी पॉवर स्टेशन में कोयले की कमी हो रही है। सभी स्टेशनों को बराबर कोयले की सप्लाई हो रही है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय खनन मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि लगातार रैक उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कोयले की आपूर्ति सभी जगह हो रही है।

महोदया, यह सब पिछली सरकार की नीतियों का कारण था, जिसमें वर्ष 2015 में संशोधन किया गया और आज फिर संशोधन करके लाया जा रहा है और पारदर्शिता लाई जा रही है। पहले खनन मंत्री और खनन के मामले में यह कहा जाता था कि पिछली सरकारों में सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी चीज में होता था, तो वह कोयला और खनन विभाग में होता था। इस वजह से हमेशा पूरा देश बदनाम हुआ है और इस प्रकार के अनेकों मामले पूरे देश के सामने आए हैं। इस प्रकार के अनेकों घोटाले और अनेक मंत्रियों को भी अपने पदों से इस्तीफा देकर जाना पड़ा है।

सभापति महोदया, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि राज्यों को जो कोयले की खान का खनन मिलता था, पहले बिहार के साथ भेदभाव किया जाता था। बिहार के पावर स्टेशन के लिए सुदूर आंध्र प्रदेश से कहा जाता था कि आप वहां से कोयला लीजिए। जबकि बिहार के बगल में झारखंड है, बिहार को झारखंड से कोयला न देकर सुदूर आंध्र प्रदेश और दूसरी जगहों पर भेज दिया जाता था। इस प्रकार का भेदभाव किया जाता था। परंतु जब से माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है, बिहार सरकार ने अनेकों बार इस बात का जिक्र किया है और धन्यवाद दिया है, क्योंकि तब से बिहार के सभी बिजली स्टेशनों को पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड से कोयले की आपूर्ति की जाती है।

सभापति महोदया, आपके संज्ञान में एक छोटा-सा मामला आया होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि हम लोगों का बिहार, खासकर नॉर्थ बिहार पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है। जब बाढ़ आती है, जब नेपाल से पानी आता है, तो वह अपने साथ नदियों की गाद, बालू और अन्य चीजों को हम लोगों के खेत में छोड़ जाती है। जब वह पानी उतर जाता है, अगर उसके बाद किसान अपने खेत से उस बालू और गाद को काटता है और उसको ट्रैक्टर पर ले जाता है, तो खनन पदाधिकारी उसको यह कहते हुए उस पर जुर्माना लगा देते हैं कि यह अवैध खनन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि किसानों को अपने खेत में आए हुए बालू और गाद को निकालने के दौरान खनन पदाधिकारी किसी भी प्रकार से उसको कहीं पर न रोक सके, ऐसा सरकार की तरफ से कोई दिशा-निर्देश दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया, इस संशोधन के माध्यम से यहां पर इस प्रकार के अनेकों विचार आए हैं, जिससे हम और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे देश में कई खनिजों का उत्पादन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले हम विदेशों पर निर्भर थे। हमारी खनिज की जितनी भी खानें थीं, वे विदेशियों को पट्टे पर दे दी गई थीं। हमारा सारा खनन विदेश चला जाता था और जब हमें उसकी जरूरत होती थी, तब हमको विदेश से लाना पड़ता था। अगर आज आत्मनिर्भर भारत बना है, तो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बना है, जिसके कारण हम बाहर से खनिज लाने की निर्भरता पर कम हुए हैं। हम अपने देश के सभी खनिजों पर आत्मनिर्भर बने हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हम इस प्रकार से इसमें और अधिक कर सकते हैं।

सभापति महोदया, इस संशोधन में यह भी है कि पहले सरकार बहुत सारी कंपनियों और सरकारी पीएसयूज को टेंडर दे दिया करती थी। जो लोग पट्टे पर खनन ले लेते थे, वे वहां पर कुछ काम नहीं करते थे। परंतु सरकार ने इस संशोधन में यह नियम रखा है कि अगर आपने पांच साल तक उसके खनन में हाथ नहीं लगाया, तब हम आपसे उसको वापस ले लेंगे। यह एक बड़ा ही

अच्छा संशोधन है। आपने मुझे इस विधेयक के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री अरुण साव (बिलासपुर) : सभापति महोदया जी, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए लाया गया है। अधिनियम, 1957 संघ के नियंत्रण के अधीन खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का उपबंध करने के लिए बनाया गया है।

सम्माननीय सभापति महोदया जी, हमारे देश की धरती में खनिज प्रचुर मात्रा में है। आज हमारा देश 95 विभिन्न खनिजों का उत्पादन कर रहा है। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 17.4 प्रतिशत क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है। लेकिन अब तक हम केवल 1.74 प्रतिशत क्षेत्र ही अन्वेषित कर पाए हैं और अभी वर्तमान में केवल 0.25 प्रतिशत क्षेत्र पर ही उत्खनन का काम चल रहा है।

हमारे देश में खनिज का उत्पादन मात्र 1.25 लाख करोड़ रुपये का होता है, जबकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपये का आयात करना पड़ता है। सभापति महोदया जी, इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारे घर की तिजोरी में रुपया रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अभाव में जी रहे हैं। हमारे घर में खनिज का भंडार है, लेकिन फिर भी हम अभाव में जी रहे हैं। यह स्थिति है। आज यह संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है, जिससे हमारे राष्ट्र की विशाल खनिज क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग हो सके और खनिज उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके।

यह विधेयक देश के विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों, औद्योगिक संगठनों, आम जनता और नीति आयोग से परामर्श के आधार पर लाया गया है। भारत को कुछ बड़े संरचनात्मक सुधारों के जरिए ही खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। खनिज के क्षेत्र में एक प्रतिशत वृद्धि होने से औद्योगिक उत्पादन में डेढ़ प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड जैसे राज्य खनिज सम्पदा से भरपूर हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में

खुशहाली की कमी है। इस संशोधन विधेयक का एक बड़ा उद्देश्य उनको खुशहाल बनाने का है। इसलिए इस संशोधन के बाद परिवर्तन आने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा तो माननीय प्रधान मंत्री जी के सपने को साकार करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी।

हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह विधेयक बड़ा योगदान देने वाला है। जब उत्खनन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो नए-नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सभापति महोदया, रोजगार किनको मिलेगा? रोजगार ज्यादातर जो खनिज के क्षेत्र हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी भाइयों को मिलेगा। उनका जीवन स्तर उठेगा। उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस विधेयक को लाने का यह एक बड़ा उद्देश्य है। अन्वेषण के कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का समावेश होकर खनन के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम इस विधेयक के माध्यम से होगा। खनिज भंडार का समुचित दोहन हो सकेगा। विश्वस्तरीय अन्वेषण हो सकेगा। कैप्टिव और नोन-कैप्टिव खदानों के बीच में अंतर को समाप्त करके खनिजों की ब्रिकी और उपभोग को बाजार के लिए खुला छोड़ा जाएगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डीएमएफ की स्थापना हुई। वास्तव में जिस प्रकार डीएमएफ फंड की स्थापना हुई है, उससे हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में और खनिज क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई-बहनों के जीवन में सुधार हो सके, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में डीएमएफ फंड का बंदरबाँट हो रहा है। सांसदों की नीयत में खोट है इसलिए सांसदों को डीएमएफ में सदस्य नहीं बनाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सांसदों ने इस देश के लिए यह कानून बनाया है, लेकिन छत्तीसगढ़

की सरकार ने 20 लाख जनता द्वारा निर्वाचित सांसदों की उपेक्षा करके उनको डीएमएफ की कमेटी का मैम्बर नहीं बनाया है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सेंट्रल कानून से बना है। इसलिए सांसदों को इसका चेयरमैन होना चाहिए।...(व्यवधान) डी.एम.एफ. का सदुपयोग हो और आदिवासी भाइयों के जीवन में सुधार हो।...(व्यवधान) ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, क्या वे नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को और रेवेन्यु मिले, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों-बहनों का और विकास हो और उनके जीवन में सुधार हो। मैं यही कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सांसद प्रो. सौगत राय जी ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Bill, 2021. I will endorse the views expressed by young Shri Ulaka who is from Koraput area and who knows deeply the problems of mines.

It seems to me that this Bill is an attempt to open the mining sector to big business. Now, the Government may say that we are doing it for the sake of employment. But you have to remember that most of the mines and minerals are in the tribal-inhabited forest areas. Look at Chhattisgarh. Chhattisgarh is now the centre of Maoist activity. Why Maoist activity came about there? In the name of establishing mines, big companies like Vedanta were uprooting the poor tribals. If a holistic view is not taken, looking after both the tribal interest and the environment and you just open up the mines and people come to the mines for making profits, then we will end up by having more insurgency in the country.

I should request the hon. Minister to take note of this. I shall also request him to take note of the Fifth Schedule to the Constitution. The Fifth Schedule deals with the provision relating to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.

Now, you are setting up these mines in the areas inhabited by the Scheduled Tribes. Without the permission of the local gram sabha, mines cannot be set up; lands cannot be transferred in Scheduled Areas. If the Government violates that, it will be a violation of the Fifth Schedule to the Constitution.

Let us also remember that the Government is taking a pro capital view with regard to the mines. They have said that for coal, which is our biggest mineral resource, they will open up 100 per cent to FDI. I am totally opposed to this.

In 1973, Shrimati Indira Gandhi nationalised the coal mines from Coal India Limited which is one of the biggest companies in the world. It brought some discipline, some method in the whole coal industry. Now, we are opening up 100 per cent FDI, which means, foreign companies will come and take up coal blocks in tribal areas and exploit them to their advantage.

Madam, as you know well, we have minerals like coal, iron ore, bauxite, manganese, granite. Now bauxite is used for aluminium. We have big companies like Vedanta to exploit bauxite resources. It has big steel plants. They are coming up near the mines.

Now, the Minister is, through this Bill, introducing certain steps. Earlier, there used to be captive mines. For example, I have a steel plant in Rourkela and I have a captive mine in such and such place. We had the IISCO Company. It had the coal mine at Chasnala, where a major disaster took place some 50 years ago. So, this whole concept is being given up.

What is the Minister trying to do now? He is removing the restrictions on end use of minerals. That means, it does not matter if you are captive to a certain company; it will empower the Central Government to reserve any mine to be leased through auction for a particular end use. The Bill provides that no mine will be reserved for a particular end use. So, you can take lease of a mine

and sell the produce in the international market. We know Bailadila has the richest iron ore in our country. All the Bailadila ore used to come to Visakhapatnam to be shipped to China and Japan for their steel plants. Now, Japanese companies will come in and take away our iron ore. The end use idea was introduced so as to ensure that our precious mineral resources are not exploited for the profit of others and we can ensure profit of our own companies.

The other provision is that the captive mines, which are there, are now being allowed to sell 50 per cent of their produce to private parties. That is also not good, because the idea of captive mines will go away totally. So far, the State Governments were auctioning their mines. Now, this amendment says that if the State Government delays the auction, then the Central Government may take over the auction and the Central Government may also transfer the statutory clearances.

Madam, I will not go into all aspects of the Bill. All I want to impress upon the Minister is that it is a good idea to open up the mining sector. But minerals are permanent assets of this country. We should see that they are properly utilised for the benefit of the country and not for the profit of a few people. We must ensure that the tribals, who live on the land where the mines are being set up, are not displaced. If they are displaced, total rehabilitation must be promised and ensured. We must see that our minerals do not go without any conversion. I would like to say that exporting iron ore is a bad idea. If we have

iron ore, we should set up a steel plant. Why should we sell it to Japan or China? So, setting up our own steel plants will be a good idea.

Therefore, I end my speech on the Bill with many reservations.

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं आज आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2021, जो आज पेश किया गया है, मैं उसके लिए समर्थन व्यक्त करती हूँ।

यह बिल, मिनरल्स प्रोडक्शन को बूस्ट देगा। यह बिल माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1957 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश खनिजों का भरपूर भण्डार है। हमारे कुल क्षेत्रफल में से खनिज संपदा 17.4 प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, लेकिन आज भी उसमें से बहुत ही कम मात्रा में केवल 0.25 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही सक्रिय खनन का कार्य चल रहा है। हमारी सरकार देश की विशाल खनिज क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए खनिज उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। खनिज क्षेत्र में एक प्रतिशत वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।

रोजगार के रूप में खनन क्षेत्र के 1.1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और लगभग पांच करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जीविका का निर्वहन होता है। यह बड़ी बात है कि इस बिल के आने से रोजगार की क्षमता और अधिक बढ़ने वाली है। इस बिल से खनन उद्योग में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सारे अनुकूल कदम उठाए गए हैं। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने भारत देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डालर तक ले जाने का जो संकल्प किया है, इसके लिए यह बिल एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। कैपटिव और नॉन-कैपटिव खदानों के बीच का अंतर समाप्त करके बाजार को खनिजों की बिक्री एवं उपभोग के लिए खोला जाएगा, जिससे देश में खनिजों की उपलब्धता बढ़ेगी, कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस बिल के माध्यम से अन्वेषण कार्यों में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। इसमें सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रणालियों और तकनीकों का समावेश होगा, खनिज भंडारों का समुचित दोहन भी होगा। आज हम देखते हैं कि खनिज उत्पादन केवल 1.25 लाख करोड़ टन है, लेकिन हम आयात 2.5 लाख करोड़ टन का

अयात करते हैं। हमें आयात कम करना है और उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में इतनी विशाल खनिज की क्षमता रही है फिर भी सही ढंग से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों, औद्योगिक संगठनों, नीति आयोग और आम जनता से भी किए गए परामर्श के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि कुछ बड़े संरचनात्मक सुधारों के जरिए ही हम भारत के खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं। हमारे भारत के विशाल खनिज भंडार अभी भी लॉक हैं और उनकी खुली नीलामी नहीं हो पा रही है। अब सिर्फ खुली नीलामी के जरिए इन खनीज ब्लॉक्स से खनन के अधिकार दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने एमएमडीआर कानून, 2015 के तहत मिनरल ब्लॉक्स के आवंटन के लिए सिर्फ नीलामी वाली व्यवस्था की शुरुआत की थी लेकिन भविष्य में होने वाली मिनरल ब्लॉक्स के आवंटन के लिए कैपटिव और नॉन-कैपटिव खदानों के बीच का अंतर समाप्त करके मौजूदा कैपटिव खदानों को चालू वर्ष में होने वाले खनिज उत्पादन के 50 प्रतिशत तक हिस्से की बिक्री की अनुमति देगी। खनिजों का तय अवधि से पहले उत्पादन शुरू करने पर रेवेन्यू शेयर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एनएमईटी, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को स्वायत्त बनाया जाएगा। इस से खनन क्षेत्र बेड़ियों से मुक्त हो जाएगा और पारदर्शिता को और बढ़ावा मिलेगा। 500 से अधिक मिनरल ब्लॉक्स नीलामी योग्य हो जाएंगे। हमारी पीएसयू कम्पनियाँ अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनेंगी। उत्पादन और प्रेषण पर जोर रहेगा। हमारी सरकार देश के खनिज उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य पर निरंतर काम कर रही है।

खनिज एवं खनन हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह बिल केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक समय अवधि निर्दिष्ट करे। यदि कोई राज्य सरकार इस अवधि के भीतर नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ रहती है, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार रहेगा कि वह नीलामी की प्रक्रिया आयोजित करे। इससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी आयेगी, प्रक्रियाओं में सरलता आएगी और इसका लाभ सभी को होगा और ज्यादा लाभ उस राज्य को होगा। इससे एक कुशल ऊर्जा बाजार का निर्माण होगा,

प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कोयला आयात कम होगा, जैसे अवैध खनन से जुड़े प्रावधान, उसमें अधिक स्पष्टता आएगी और काम-काज सुनिश्चित किए जाएंगे। देश के आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो खनिज बेल्ट है, सरकारों ने उन क्षेत्रों से खनिजों का खूब दोहन किया है, लेकिन स्थानीय लोगों के हित में कुछ नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, मोदी जी ने डीएमएफ का गठन किया, ताकि खनन गतिविधियों में सर्वाधिक प्रभावित लोगों तक डीएमएफ का लाभ, मदद बेहतर तरीके से पहुंचे। डीएमएफ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य माननीय सांसद बनेंगे, यह भी एक सराहनीय कदम है। इसके साथ मैं एक बार फिर से इस बिल का समर्थन करती हूं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी जिस तेजी से निरंतर कार्य कर रहे हैं, यह बिल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए एक सराहनीय कदम है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, आज खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन का प्रावधान है।

सरकार के अनुसार यह कानून कैप्टिव और मर्चेन्ट खानों के बीच के अंतर को दूर करना चाहता है व केन्द्र सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन के फंड्स के उपयोग के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। इसकी बहुत समय से आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। इस विधेयक के उद्देश्य व कारणों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

यह बताया गया है कि खनिज सेक्टर की संभावनाओं का पूर्ण उपयोग करने व कोयला सहित खनन सेक्टर में नियोजन विनिधान को बढ़ाने, राज्यों के लिए राजस्व बढ़ाने और उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा खानों का समयबद्ध परिचालन करने, पट्टेदार के परिवर्तन के बाद खनन की क्रियाओं में निरंतरता को बनाए रखने, खोज की गति तथा खनिज संसाधनों की बढ़ोत्तरी करने और लंबे समय से लंबित पड़े ऐसे मुद्दों का, जिन्होंने इस सेक्टर के बढ़ोत्तरी की गति को धीमा कर दिया है, समाधान करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसीलिए यह बिल लेकर मंत्री जी यहां पर आए हैं। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी चिंता की है, लेकिन इसमें और भी कई सुधारों की आवश्यकता है। मैं वह आपको इस चर्चा के दौरान बताऊंगा और कई माननीय सदस्यों ने भी इसके प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं।

मंत्री महोदय, आपने कैप्टिव खानों का जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के मुंडवा में निर्माण हो रहे अंबुजा कंपनी के सीमेंट की खनन पट्टों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1986 में केईसी इंटरनेशनल कंपनी को 6 वर्ग किलोमीटर की लीज इस शर्त पर दी गई कि वह लीज के निष्पादन से 5 वर्षों के भीतर सीमेंट प्लांट लगाएंगे, लेकिन 8 जनवरी, 1991 को इस कंपनी ने अपने अधिकार इंडो-निपोन कंपनी को दे

दिए। वहां प्लांट तब भी नहीं लगे। तत्कालीन सरकार ने फिर मेहरबान होकर 11 जून 1998 को एक और लीज़ जारी कर दी। इस कंपनी ने भू-आवृत्ति अधिनियम के साथ खनन के नियम 28 लेप्स ऑफ लीज़ की भी धज्जियां उड़ाई, क्योंकि खनन लीज़ आवंटित होने के दो वर्ष के बाद भी खान में कार्य शुरू नहीं हुआ। वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने जब खनन पट्टों को निरस्त किया तो कंपनी ने भारत सरकार के समक्ष रिविजन याचिका लगाकर एक फैसले के आधार पर वर्ष 2008 तक सीमेंट प्लांट लगाने की शर्त पर लीज़ को पुनः बहाल कर दिया। वहां उस कंपनी ने गलत तथ्यों से इसी लेकर, जिसका ध्यान मैंने उद्योग मंत्री जी को कई बार दिलाया भी है। इसी लेकर कार्य शुरू कर दिया, लेकिन उत्पादन आज तक शुरू नहीं हुआ है। वर्ष 1986 से आज तक केवल लैंड बैंक बनाने के इस खेल में कितना राजस्व नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हुई है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि कैप्टिव लीज़ के नाम पर राजस्थान में जितनी भी कंपनियां हैं, जिन्होंने लैंड बैंक बना रखा है, उन सब पर कार्रवाई हो। उन लोगों ने लीज़ आवंटित करवा ली, लेकिन खनन कार्य शुरू नहीं किया है। उनकी लीज़ों से होने वाले राजस्व नुकसान पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? वह सदन को बताएं।

सभापति महोदया, स्थानीय सांसदों को डीएमएफटी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने की नीति पर सरकार विचार करे। मैंने पहले भी कई बार मंत्री जी से इस बारे में बात की है कि सांसद को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। कई राज्यों के माननीय सांसदों ने इस बात से अवगत कराया है कि हमें मेंबर भी नहीं बनाया जाता है। मैं अपने गृह जिले नागौर सहित राजस्थान की बात करूं, तो डीएमएफटी में अरबों का राजस्व आने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारे सांसद कोष को सरकार ने स्थगित कर दिया है, लेकिन अगर डीएमएफटी में सांसद को अध्यक्ष बनाया जाता है और यह नीति बनती है, तो निश्चित रूप से सांसदों का भी विकास के मामलों में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सांसद कोष बंद होने के बाद लोगों ने हमारे पास आना ही बंद कर दिया है, सांसदों को कार्यक्रमों में बुलाना ही बंद कर दिया है।

आज हमारे राजस्थान में एमएलएलेड बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिए गया है, लेकिन सांसदों के पास पैसे नहीं हैं। सांसदों को एक मजाक, रेलवे में चले जाओ, तीन टिकट्स मिल जाते हैं, फिर लोक सभा में जाकर वापस इलाके में चले जाओ। सांसदों को डीएमएफटी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आप भी सांसद हैं और पूरे सदन ने सर्वसम्मति से यह बात कही थी।

यह सही है कि प्रधान मंत्री जी ने पहली बार सांसदों की चिंता की है और यह भी सही है कि 'दिशा' का गठन किया और 'दिशा' का अध्यक्ष बनाया। मेरी बात से दादा नाराज हो जाएंगे, बंगाल में 'दिशा' की मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन हमने राजस्थान में की है। सांसद उसका चेयरमैन होता है, सांसद की भूमिका भी जिले में महसूस होती है। राज्य सरकार उसके खिलाफ होती है, लेकिन सांसद काम करते हैं। मैं यह मांग करूंगा कि डीएमएफटी का अध्यक्ष सांसदों को बनाया जाए।

सभापति महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। राजस्थान राज्य के नागौर, जोधपुर, पाली व चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज लाइमस्टोन का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। इन जिलों में नागौर जिला व उसके समीप स्थल अन्य जिलों की तहसीलों में केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन पाया जाता है, जिसे चूना भट्टों के द्वारा उपयोग किया जाता है। वर्ष 2015 में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट व रेगुलेशन एक्ट, 1957 के अमेंडमेंट से पूर्व राज्य सरकार के द्वारा लाइमस्टोन बर्निंग के लिए खनन पट्टे आवंटित किये जाते थे व किसानों के खेतों में मिलने वाले खनिज लाइमस्टोन पर भी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा दिया जाता था। वर्ष 2015 में खनिज लाइमस्टोन को नोटिफाइड मिनरल घोषित किया गया, जिसके पश्चात राज्य सरकार के द्वारा लाइमस्टोन (बर्निंग) में खनन पट्टा दिया जाना संभव नहीं है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत में चूना भट्टा के लिए सबसे उपयुक्त लाइमस्टोन नागौर जिले के खींवसर, मुंडवा, नागौर, मेड़ता तहसीलों में उपलब्ध है व नागौर जिले में लाइमस्टोन (बर्निंग) की लगभग 160 खनन पट्टे स्वीकृत भी हैं, परन्तु वर्ष 2015 के पश्चात कोई भी नया खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। नागौर जिले में मिलने वाले लाइमस्टोन खनिज, जो कि चूना भट्टों में उपयोग में लाया जाता है, उसे

पूर्व की तरह अप्रधान खनिज घोषित किया जाए तथा किसानों को उनके खेतों में खनन पट्टा प्राप्त करने का हक दिया जाए।

सभापति महोदया, जिले के कुछ क्षेत्रों- तांतवास, भोजास में खनिज लाइमस्टोन में एमजीओ की मात्रा अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन में एमजीओ की मात्रा अधिकतम 4 प्रतिशत होनी चाहिए जबकि नागौर जिले के कुछ क्षेत्रों में एमजीओ की मात्रा 11 प्रतिशत से अधिक है, जिसे सीमेंट, ग्लास उद्योग या अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं लिया जा सकता है। उस लाइमस्टोन को चुनाई पत्थर के रूप में उपयोग किये जाने के लिए अनुमति दी जाए।

नागौर में लाइमस्टोन की 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 13 खनन पट्टे खान विभाग द्वारा स्वीकृत किए हुए हैं। इन खनन पट्टों में सरकारी चारागृह व खातेदारी भूमि भी शामिल हैं। परन्तु खानधारियों के द्वारा खातेदारी भूमि में खनन न करके, खान क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि में ही खनन किया जा रहा है, जिससे किसान वर्ग का नुकसान हो रहा है।

अतः 50 हेक्टेयर या बड़ी खानों में आने वाली खातेदारी भूमि को सरेंडर करवाकर किसानों को खनन पट्टे आवंटित किए जाएं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल : मैडम, एक मिनट दे दीजिए। मैं रात को बारह-बारह बजे तक हाउस में बैठता हूँ। मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

राज्य सरकार द्वारा खनिज लाइमस्टोन के बड़े-बड़े ब्लॉक बनाकर नीलाम किए जा रहे हैं, जिसे बड़ी कम्पनियों द्वारा नीलामी में लिया जा रहा है। भविष्य में कम्पनियों द्वारा बाजार में मोनोपॉली की जाएगी व लाइमस्टोन की बिक्री मूल्य पर उनका नियंत्रण हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में स्थित चूना भट्टों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। सरकारी भूमि में खनिज लाइमस्टोन के छोटे ब्लॉक्स बनाकर नीलाम किए जाएं।

महोदया, मैं मांग करता हूँ, देश में टंगस्टन केवल डेगाना में निकलता है। उस माइंस को पुनः चालू कराने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। लेकिन आपने हमें जवाब दिया कि हम बाहर से सस्ता टंगस्टन आयात करते हैं। टंगस्टन, जो डेगाना में रेवत पहाड़ी से निकलता है, अगर आप उसको पुनः चालू करेंगे, तो स्थानीय लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। यह मेरा निवेदन है।

अंत में, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में राजस्थान में जो खान का महाघोटाला हुआ, जो घुस-कांड हुआ, उसमें शेर खान, यूनूस खान से लेकर, लोकायुक्त ने भी अपनी जाँच रिपोर्ट में यह बात कही थी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को जेल में डाला था। लेकिन वहाँ 20 साल तक जो सिस्टम रहा, आज तक न तो उसकी आगे बात चली, जो जेल के अन्दर जाकर आए थे, उन अधिकारियों को वापस बहाल करके अच्छी जगह पोस्टिंग दी जा रही है। मेरा निवेदन यही है कि ऐसे जो खान घोटाले या देश के अन्दर कोयला घोटाला हो, इन मामलों में केन्द्र हस्तक्षेप करके उन लोगों को कड़ी-से-कड़ी सजा दिलाए। मेरा आपसे यही निवेदन है।

ER. BISHWESWAR TUDU (MAYURBHANJ): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to take part in the discussion on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021.

Madam, the original Act promulgated in 1952 was comprehensively amended in 2015, two years after hon. Narendra Modi ji was sworn in as the Prime Minister of this great nation. It was noted that there are many irregularities and corruption in mining sector. In order to streamline the functioning of this sector and stop the chances of corruption, this Government has taken steps to further amend this Act through the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021.

The Government has received inputs from the High-powered Committee of NITI Aayog, State Governments, Parliamentary Standing Committees, and industry associations. Consultations were held with the State Governments concerned, related Ministries and Departments, industry associations, and the general public. The important targets are to reinstate the mineral sector, to boost the mineral production, to allow the captive mines to sell up to 50 per cent of the minerals after meeting the requirement of the attached plant and to make the mine economically viable. Further, the auction will be without end use restrictions. This will remove the difference between captive and merchant mines. This amendment will help in improving efficiency in the mining sector and stabilize the supply and the prices of ore in the market. The States will be benefited through an additional revenue estimated at Rs.8.27 crore. This will also encourage setting up of industries around the mines which will generate

employment. This will also save the foreign exchange by reduction in import. In 2015-16, coal worth 203.95 million tonnes was imported which in 2019-20 got increased to 248.54 million tonnes, spending Rs.1.58 lakh crore in foreign exchange.

There are around 500 cases pending under Section 10A (2) (b) of the Act which can be brought to a closure, by enabling auction of a large number of blocks. This closure of cases was supported by most of the States. By resuming the pending cases, more than 1166 million tonnes of iron ore, 4825 million tonnes of Limestone, 46 million tonnes of Bauxite, 2.6 million tonnes of Gold ore and 15.6 million tonnes of manganese will be available for auction.

The NMET was introduced in 2015 to identify new areas and promote exploration in the country. But exploration through NMET was not satisfactory and thus, there is an amendment to make NMET an autonomous body to enable funding of eligible private agencies involved in exploration.

This will give a level-playing field to the Government and to the private agencies, thus, attracting investment to increase the pace of exploration by bringing advanced technology and creating more employment opportunities.

The Central Government has the power to specify eligibility and to deal with matters of construction by the private sector.

Similarly, the District Mineral Foundation is the Trust to fund those living in the affected areas to solve their problems. This amendment proposes inducting the hon. Members of Parliament in the District Committees.

It is found that there is a delay in auctioning of the blocks handed over to the States. Now, it is proposed to empower the Central Government to conduct auction where the States face problems in auctioning within the specified time.

The delay in auctioning creates scarcity and irregular supply. In order to avoid such situation, the Central Government can interfere and bring in more blocks under auction for continuous supply, and the revenue from such blocks will go to the States. The amendment proposes to omit the provision for the New Exclusive Reconnaissance Permit to increase ease of doing business.

...(व्यवधान) मैडम, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ ।

...(व्यवधान) इस बिल के आने के बाद सबको लाभ मिलेगा । धन्यवाद ।

***SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR):** Thank you, madam Chairperson.

In Punjab, there are the two rivers – Sutlej and Beas. Several seasonal rivulets are also there. The hon. Minister Sir is present here. The natural resources of Punjab are being looted and plundered mercilessly. Illegal sand mafia continues in its nefarious activities. Deep pits are dug and sand on the river banks excavated. This is even done near the bridges on the rivers. It makes the situation very dangerous and there is a danger of the bridges collapsing during floods. Nature is being devastated, hon. Minister Sir.

Earlier Akali Dal govt. was in power. They were then giving patronage to Mafia. Their ministers and MLAs were involved in illegal sand-mining activities. The Congress govt. continued this tradition. Even today, the sand – mafia is wreaking havoc in the State. In Pathankot, crusher industry is there. Crusher-mafia is involved there. The entire stretch of rivers Beas and Sutlej is the casualty. Tractors and trucks ferry illegally quarried sand in the night.

Madam, legal things are difficult to find in Punjab but illegal stuff is easily available here. Smack is easily available. People are finding it difficult to construct houses due to illegal sand-mining.

Madam, kindly save the natural resources of Punjab from being plundered and looted. This is the land of five rivers.*

** English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

15.00 hrs*(Shri Rajendra Agarwal in the Chair)*

सभापति जी, 'पंज आब' यानी पांच दरियावां का पानी, उस पानी को भी दूषित किया गया और उसकी जो मिट्टी है, उसे भी दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। सैंड माफिया, लैंड माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है। मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि

“नदियां खा गए, पानी खा गए, रेत खा गए, मिट्टी खा गए
नदी के घाट पर भी सियासी लोग बस जाएं
तो प्यासे होंठ एक-एक बूंद को तरस जाएं
गनीमत है कि मौसम पर हकूमत चल नहीं सकती
नहीं तो सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाएं।”

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Sir, for letting me speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021. Given the time constraint, I will try to be brief for the points that I want to mention.

First is about sale of minerals by captive mines. The Bill provides that captive mines other than atomic minerals may sell up to 50 per cent of their annual mineral production in the open market after meeting their own needs. We see that a lot of these raw materials are lying underutilized and especially this clause is going to remove the bottlenecks in supply of minerals by making sure that production reaches those who are in need.

Sir, I have a very important recommendation to make under this clause, which is that PSUs should get preference when this excess mineral production is sold. Also, when giving such preference to the public sector undertakings, the price for minerals must also be at the same cost of production as the original mines holder. This is because high market prices for raw materials are reducing the profitability of PSUs. This is happening across the country.

One specific example that I want to take, since I come from Andhra Pradesh, is that of Vishakhapatnam Steel Plant. The iron ore that is being bought is for Rs.7000 per tonne whereas other plants which have the captive mines are spending up to Rs.1500 crores, which means that Vizag Steel Plant currently spends a whopping 65 per cent on just the production cost of raw material alone. This is very much unfair to the Vizag Steel Plant. That is why I

request that if preference is given to the PSUs, the plants like Vizag will be competitive with other PSUs and private players.

Sir, I have another two points to make. With protection for PSUs, this provision would exhaust all affordable alternatives for raw materials that Vizag Steel Plant could have utilized. So, I would definitely want the Central Government to look into this.

The other one is, removal of restrictions on end use of minerals. This will totally end the clause of having captive mines. The reason, I would again mention Vizag Steel Plant, is that in 2007 itself, the Parliamentary Committee had recommended that VSP should have their own captive mines just like the other PSUs. Since then, this demand has been pending with the Central Government. Unless they want to kill the Vizag Steel Plant from being a PSU, there is no other reason for the Government not to look after it.

I see that all these clauses are advancing a hand to the private players saying that we are there for you. If there is any problem, then we are extending a hand. When you are extending such a good hand to the private players, why do not you look after the PSUs which are under you itself? Definitely, the clause of ending captive mines is totally not relevant. It also has to be looked after and Vizag Steel Plant should be given the captive mines option.

Sir, the last point I want to mention is about the auction by the Central Government. This is where the spirit of cooperative federalism also comes into play. It is alright that you are giving time to the State Government, but once that is also done, definitely instead of taking the entire rights by the Central

Government itself, they should hold some kind of discussions and make the State Government also a party to whatever is happening after the given time has elapsed. You just cannot take the spirit of cooperative federalism loosely and say that you have given an option to the State Government; it has to be upheld at each and every point. So, even if the auction has not been done by the State Government, they should make a legal provision so that their opinion also comes into play.

I wanted to mention these points to the Central Government. Thank you very much.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी जी का मैं तहेदिल से स्वागत करता हूँ कि चन्द्रपुर जिले में कर्नाटका एम्टा कोल माइन्स चालू की गई हैं। जब मैं एमएलए था, उस समय भी माइन्स चालू करने के लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया था। वहां के लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना ही चाहिए, लैंड एक्वीजिशन होना चाहिए। आदरणीय विनायक राउत जी ने मेरे साथ वहां पर 10 किलोमीटर तक की पद यात्रा भी की थी। आज, आप अपने निर्णय से जो गति कर्नाटका एम्टा कोल माइन्स को दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहेदिल से आपका स्वागत करता हूँ। वहां 468 लोगों के रोजगार का मामला था, रिहैबिलिटेशन का मामला था, लैंड एक्वीजिशन का मामला था, यह सब आपके माध्यम से हो रहा है।

सभापति महोदय, आज मैं सरकार द्वारा लाए गए खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम-2021 के विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस संशोधन विधेयक में खदान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम-1957 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य, खानों के क्षेत्र में विकास और सुधार लाना है। इसके अलावा नीलामी के लिए बड़ी संख्या में खानों को उपलब्ध कराया जाना है। यह नीलामी केवल शासन को मजबूत करने और प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

महोदय, ऐसा सरकार का मानना है, जबकि हकीकत में इसके उल्टे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। सरकार यह बिल बहुत जल्दबाजी में लेकर आई है और इसे आनन-फानन में पास कराना चाहती है। मंत्रालय द्वारा इस देश की जनता के विचार जानने के लिए केवल दस दिनों का समय दिया गया है, जो कि प्री-लेजिस्लेटिव कन्सल्टेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का सरासर उल्लंघन है, जबकि जनता के विचार जानने के लिए कम से कम तीस दिनों का समय देना चाहिए। भारत में खनन एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि है, जो बड़े-बड़े सेक्टर्स, जैसे-स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर्स और यूरिया जैसे सेक्टर्स में मुख्य सामग्री प्रदान करता है। भारत में मिनरल्स का

काफी बड़ा भंडार है, लेकिन अभी तक हम कुल भंडार का 20 प्रतिशत हिस्सा ही एक्सप्लोर कर सके हैं।

माननीय सभापति: कृपया, आप अपना आखिरी वाक्य बोलें।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर : सभापति महोदय, बीजेपी सरकार आने के बाद, सरकार ने खनन के क्षेत्र में कई गलत निर्णय लिए हैं। वर्ष 2015 में भी एक अध्यादेश के माध्यम से कुछ बदलाव किए गए थे, लेकिन वह पूरी तरह से फेल हुए हैं।

HON. CHAIRPERSON: You come straight to the point.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर : सर, हालात यह रहे कि सरकार ने जो एक हजार खदानों की नीलामी का टारगेट फिक्स किया था, उनमें से पिछले 6 वर्षों में केवल 100 खदानें ही नीलाम हो सकी हैं।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं सैक्शन 8(a), 8(b) और 9(b) पर अपना थोड़ा सा विरोध दर्ज करवाना चाहूंगा और उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, जो माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेग्युलेशन बिल लाए हैं, इसमें एक हिसाब से उन्होंने सरकार की जो पूंजीवादी नीति है, उस पर उन्होंने यह बात रखी कि सारी की सारी माइन्स को प्राइवेट निवेश के लिए खोल दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहता हूं कि आपने कैप्टिव माइनिंग को जो ब्लॉक कर रखा था, जिस कारण सिर्फ कैप्टिव माइनिंग में ही कंपनियां आकर केवल अपनी फैक्ट्रीज के लिए उस मिनरल का उपयोग कर सकती थीं, अब उसको खोलकर उसका 50 प्रतिशत वह बाहर भी भेज सकती हैं। इससे सीधा प्रभाव यह पड़ेगा कि वहां पर जो फैक्ट्रियां बनी रहती थीं, या फिर यदि 30 साल की लीज रहती थीं, वे माइन्स को और जल्दी खत्म कर देंगी।

माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन विधेयक माइन्स के कारण होने वाले प्रदूषण से प्रभावित होने वाले पर्यावरण, वहां रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज और जल निकायों की पूरी तरह से अनदेखी करता है। कई आदिवासी एक्टिविस्ट्स और एडवोकेट्स ने इसका विरोध किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे आदिवासी भाई-बहनों के जीवन से ज्यादा कीमती इन माइनिंग कॉर्पोरेशन्स द्वारा कमाया जा रहा पैसा है?

सर, अंत में मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र-अम्बेडकर नगर में बालू का खनन होता है। वहां एक गांव है, जिसकी रोड पूरी तरह से टूट गई है। जिला मजिस्ट्रेट से जब कहा जाता है कि माइनिंग फंड से पैसा दें तो वह नहीं दिया जाता है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री संजय सेठ (राँची): महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, मैं यहाँ खान और खनिज (विकास और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2021 के समर्थन में बोलने लिए खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह प्रकृति ने झारखंड को भरपूर खनिज दिया है, वैसा ही समय का आशीर्वाद में आसन से भी चाहता हूँ।

मैं जिस झारखंड प्रदेश से आता हूँ और जिस राँची लोक सभा से आता हूँ, उस राँची लोक सभा की खलारी की जो कोलरीज है, उससे पूरा भारत जगमगाता है। वह कोयला हम पूरे भारत को देते हैं। मैं बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि,

प्रधान मंत्री मोदी जी ने देखा है एक सपना,
मजबूत खनिज क्षेत्र के साथ आत्मनिर्भर हो भारत अपना,
विदेशों से अब नहीं लेंगे खनिज उधार,
अपने ही खनिजों से हम करेंगे देश का उद्धार॥

बीते वर्ष जब 2020 में लॉकडाउन हुआ, आदरणीय प्रधान मंत्री ने “आत्मनिर्भर भारत” का एक नारा दिया। यह “आत्मनिर्भर भारत” का नारा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से भारत को मजबूत बनाने के लिए दिया गया। जब हर रूप से हम भारत को मजबूत करने की बात करते हैं तो खनिज उत्पादन के क्षेत्र में भला हम क्यों पीछे रह जाएं? निश्चित रूप से यह संशोधन विधेयक खनिज उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

महोदय, मैं मात्र 5 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा।

माननीय सभापति: 5 मिनट नहीं, आप केवल एक मिनट में अपनी बात रखिएगा।

श्री संजय सेठ: महोदय, आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। इतने लंबे समय के बाद भी हमने खनिजों का आयात किया। यह आयात निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि हम जो यह आयात करते हैं, यह हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रकृति ने बहुत दिया है। मैं झारखंड की बात इसलिए रखना चाहता हूँ, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहाँ इन चीजों के अलावा बाकी सभी चीजों पर डीएमएफ के पैसे खर्च होते हैं। 1.5 साल

पहले डीएमएफ के फंड की मीटिंग हुई। मैं सभी सांसदों को बताना चाहता हूँ कि डीएमएफ पर चर्चा हुई। जब 1.5 साल पहले डीएमएफ पर चर्चा हुई, वहाँ खलारी के अंदर विकास के कार्य हुए, अब हम उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इतना विकास हुआ, पानी, बिजली, सड़क, पाठशाला, स्कूल सब जगह डीएमएफ का पैसा दिया।

माननीय सभापति : संजय जी, ठीक है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सेठ : महोदय, बड़े-बड़े विभागों में इतनी राशि नहीं होती है, जितनी डीएमएफ में होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ:

डीएमएफ से दूर हो जनता की हर भ्रांति,

तभी खनन के क्षेत्र में आएगी नई क्रांति।

सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको मिले रोजगार,

खुशहाल हो सबका जीवन, खुशियाँ जीवन में आए अपारा।

झारखंड जैसे राज्यों में हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीणों का स्तर ऊँचा बढ़ाने के लिए यह सुधार हुआ है, यह सुधार की प्रक्रिया है।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सेठ: महोदय, हमने वह समय भी देखा है, पूर्व की सरकारों में कैसा कोलगेट घोटाला हुआ, घोटाले पर घोटाला हुआ, लेकिन पारदर्शी, पूरी तरह जनता के बीच में, कोई घोटाला नहीं, यह सुधार वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह भारत, मोदी का नया भारत है और इसमें पारदर्शिता है, इसमें रोजगार है, इसके अंदर “आत्मनिर्भर भारत” और “वोकल फॉर लोकल” की प्रधानता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूँ कि 21 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए हैं। एकाध इश्यू को छोड़कर किसी ने इसका कोई विरोध भी नहीं किया है। As a whole, the Bill is not being opposed. There are certain things in the Bill which have been opposed. I will try to convince and clarify. It has been said that the Centre is going to take the power of the auction. फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि we do not want to use this. But in the last five years, 143 mines have been handed over to the States. Only seven mines have been auctioned. क्या ऐसे ही रख देना चाहिए? हम सब इम्पोर्ट करते हैं। देखिए मैं एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम इसमें राज्य सरकारों के साथ बैठकर समय निर्धारण करते हैं। After fixing the time in consultation with the States, if they do not go for auction, then should you leave it like that?

हमारी जो रिच मिनरल्स हैं, वे ऐसे ही रहनी चाहिए और हम करोड़ों-करोड़ों रुपये खर्च करके इम्पोर्ट करते हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए। The Government of India does not want any power. The entire revenue goes to the State Government. पूरा का पूरा जो पैसा आएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन करती है तो भी वह स्टेट को जाएगा। In fact, we do not want it. ...(व्यवधान) मैं पूरा बताता हूँ। आप कृपया सुनिए। This is one thing. Almost all the State Governments, where there are progressive Governments, irrespective of party, have supported this move because we are using this provision only where it is not being auctioned. As far as the DMF is concerned, using this power we are giving direction to the States to include MPs. That also we have to formulate in the rules. Many Members, especially those belonging to the mineral-rich States, meet me and tell that they are not being included while taking the decisions. Along with that, there are also numerous other

complaints. बहुत कंप्लेंट्स आई हैं कि जहां माइनिंग होती है, वहां काम नहीं होता है। हम एक जनरल गाइडलाइन देंगे कि इसमें क्या-क्या काम होना चाहिए, प्रॉयरेटी क्या करनी चाहिए? यह हम रखने वाले हैं। That money will be with the DM and that money will be spent in the same district. They should involve the people's representatives, including MPs. उधर जहां...(व्यवधान) आप बैठिए, मैं पूरा बोलता हूं। मैंने आपको सुना है। ऐसा करना ठीक नहीं है। आप बैठिए, मैं बता रहा हूं। I am not yielding. I am sorry. ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : क्लेरिफिकेशन बाद में हो जाएगी। अभी आप बैठिए। प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: ऐसे मत करो। मैं आपको बताता हूं। In the DMF, MPs will be there. ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अभी उत्तर हो जाने दीजिए।

श्री प्रहलाद जोशी: डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जो कमेटी होगी, कमेटी में एम्पीज़ रहेंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं।...(व्यवधान) देखो, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आप ही बोलते हैं। इधर बहुत लोग बोले, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में सौगत राय दादा बोले, हम ऐसे करेंगे तो क्या स्टेट गवर्नमेंट मानेगी? हमको एक बीच का रास्ता पकड़ना होगा। हम वह कर रहे हैं। Shri Hanuman Beniwal, please try to understand that in many States, even MPs are not members and now we are mandating that. There should be a Committee, which should include the MP and it should hold meetings regularly before spending the money. We are doing this so that you will have your say in the meeting. यह एक है। रेवेन्यू लॉस के बारे में बताया गया है, बिकॉज पीएसयूज़ के लिए पहले भी रिजर्व था, आगे भी हम रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम नया रिजर्व करते हैं, there is a provision for additional royalty, but where there is extension of renewal for PSUs, रिन्युअल था, रिन्युअल में स्टेट को कुछ प्रोविजन था, हमने वह प्रोविजन किया है। We

have made those provisions after consulting the States. एनएमडीसी की एक माइन है, उसकी लीज खत्म हो रही थी। A particular State was not ready to extend its lease. क्योंकि हमको सिर्फ रॉयल्टी मिलती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते हैं, एडिशनल कुछ नहीं देते हैं। उसमें टेम्परेरी एक व्यवस्था करके हमने ज्यादा दे दिया, बाद में एक्ट में हमको एक प्रोविजन करना था, वह हम कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ क्लियरेंसेज में बताया गया कि ट्राइबल लोगों का, आदिवासियों के रिहैबिलिटेशन और लैंड एक्विजिशन का जो काम है, वह काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और एज पर दी लॉ ऑफ लैंड वह करेगा, उसमें हम कोई दखलअंदाजी नहीं करेंगे। जो कुछ भी क्लियरेंसिज और ट्रांसफर होगा, only clearances will be transferred where working mines are there. Only there all the clearances will be transferred and that clearances are for the mines. It is not to a person, it is not to an owner, it is not to a company. अगर एक पार्टिक्युलर एरिया हम माइनिंग के लिए देते हैं तो that area is given permission. It is not given to a particular company or to a person. That is why, we are making a provision, and if there is a change of condition, the State Government, the concerned Department and the Ministry will interfere and issue necessary directions. That provision is there. They can make the rules. The only thing is this. Today I am taking a particular mine. That is a forest land. उस फॉरेस्ट लैंड के लिए मैं ऑलरेडी लैंड दे चुका हूँ और पब्लिक हियरिंग हो गयी है। फिर से वही काम करते हैं तो हमारे देश में दस वर्ष लगेंगे एक माइन ओपनिंग करने के लिए। It will take 10 years. क्या ऐसे ही चलना चाहिए? कमर्शियल कोल माइनिंग और एफडीआई के बारे में सौगत दादा ने कहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि सौगत दा, आप कृपया मुझे बाद में समझाइए, अभी तो समय बहुत कम है, आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस भी है। Having the fourth largest coal reserves, we are importing coal. तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो ओपन कर रहे हैं और एफडीआई करते हैं तो there are restrictions. We are not telling कि वे जो कुछ भी करते हैं, वह सब कुछ

चलेगा । FDI has been allowed with a view to attract foreign investment and technology. हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं है, अभी तक हमने कोल गैसिफिकेशन में क्या किया है, कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है । इसीलिए हमने एफडीआई भी अलाऊ किया है । This will bring the latest technology in the field of mining and will provide more efficiency in the coal mining sector. For participation in the auction process, foreign players need to register in India as Indian companies and all the laws will be applied to those companies. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

श्री प्रहलाद जोशी: दादा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए कि ऑस्ट्रेलिया से कोल लाने का काम पहले से, 70 वर्ष से, आप तब मंत्री थे, तब से यह चल रहा है । आप भी यूपीए गवर्मेंट को सपोर्ट करते थे । कोल में क्या-क्या हुआ, वह आप जानते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ । But this is not the time for discussion of that particular point. In last 60-70 years, we have not handled this properly and now this is being attempted. Please cooperate, so that import will be stopped. Country's foreign exchange will be saved. I appeal to all कि इसमें पॉलिटिक्स सही नहीं है । It benefits the State Governments. उधर से जो लोग हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा । मैंने रीहैबिलिटेशन के बारे में ऑलरेडी कहा है और डीएमएफ के बारे में मैंने बताया है । पीएसयू के कारण स्टेट का रेवन्यू बढ़ेगा । नॉर्थ-ईस्ट के बारे में कहा, where the land and minerals belong to the people. इसमें स्पेशल प्रोविजन है । ऑलरेडी मेघालय ने हमको एप्रोच किया है । Meghalaya has requested for permission for coal mining and the Standard Operating Procedure is being worked out. I am personally in touch with the Chief Minister of Meghalaya. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति: सौगत दा, अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज बाद में पूछना। Let the hon. Minister reply.

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: देखिए रैट होल माइनिंग हो, इल्लिगल माइनिंग हो, कोयले की चोरी हो, वह कहां कौन कर रहा है, दादा आपसे ज्यादा हमको तो पता नहीं है। ...(व्यवधान) मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) मैं बताता हूँ। ...(व्यवधान) अरे! पांडे जी, आप तो हमारे मित्र हैं। ...(व्यवधान) आप ऐसे क्यों करते हैं? क्या हम कभी आपको डिस्टर्ब करते हैं?

दादा, चोरी, इल्लिगल काम रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह काम हमारा है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और नॉर्थ-ईस्ट में जो रैट होल इल्लिगल माइनिंग हो रही है, इसे रोकने का काम राज्य सरकार का है। हम राज्य सरकारों को लिखते रहते हैं। जो लोकल पी.एस.यूज. हैं, continuously they are in touch with the State Government to contain it. पर, कई माफिया वर्ग होते हैं। उन माफिया वर्गों को कंट्रोल करने का काम राज्य सरकार को करना चाहिए।

महोदय, मुझे इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलना है। मैं डी.एम.एफ. के बारे में कहना चाहता हूँ, that so far only 45 per cent is used in the country. इसलिए हम कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं। क्या हमें कोई शौक है कि हम इधर से डायरेक्शंस दें? क्या हम यहां बैठकर इतने जिलों के बारे में डायरेक्शंस दे सकते हैं? We are only sending a broader guideline where it should be; how it should be; what should be the priorities; and making the MPs as the Chairman. These are the few things that we are doing. I do not want to add much...(Interruptions) एम.पी. चेयरमैन नहीं, एज-ए मेम्बर रहेंगे।

महोदय, कैप्टिव माइन्स के बारे में कहा गया। कैप्टिव माइन्स में एक तो पार्टिसिपेशन कम होता है। There will be less participation if you restrict the end-use. सेकेन्ड यूज कि वहां एक प्लांट होता है। उस प्लांट के लिए हम माइन्स देते हैं। इसके बाद उस माइन्स की

पी.आर. सी. क्या होती है, यह हमें पता नहीं होता है। अगर ज्यादा पी.आर. सी. हैं तो he will use. He will only mine limited to the extent what is needed for his plant.

Why are you giving 50 per cent more? What has happened recently? Some people have raised the question in the public domain also about iron ore being raised to 7,500. हाँ, वर्ष 2020 में हमारा कुछ कम हुआ था। लेकिन, जब हमने 50 प्रतिशत एलाऊ किया, even the Odisha Government took some proactive steps. They requested some changes, and within 20 days whatever the Odisha Government had asked we had got it done. हमने कर्नाटक में कुछ लिया, 'सेल' को हमने कुछ किया, इसलिए आयरन ओर की प्राइस कम हुई। आयरन ओर की मार्केट में उपलब्धता होने के कारण, हमने तो 50 प्रतिशत एलाऊ कर दिया, otherwise also, if a particular grade is used for the end-use plant, there will be so many things in a mine. बहुत ग्रेड का नैचुरल रिसोर्सेज अन्दर से आता है। इसके अलावा, वह अलग-अलग ग्रेड का होता है और it cannot be utilized. वह पहाड़ जैसा होकर उधर ही रहेगा तो it has become an environmental hazard. इसलिए हमने 50 प्रतिशत एलाऊ किया है, so that even that can be used and sold at 50 per cent. These are all the things, which will be a very good way for the ease of doing business.

माननीय सभापति: प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस का समय इस बिल के पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है। यह बिल पास हो जाए, उसके बाद प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस लेंगे।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। आपने जो कुछ भी सुझाव दिया है, मैंने स्वयं नोट किया है। हमारे अधिकारी वर्ग, जो यहां बैठे हैं, उन्होंने भी इसे नोट किया है। रूल बनाते समय हम इसका ध्यान रखेंगे।

हमसे बार-बार यह भी पूछा गया कि आप बार-बार क्यों अमेंडमेंट करते हैं? यह तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अल्टीमेटली, यह एक एक्सपीरियंस है क्योंकि पहले हम एलॉटमेंट रूट से देते थे, ऑक्शन नहीं था। फिर सिस्टम इम्प्रूव कैसे करना है? जब ऑक्शन का रूट शुरू हो गया, तो वह तो करना है। वर्ष 2020 और 2030 में भी हमारे कैप्टिव माइन्स खत्म हो रहे हैं। इसके लिए हमें पॉलिसी लानी होगी। हम 2020 माइन्स के बारे में पॉलिसी लाए। दो सालों के लिए सारे क्लियरेंसेज और ट्रांसफर्स करके करा दिया। Then, what happened? Many people who never wanted auction to be succeeded, उसने क्या किया कि बहुत हाई प्राइस कोट करके ऑपरेशनलाइज भी नहीं किया, प्रोडक्शन भी नहीं शुरू किया और मार्केट में शॉर्टेज किया। They wanted to prove that the system of auction is failed. So, we changed some procedures and processes in consultation with the State Governments. Today, things are being changed. After understanding things, sometime need arises for change. So, we are doing that. We have taken all your suggestions. Please support this Bill.

I am, once again, assuring hon. Members that all the revenues would go to the States alone, not even a single paisa would come to the Centre. The thing is that we are only making a good and transparent policy.

Under Shri Narendra Modi Ji's Government, transparent policy and transparent allocation of country's natural minerals will continue. Scarce days are over in 2015 itself. Now, we are in the days of availability and prosperity. Hence, I appeal to you all to pass the Bill unanimously.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“ कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 5

Amendment of Section 4A

माननीय सभापति: श्री जसबीर सिंह गिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I move the amendment.

I beg to move:

“Page 3, line 8,--

for “one year”.

substitute “two years”. (1)

माननीय सभापति: अब मैं श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 Amendment of Section 8

माननीय सभापति: श्री जसबीर सिंह गिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL: Sir, I will not move amendment nos. 2 and 3, but I will move amendment no.4

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 10 Amendment of Section 9B

माननीय सभापति: श्री जसबीर सिंह गिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL: Sir, I move the amendment.

I beg to move:

“Page 5, line 15,--

for “Central”.

substitute “State”. (4)

माननीय सभापति: अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 19 Amendment of Section 17A

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

Amendment made:

Page 9, line 15,-

for "extended"

substitute "granted". (5)

(Shri Prahlad Joshi)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 19, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRI PRALHAD JOSHI: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, जो नेक्स्ट आइटम है, एससी, एसटी ऑर्डर, आइटम नंबर 21, यह बहुत इंपोर्टेंट आइटम है। मेरा अनुरोध है कि इस आइटम को पहले लिया जाए। अगर बाद में समय रहेगा, तो प्राइवेट मेंबर बिजनेस लिया जा सकता है।

माननीय सभापति : क्या इस पर सदन की सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य: हां। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, गवर्नमेंट का बिजनेस तो होता रहेगा। हमें हफ्ता में एक दिन मिलता है।

माननीय सभापति : यह माननीय सदस्यों का अधिकार है। यह बिल पास करना माननीय सदस्यों का कर्तव्य भी है।

प्रो. सौगत राय : सर, बिल तो पास कर दिया।

माननीय सभापति : अब आप देखिए कि क्या करना है?

प्रो. सौगत राय : सर, प्रहलाद जोशी जी का जो बड़ा बिल था, वह पास कर दिया।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर हाउस स्वीकृति दे तो इस बार माननीय सांसद अपने कर्तव्य का पालन करें और इसे कर लेते हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): मैं निवेदन करता हूँ कि यह बहुत ही छोटा बिल है। अगर आप सब रेडी हैं, तो इसे पास कर देंगे। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : विद आउट डिबेट पास कर दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : दादा, जल्दी कर देंगे। लोग अपनी-अपनी बात रजिस्टर कर देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 21, माननीय मंत्री जी।

15.37 hrs.

**CONSTITUTION(SCHEDULED CASTES)
ORDER(AMENDMENT) BILL,2021**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय सभापति : आप इस पर कुछ बोलेंगे।

प्रो. सौगत राय (दमदम): बोलने की क्या जरूरत है?

माननीय सभापति : संक्षेप में थोड़ा सा बोल देंगे।

श्री थावर चंद गहलोत: सभापति महोदय, इस विधेयक में वर्तमान में तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में स्वतंत्र प्रविष्टियों के रूप में सूचीबद्ध सात जातियों, यथा – देवेन्द्रकुलथन, क्रम संख्या 17, कडयन, क्रम संख्या 26, कल्लादि, क्रम संख्या 28, कुडुम्बन, क्रम संख्या 35, पल्लन, क्रम संख्या 50, पन्नाडी क्रम संख्या 54 और वातिरियन क्रम संख्या 72, जातियों को समूहित देवेन्द्रकुला वेलालर के रूप में नामित करना और तिरुनेलवेली, तूतूकोड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर और नागापट्टनम जिले के कड्डयन जाति के सदस्यों को जो अपने आपको प्रस्तावित समूहीकरण से अलग रखना चाहते हैं, को इससे अलग रखकर क्षेत्र प्रतिबंध लगाना है। इस विधेयक द्वारा न तो कोई जाति शामिल की जा रही है और न कोई जाति विलोपित की जा रही है।

इस प्रस्ताव द्वारा इन 7 समुदायों को रीग्रुप करके उनके सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, ताकि उन्हें समाज में और अधिक सम्मान मिल सके। मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर विचार करें। मैं बाद में विस्तृत जवाब दूंगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, तमिलनाडु के कोई मेंबर यहां नहीं हैं। सब लोग चुनाव के लिए चले गए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: दादा, किसी बिल के ऊपर विचार करना पूरे देश के सभी सांसदों का अधिकार है। मेरा निवेदन है कि थोड़ा-थोड़ा बोलें।

औजला जी, संक्षेप में बोलिए।

***SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):** I thank you sir, for giving me the opportunity to speak on the “Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021”.

Sir, Hon. Baba Saheb Ambedkar ji had framed the Constitution of India and every citizen had been provided equal rights, whether it was the matter of castes or religious. However, with the passage of time, Dalits continued to suffer. Global Index says that out of 160 countries, we are at 94th place as far as giving rights to the citizens is concerned. The poor Dalit people have found themselves at the receiving end. These people do jobs like Safai Karamcharis, daily wage labourers and manual scavenging work. They have to carry night soil manually. They have to enter sewers for cleaning these. We have failed to provide technology to come to their rescue.

Social injustice and corruption against Dalits are rampant. Governments have failed to discharge their duties towards these sections on time. Whether it is ‘Honour Killing’ or mob – lynching, Dalits are the targets. They have been stigmatized and oppressed. The capitalists and powerful castes conspire against them and subdue them. 16.2% SCs and 8.2% STs are present in the total population.

Sir, the Education System of Dalits is in shambles. 91% children of this section of society do get admitted in nursery schools but by 10+2 stage, over 70% of these children drop-out of schools. So, education must be ensured for

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

children of Dalit community. If they study, they will get jobs and come out of the rut of poverty.

Scholarships for SCs have been started by Captain Amarinder Singh, CM of Punjab. The Central Government Scheme was there under Shri Manmohan Singh of UPA Government. 90% money was provided by centre and 10% share was borne by the State Government. Modi ji's Government changed the norms to 60% share of Central Government and 40% share of State Government. Chairman Sir, states do not have so much resources. So, the scholarship scheme of centre fails for lack of money.

The eligibility of scholarship scheme was also been changed to Rs. 2 lakhs. Punjab Government has fixed Rs. 4 lakh as eligibility norm. The Central Government should follow suit.

In 1974, late Smt. Indira Gandhi had started Indira Awas Yojna as the Dalits did not have a roof under the sky. They had no land and no houses to live in. This Government has allowed them to get houses but they do not have ownership rights to these houses. Their lands and houses are purchased by rich and powerful sections of society. They are forcible kicked out of their lands and houses. Their rights are thus, snatched away.

This bill has been brought by the Union Government for deriving political gains keeping in view the Tamil Nadu elections. The genuine and just needs of these deprived and marginalized sections of society must be met. Sir, maximum crimes are committed against Dalit Children and Dalit Women. 20% crimes are perpetrated against women in India but in the case of Dalit women,

this ratio is 35%. Maximum crimes are being committed against Dalits in U.P. and M.P. is not far behind in this matter. In Hathras, a Dalit lady was abused and killed and she was cremated in a hush-hush way without even allowing the presence of her parents. No one was arrested. Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji went to the place and demanded justice for this hapless girl. Elsewhere too, such incidents have taken place. ...(Interruption)

Wherever, it happens, it is bad. In Gujarat too, such incidents have taken place. It is the land of our Prime Minister (Interruption)

When your turn comes, do speak.

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

SHRI GURJEET SINGH AUJLA : I know, you survive only anti-Congression

Sir, Article 14 says :

Article 14 of India's Constitution ensures equality by providing that the State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India.

Article 15(1) says that State shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

Article 53 says that the state is free to make any special provision for women and children.

Hon. Chairman Sir, the judicial system is very slow. Cases in courts are pending and justice is provided to a miniscule minority. Supreme Court has asked for fast track courts to be set up. We all know that reality is different.

Central Government had promised that fast-track courts will be set-up but nothing has been done till now. Crimes against Dalits should be registered in separate police stations. 1,26,229 crores has been earmarked for this section by Hon. Minister Shri Thawar Chand Gehlot. We provide them money. But, education, health and good working environment should be provided to them.

Dalits are doing manual scavenging work which is stigmatized. So, technology must be developed so that machines do such degrading work. We talk about 5 trillion economy but what about these deprived sections of society?

Thank you.

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for bestowing on me the opportunity to speak on the Bill amending the Constitution (Scheduled Caste) Order 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Tamil Nadu. According to this, seven sub-castes that are to be encompassed, such as Pallan, Pannadi, Kudumban, Vathiriyar, Kadaiyan, Kalladi, and Devendrakulathan, are to be now called as Devendrakula Velalar. The Devendrakula Velalar people traditionally belong to the agricultural community. These people are part of very ancient agricultural Tamil title 'Velalar'.

Records also convey that they comprised a powerful cultivator and warrior clan. Literature records the mainstay of the Devendrakula Velalar as Erum Porum". 'Erum' means plough and 'Porum' means war. So, these exemplary set of people created and ploughed the Tamil Marudham land of the Tamil Moovendar kings- Chera, Chola and Pandyan emperors. They are referred to in the ancient Tamil Sangam literatures as Mallars, in epigraphical and ancient copper plate records as Kudumbar and Devendrar, and socially as Pallar or Pallan currently.

Writers and researchers like Deva Aseervadham, Gurusamy have written about their true links with the legendary Moovendhar the three great leaders, with irrefutable proof. There is a mention in the 2000-year-old Kerala Edakkal inscriptions, Sivagangai, Poolankuruchi inscriptions. Also, the inscription was proudly mentioned by our hon. Prime Minister Narendra Modi ji while laying the foundation stone of the new Parliament building during

December, 2020. This Kudumbu title has been continuously inscribed even in the Devendrakula Vellalar's Thiruchendur Lord Murugan temple both in the ornaments and in the temple pillars.

The Devendrakula Vellalar have been receiving the Parivattam: first respect from the temple priest which involves tying a turban around the head and temple car festival respects from ancient times in the most important temples of Tamil Nadu like Madurai Meenakshi Temple, Palani Murugan temple, Kovai Perur Patteeswarer temple and almost 400 other temples in Tamil Nadu.

There is a proverb Tamil: "*Devendra kulathaan vadam pidithaal ther odum*" which means only by the touch of the Devendra can all the temples' cars move. True to that, the Devendrakula Vellalar still initiate all temple car pulling events till date.

सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आदर और मान-सम्मान नॉलेज और स्किल का होना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई जाति विशेष मायने नहीं रखती है। इसीलिए, किसी समय में यह कहा गया है कि-

“जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान,
मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान।”

ऐसे ही उसमें जब ये सात के सात, अगर ये चाहते हैं कि इन सभी सब-कास्ट को देवेंद्र कुला वेल्लालर कहा जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं भी हमारे सदस्य को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए और हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत-सा ऐसा रिकॉर्ड पेश किया है।

अगर हम देखें, a resolution was passed in the Law (General) Department on 12.01.1924 to the effect of nominating Thiru P.M. Kandasamy Moopanar to the Madras Legislative Council as representing the backward community of Devendra Tirukula Pallars which proves that they were a part of the Backward Classes in 1924 AD. With such rich history, culture and lineage, it was a mistake of monumental proportions on the part of the then rulers in the year 1927 to have mistakenly recommended to the British Council to include the Devendrakula Velalar in the list of Scheduled Castes.

You know about the Government of India Act, 1919. At that time, only taxpayers, land owners and educated people were allowed to vote. Under the Government of India Act, 1935, only 10 per cent of the population of India was given voting rights. This community owned lands and even voted during the British Raj. “We should have never been included into SC category”, said M. Thangaraj, the President of Devendera Charitable Trust.

ब्रिटिश राज में जो डिवाइड एंड रूल का कानून चला, आप देखेंगे कि पूरे हिन्दुस्तान में सिर्फ 10 परसेंट पॉपुलेशन को वोटिंग राइट था। मुझे लगता है कि उसी की बदौलत जाति प्रथा धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। सिर्फ कुछ लोगों को ही यह अख्तियार था कि वे वोट कर सकें। हालांकि ये सब-कास्ट यह कहती हैं कि उस समय में भी इनको वोटिंग राइट का अख्तियार था। इसी वजह से ये चाहते हैं कि इनको सात सब-कास्ट की बजाय देवेन्द्र कुला वेल्लालर में एक अलग टाइटल दिया जाए।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूँ कि despite this, the British Council however passed the SC Bill and included them in the list of Scheduled Castes in the year 1936. Since this act, the Devendrakula Velalar have been the subject of

humiliation and degradation by all the means in the social, economic and political spheres of life, which is injustice in every sense of the word, despite the impressively rich culture and heritage of Devendrakula Velalar. Even the kids have not been spared humiliation and have been bullied by other students and teachers alike.

अगर हम सन् 1893 को याद करें, तब उस समय पहली बार महात्मा गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। उस समय पहली बार उन्होंने इस दर्द को महसूस किया था। मुझे लगता है कि जब उसके बाद वह भारत वापस आए थे, तब उन्होंने सबसे ज्यादा काम अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किया था। तब उन्होंने यह बात कही थी कि 'वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाणे रे'।

सभापति महोदय, जो छोटे बच्चे इस दर्द को महसूस करते हैं, सिर्फ इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, क्योंकि वे शेड्यूल कास्ट से हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि उस समय उनके कोमल मन पर क्या बीतती होगी। इन सब चीजों को हमारे बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जी ने बहुत ही नज़दीक से महसूस किया है। इसको महसूस करते हुए उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उसी का यह नतीज़ा है कि आज बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के जो सांसद हैं, विधायक हैं या राज्य सभा के सांसद हैं, वे सब चुनकर आते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जब आदरणीय प्रधान मंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से वर्ष 2015 में इसके बारे में एक पूरा डेलीगेशन मिला था और उन्होंने उनकी बातों को सुना था, तब वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया और कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग इन 7 सब-कास्ट को 'देवेन्द्र कुला वेल्लालर' में रखेंगे।

In the light of all this evidence, hon. Prime Minister and Shri Amit Shah ji first in 2015, and then in 2019 in Madurai, promised them that they will look into this. Accordingly, the Government of Tamil Nadu constituted a Special Group to study and report on the above issue. The final anthropological report, that was submitted, conclusively said, "This Study validated the facts through historical, archaeological, literary, and empirical evidences. The ethnographic documentation of seven sub-communities has followed a scientific approach.

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहती हूँ कि इसमें तमिलनाडु सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे यह लग रहा है कि हमारे आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने कल भी इसका जिक्र किया था कि किस तरह से वहां पर 52 प्रतिशत एक्सीडेंट्स रेट कम हुए हैं। उन्होंने जब अपनी स्टडी और अपनी रिपोर्ट दी थी, तब उसके बाद यह डिसाइड किया गया था कि इन 7 सब-कास्ट को इसमें इनक्लूड किया जाए और इसको यह नाम दिया जाए।

जब हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2015 की मीटिंग को रिकॉल किया, उस समय उन्होंने यह कहा था कि 'Their sadness could be seen. Colonial rulers took away their pride and dignity. For decades nothing happened. They told me that they had pleaded with Governments but nothing changed. I told them one thing.'

उन्होंने लाइटर वेन में कहा था कि 'your name Devendra rhymes with my name Narendra'. तब उन्होंने कहा था कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 'देवेन्द्र कुला वेल्लालर' में इनक्लूड किया जाएगा और इन 7 सब-कास्ट को आगे से 'देवेन्द्र कुला वेल्लालर' कहा जाएगा।...(व्यवधान)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह कहना चाहूंगी कि वर्ष 1964 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 'एकात्म मानववाद' का एक विचार दिया था। वर्ष 1965 में उसको स्वीकार किया गया था।

उन्होंने उसी साल अप्रैल माह में 'एकात्म मानववाद' के बारे में विस्तार से बताया था। तब उन्होंने यह कहा था कि हमें संघर्ष नहीं, आपस में सहयोग की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम आज जिस तरह से देख रहे हैं कि क्या किसी को सिर्फ इसीलिए टॉर्चर किया जाए, क्योंकि वह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है? क्या किसी बच्चे को सिर्फ इसीलिए पानी पीने न दिया जाए? मुझे लगता है कि अगर अब इस तरह की कहीं पर भी कोई घटना या दुर्घटना हमारी नज़र में आती है, तो सरकार उस पर कड़ा से कड़ा संज्ञान ले और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्या, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। यह आपका आखिरी वाक्य है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्या, पांच मिनट नहीं, आप अपना आखिरी वाक्य बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, बिल है और वे बिल पर महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई तमिल की सदस्या बोल रही हैं।...(व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके पक्ष में काफी अपील की जा रही हैं। आप अपनी बात को जल्दी पूरा कीजिए।

...(व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, हम यह नोटिस करते हैं कि यह वह सदन है, हमने यहां पर बहुत बड़े-बड़े नेताओं को देखा है। यहां पर आदरणीय सुषमा स्वराज जी थीं, यहां पर स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, यहां पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थीं, नेहरू जी थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे।...(व्यवधान)

16.00 hrs

माननीय सभापति : दादा, यह तो पता है।

...(व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : यहां इस सदन में बजट पेश करने के लिए मंत्री के रूप में तो आए होंगे।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप पूरा कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं, मैडम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ।

सुश्री सुनीता दुग्गल: मैं यह कहना चाहती हूँ कि यहां पर आदमी सिर्फ आदम जात है। इसके सिवा और कोई जात नहीं है। अभी परसों के दिन ही रामस्वरूप शर्मा जी हम सब लोगों के बीच में बैठे थे और वे आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह से यह जातिभेद हर हालत में खत्म करना चाहिए। यह हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कहते हैं कि “पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा परभात”। इसी तरह से कबीर साहब ने भी यह बात कही है कि:-

कबीर कुंआ एक है पानी भरे अनेक,

बरतन में ही भेद है पानी सब में एक।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मानवतावाद का संदेश था, उसको पूरा करते हुए जातिप्रथा को धीरे-धीरे खत्म करना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार इस कार्य में लगी हुई है। हमारे प्रधान मंत्री जी भी लगे हुए हैं। मैं मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

On behalf of YSRCP, I rise to support this Bill. The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021 seeks to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

The Bill, as we know, replaces the entry for the Devendrakulathan community with the Devendrakula Velalar community, which includes communities like Devendrakulathan, Kalladi, Kudumban, Pallan, Pannadi, and Vathiriyar. Currently, these are separately listed within the Act. Further, the Bill also creates the distinction for the Kadaiyan community based on the residence.

Today, as we talk about reservations for the Scheduled Castes, we must remind ourselves to the famous saying of Dr. Ambedkar, which is, 'So long as we do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of no avail to us.' Thus, through reservations under Article 15 and Article 16, the Constitution has given a great respite to the deprived people and undo such injustices of history.

Talking of the Bill at hand, it addresses the long-standing demand of seven sub-sects constituting about 17.07 per cent of the total Scheduled Castes population in the State of Tamil Nadu. The committees are set-up by the State Government under the Chairmanship of Prof. S. Sumathi and under Shri Hansraj Verma respectively had also favoured it. Moreover, the demand for the same had been raised with the hon. Prime Minister on several

occasions since 2015, for which we must applaud the Government to have acted upon.

In the light of this, I must also take this opportunity to highlight that the schemes and policy measures of the State Government of Andhra Pradesh, like YSR Pension Kanuka, YSR Aasara, Amma Vodi, Jagananna Vidya Deevena and various such other schemes, have ensured continued support to the people belonging to the Scheduled Castes. Even recently, the hon. Chief Minister has released the State's New Industrial Policy (2020-23) with an aim to provide an additional push to the aspiring entrepreneurs, especially among underprivileged communities, particularly the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Y.S. Jagan Mohan Reddy Government in Andhra Pradesh has unveiled a development initiative for the benefit of SC and ST entrepreneurs, providing higher reimbursement in power charges and investment subsidy.

A 25-paise increase in reimbursement of power charges per unit, a 10 per cent rise in investment subsidy and enhancement of nine per cent in interest subsidy for micro, small and medium enterprises are the notable features in the separate policy for SCs and STs.

Under Badugu Vikasam, SC and ST entrepreneurs setting up manufacturing units will get an investment subsidy of 45 per cent, with a cap of one crore rupees.

For service sector and transport related units, the subsidy amount has been capped at Rs. 75 lakh, according to the policy document.

The interest subsidy for MSMEs that was fixed at three per cent in the industry policy has been enhanced by nine per cent under Badugu Vikasam.

Similarly, power cost reimbursement has increased to Rs. 1.50 per unit.

Hon. Chairperson, Sir, apart from that, 25 per cent seed capital assistance will be provided for machinery for first generation entrepreneurs establishing micro units.

In the industrial parks in Andhra Pradesh, 16.2 per cent of plots would be reserved for SCs and six per cent for STs.

The SC and ST entrepreneurs need to pay only 25 per cent of the land cost upfront and the balance payment could be done over eight years, with 8 per cent interest, after the start of commercial production.

A dedicated SC and ST Entrepreneur Facilitation Cell will be set up in all district industries centres for handholding support and entrepreneurship development programmes will be taken up to provide necessary capabilities and skills.

The Government will take up capacity building, skill development training programmes, sectoral studies for future ready investible opportunities and identification of various marketing opportunities in the respective sectors for the SC and ST entrepreneurs.

As a result of all such stringent efforts taken on the part of the State Government, I feel happy to inform the house that since the formation of our Government in the State, there has been an 11 per cent reduction in the number of cases registered under Section 302 in the State with respect to the

SC, along with about 17 per cent reduction under Section 376 and 46 per cent reduction under Sections 435 and 436 of the IPC.

Sir, our hon. Chief Minister is giving more importance to SCs and STs.

With this, I conclude by expressing our Party's support for the Bill. Thank you for giving me this opportunity.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों के सन्दर्भ में संविधान में और संशोधन करने वाले इस विधेयक के माध्यम से तमिलनाडु की जनता को न्याय देने का काम आदरणीय मंत्री जी ने किया है, मैं सबसे पहले उनका अभिनन्दन करता हूँ। जैसे उन्होंने तमिलनाडु को न्याय दिया है, वैसे ही महाराष्ट्र के लिए भी न्याय देना चाहिए, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ।

महोदय, इस विषय में मैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में कहना चाहता हूँ कि 2018 में महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोटा घटाकर 12 प्रतिशत से 13 प्रतिशत करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल आरक्षण पर लगाई गई 50 प्रतिशत की कैप असाधारण परिस्थितियों में पार की जा सकती है। 9 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम, 2018 के तहत मराठा समुदाय को प्रदान किए गए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी। मराठा समुदाय राज्य की आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मराठा कोटा के तहत पहले से किए गए प्रवेश प्रभावित नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया है, उनकी स्थिति भी खराब नहीं होगी। यह विषय अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रलम्बित है। पिछले माह राज्य सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूद 50 प्रतिशत के कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए। अतः राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिखकर उनसे मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में दिए जाने वाले 16 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता की रक्षा के लिए सकारात्मक रुख अपनाने का आग्रह किया है।

महोदय, राज्य सरकार का कहना है कि उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के गतिरोध को केंद्र सरकार के स्तर पर ही हल किया जा सकता है। केंद्र को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख

अपनाने की जरूरत है। तमिलनाडु में आरक्षण 69 प्रतिशत से अधिक हो गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घोषित कोटा भी सीमा पार कर गया है। मराठा आरक्षण को छोड़कर इसमें किसी को भी नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार अपने मामले को कोर्ट में जोरदार तरीके से पेश कर रही है, लेकिन केंद्र को भी सकारात्मक रुख अपनाने की जरूरत है। यह केंद्र सरकार के लिए अपना पक्ष स्पष्ट करने का एक उचित अवसर है। उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूदा 50 प्रतिशत कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर मराठा कोटा लागू होता है तो राज्य में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। कई राज्य सरकारें इस सीमा को पार कर चुकी हैं। इसलिए 1993 के इंदिरा साहनी मामले में 50 प्रतिशत की दर से कोटा देने के ऐतिहासिक फैसले को फिर से देखने की जरूरत है। अगर केंद्र इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मंजूर करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इस विषय की सुनवाई में केंद्र सरकार सकारात्मक रुख अपनाकर महाराष्ट्र के इस महत्वपूर्ण विषय को सुलझाकर मराठा आरक्षण को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराए।

महोदय, दूसरा धनगर समाज का आरक्षण है, मैं उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 70 वर्षों से धनगर समाज के आरक्षण का प्रश्न महाराष्ट्र में वर्षों से प्रलंबित है और भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में 36 नम्बर पर धनगढ़ का उल्लेख है। हिंदी भाषा के उच्चारण शास्त्र के अनुसार धनगर और धनगढ़ एक ही शब्द है। महाराष्ट्र में धनगढ़ नाम की कोई भी जनजाति नहीं है। महाराष्ट्र शासन के राजपत्रों में और भारत सरकार के कई पत्रों में धनगर शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, फिर भी धनगर समाज को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में धनगर समाज की संख्या लगभग 11 प्रतिशत से ज्यादा है। मैं इसके लिए सरकार से निवेदन करता हूं कि धनगर समाज को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेश करें और धनगर समाज को उचित आरक्षण दिया जाए, जिससे समाज के इस पिछड़ी जनजाति को विकास करने का अवसर मिले। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार (गया) : अध्यक्ष महोदय, आपने संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया है। आजादी के 72 साल हो गए हैं। अनुसूचित जाति का हाल पूरे देश में सही नहीं है। इसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है। अभी विपक्ष के लोग बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, पहली बार अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ बात सच बोली है, लेकिन लगातार ...* ही बोलते चले आए हैं। मोदी जी की सरकार में अनुसूचित जाति को मान-सम्मान दिया गया और श्रीराम मन्दिर के निर्माण का शिलान्यास दलित से कराया गया। हम लोगों ने देखा कि मन्दिर में कांग्रेस के समय छूआ-छूत होती थी, लेकिन आज उनको शिलान्यास में पूछा जा रहा है। उस समय उनको याद नहीं आ रहा था।

महोदय, इन्होंने मनमोहन जी का जिक्र किया कि छात्रवृत्ति देते थे, लेकिन वह स्कूल में नहीं आती थी। वे इधर से पैसे पहुंचाते थे, उसमें से आधे मास्टर और वे रखते थे। आज छात्रवृत्ति मिलती है, जिसे विदेश में पढ़ने के लिए मोदी जी देते हैं। पहले ये कहते थे कि गांव में रहकर पढ़िए, लेकिन आज मोदी जी, जो पढ़ने लायक इच्छुक व्यक्ति है, उसे विदेश भी भेजते हैं। इस बिल पर हम जनता दल (यूनाइटेड) की तरफ से बोल रहे हैं। हम इसका समर्थन करते हुए अपनी बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

महोदय, कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वह एससी/एसटी के लिए जो बजट होता था, उसमें न्यूनतम से न्यूनतम प्रावधान करते रहे। इसका हल है कि आज पूरे देश में तमिलनाडु की तरह एससी/एसटी के लोग वंचित हैं और खानाबदोश की तरह अभी भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, बिहार में माननीय नीतीश जी हैं, वहां पर हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है। वहां पर नीतीश जी ने यह प्रावधान किया है कि एससी/एसटी के किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है और उससे मृत्यु होती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए, उसके आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान है।

* Not recorded

माननीय मंत्री जी यह बिल लाए है, मैं इसका समर्थन करता हूं और एक मांग भी करता हूं कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, उन पर किसी तरह का अत्याचार होता है और उनकी हत्या होती है, उस स्थिति में उनके परिवार के सदस्य के लिए नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, हम समझते हैं कि उसे कांग्रेस के लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया। राज्य सभा में अनुसूचित जाति के लोगों में से किसी को भी माननीय सदस्य नहीं बनाया है। आज वे बहुत सीना चौड़ा करके बोल रहे थे और अब बोलते-बोलते उनमें से दो-तीन लोग यहां बचे हैं। यहां पर राहुल जी को भी उपस्थित रहना चाहिए था, चूंकि वे लोग अनुसूचित जाति के लोगों की बात करते हैं। शिक्षा में कई तरह के सुधार हुए हैं और कई तरह की उद्यमी योजना भी लाई गई हैं, उनका लाभ हमें भी मिला है। हमारी मां पत्थर तोड़ कर राजनीति करते हुए वर्ष 1996 में लोक सभा में पहुंची थीं। हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति का क्या हाल होता है। वे पहले पढ़ते-पढ़ते स्कूल छोड़ देते थे, लेकिन आज यह स्थिति नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बिल पास किया है कि अगर आप बीच में पढ़ना चाहते हैं तो फिर से आप पढ़ सकते हैं। मोदी जी बहुत अच्छा कानून बना रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए कई तरह के लोन वितरित करवा रहे हैं। आप उस लोन को कम इंटरैस्ट रेट पर दे रहे हैं। हम लोगों को पहले सूअर मिलता था, बकरी और गाय मिलती थी, लेकिन ये लोग कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे। हमारे परिवार के लोग कहते थे कि तुम सूअर लेकर उधर रहो, लेकिन पढ़ाई नहीं करो। आज मोदी जी कहते हैं कि आप पढ़िए, आप अच्छी तरह से काम कीजिए, विकास कीजिए, बिजनेस कीजिए। आज कितना फर्क है! यही कारण है कि मोदी जी यहां तक पहुंचते जा रहे हैं और ये लोग सिमटते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, हमें बोलने के लिए कम समय मिला है। एससी और एसटी से संबंधित कई मुद्दे हैं। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी को बिहार की तरज पर, जैसे नीतीश जी ने उसे लागू किया है, आप भी दलितों और वंचित लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस बिल में इन सात जातियों को एक देवेन्द्रकुला वेलालर के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव आज यहां पर माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं। इस देश की आजादी के लगभग 70 साल बीत गए हैं, इस देश में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए व्यवस्था दी थी कि गैर-बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करके एक बराबरी की व्यवस्था इस देश में लागू होनी चाहिए। तमाम प्रदेशों में तो यह लागू हो गई है, लेकिन तमिलनाडु में आज तक गैर-बराबरी और छुआछूत को खत्म करने के लिए व्यवस्था लागू नहीं हुई है। संविधान के तहत जो व्यवस्थाएं थीं, उनको नहीं मिल पाई है।

सभापति महोदय, देवेन्द्रकुलथन, कडडयन, कालाडी, कुदुंबन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरैयान जातियों को तमिलनाडु प्रदेश की अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, लेकिन वर्षों से इनकी यह मांग चली आ रही है कि इनको अनुसूचित जाति से बाहर निकाल कर ओबीसी का दर्जा दिया जाये। मैं चाहता हूं कि इन्हें ओबीसी में लाया जाये, अगर इन्हें ओबीसी में नहीं लाया जाता है, तो दलित समाज का आरक्षण जाने के बाद इन्हें ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। यह न करके सरकार इनको देवेन्द्र कुला वेल्लालर और कडडयन में विभाजित कर रही है। यह बताना आवश्यक है कि समुद्र तटीय किनारे पर रहने वाले दलित समाज के लोगों को कडडयन और उसके अलावा अन्य जगहों पर रहने वाले दलित लोगों को देवेन्द्र कुला वेल्लालर वर्ग में बांटा जा रहा है। यह सरकार की एक राजनैतिक लाभ और चाल है, इसके सिवाय कुछ नहीं है।

सबसे पहले यह बात भी जानना जरूरी है कि वे लोग क्यों अनुसूचित जाति से बाहर निकलना चाहते हैं? जहां पर इन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, इनके स्वाभिमान की लोग चिंता नहीं करेंगे, वहां की सरकार इनके स्वाभिमान की चिंता करे, इन्हें बराबरी का हक दिलाए। अगर इन्हें

बराबरी का हक दिलाया जाता, तो आज ये अनुसूचित जाति के लोग इससे बाहर निकलने का विचार नहीं करते। मैं जानता हूँ कि लोग अनुसूचित जाति से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु प्रदेश में आजादी के बाद से आज भी छुआ-छूत उच्च स्तर पर है, क्योंकि यहां पर अनुसूचित जाति के लोगों का अलग मंदिर, अलग विद्यालय, अलग खानपान अर्थात् प्रत्येक जगह अनुसूचित जाति में विभेदीकरण है। आजादी के बाद तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ आज भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत छुआ-छूत है। अनुसूचित जाति के लोगों से बचाव के लिए गांव में जगह-जगह 15 फीट ऊंची ईंट की दीवारें भी लगायी जाती हैं, जिसे जाति के दीवार के नाम से जानते हैं। 2 दिसम्बर 2019 को कोयम्बटूर में एक ऐसी ही दीवार के गिरने से लगभग दो दर्जन से अधिक दलित लोगों की आकस्मिक मौत हो गयी थी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजनैतिक लाभ के लिए इस तरह का फूट डालने की परम्परा को बन्द करें। अगर यह सरकार वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति की हितैषी है और यह अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान और लाभ देना चाहती है और गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म करके, उन्हें दूसरे समाज की बराबरी में खड़ा करना चाहती है, तो मेरी यह मांग है कि वहाँ पर फैले छुआछूत को समाप्त करें और उनके रहन-सहन, शिक्षा, भूमिहीन को भूमि, जितने आवासहीन लोग हैं, उन्हें आवास और रोजगार के देने का कार्य इस सरकार को करना चाहिए। इस समाज की वर्षों से चली आ रही मांग जो सातों जातियों में से किसी एक जाति के नाम पर उनको दिया जाये और उनको अनुसूचित जाति से बाहर निकाल कर ओबीसी में किया जाये। अगर ऐसा करते हैं, तो मैं इस सरकार का समर्थन करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इस संशोधन विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाये, ताकि इस संशोधन से होने वाले प्रभाव, दुर्प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir, for giving me an opportunity to participate in the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021.

At the very outset, I express my sincere thanks to the Union Government for bringing this Amendment Bill. In this context, I would like to confine my speech pertaining to the issues of Scheduled Castes in the State of Telangana.

Sir, I would like to bring to the notice of this august House that there has been a long-pending demand for sub-categorisation of Scheduled Castes into A,B,C,D groups in both the States of Telangana and Andhra Pradesh to render equal social justice to all Scheduled Castes in these States as only some sections of the Scheduled Castes immediately benefited.

I wish to draw the following facts before this august House. In 1998, the Commissioner of India for Scheduled Castes and Scheduled Tribes himself stated that the undivided State of Andhra Pradesh is not equally accessible to benefits of reservations. The Mala and Adi Andhra group of Scheduled Castes are cornering jobs and seats in educational institutions disproportionate to their population.

Medigas, Rellis and Mehtar group of Scheduled Castes are subjected to social injustice in reserved field of education and employment. The Medigas, Rellis and Mehtars of erstwhile Andhra Pradesh and Telangana had demanded for sub-categorisation of Scheduled Castes into A,B,C,D groups for equal justice.

Conceding the demand of Medigas, Rellis and Mehtar, the erstwhile Andhra Pradesh Legislative Assembly passed a unanimous resolution thrice supporting the sub-categorisation. In reverence to the popular support, the then Andhra Pradesh Legislative Assembly passed an Act known as Andhra Pradesh Scheduled Castes (Rationalisation) Reservations Act in April, 2000 categorizing 59 Scheduled Castes into A, B, C, D groups allotting 7 per cent, 6 per cent, 1 per cent to A, B, C and D groups respectively.

The categorization policy was implemented for four years from 2000 to 2004, distributing reservation benefits equally and in proportion to the population of each Scheduled Caste group in erstwhile Andhra Pradesh. But the Supreme Court of India struck down the Act stating that the categorization of Scheduled Castes into groups is beyond the sphere of State authority which implies that it is within the sphere of the authority of Parliament.

Consequently, the then Union Government appointed a National Commission of Inquiry with hon. Justice (Retd.) Usha Mehra as its Chairperson to examine the issue of sub-categorization of Scheduled Castes. The Commission received representations from various groups within the Scheduled Castes in Andhra Pradesh and Telangana and collected elaborate statistics after visiting various districts in the State. Based on sufficient data, Justice Usha Mehra Commission of Inquiry felt that there is an urgent need for sub-categorization of the Scheduled Castes to provide equal and proportional justice to all sub-castes listed in the Scheduled Castes.

The report of the Justice Usha Mehra Commission for sub-categorization of the Scheduled Castes into A, B, C, D groups had been forwarded to the Union Cabinet by the Ministry of Social Justice and Empowerment which is pending for clearance from the Union Cabinet. The Usha Mehra Commission Report, *inter-alia*, recommended for categorization of the Scheduled Castes into A, B, C, D groups.

After formation of the Telangana State, a Resolution was also unanimously passed on 29th November, 2014. All political parties, cutting across party lines, supported the sub-categorization of the Scheduled Castes into A, B, C, D groups and the same has been sent to the Ministry of Social Justice and Empowerment and also to the Union Government for considering the same by bringing a suitable Amendment Bill in the Parliament.

For generations, the entire Madiga community and its associated most downtrodden minor sub-castes of the Scheduled Castes shall ever remember your goodself's kind gesture for rendering justice to them. Classification of the Scheduled Castes in Telangana and Andhra Pradesh into A, B, C, D groups would enable a large section of population of the Scheduled Castes to get their due share of reservations based on their degree of socio-cultural history, literacy, backwardness and their proportionate population.

I, would, therefore, earnestly request the hon. Prime Minister and also the Minister of Social Justice and Empowerment to bring the required Constitution (Amendment) Bill for categorization of the Scheduled Castes into

A, B, C, D groups in this Budget Session and provide equal justice to all the Scheduled Castes in the States of Telangana and Andhra Pradesh.

Sir, the Amendment Bill for sub-categorisation of Scheduled Castes into A,B,C and D groups will render the equal opportunities in terms of education and employment to a larger extent and would remove imbalances.

I would, therefore, request the Union Government to bring a Constitution Amendment Bill for sub-categorisation of Scheduled Castes into A, B, C and D groups in the State of Telangana and Andhra Pradesh in this Budget Session itself.

Sir, our hon. Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao also wrote a letter to the hon. Prime Minister, which I would like to quote here. He said:

“Dear Shri Narendra Modi-ji,

You are kindly aware of the longstanding demand for sub-categorisation of the Scheduled Castes. The rationale for this demand is to ensure that the benefits of the reservation are distributed in an equitable manner among different groups of the Scheduled Castes.

Immediately after the formation of Telangana, the State Legislative Assembly passed a Resolution in June, 2014 requesting the Government of India to take steps to complete the process of sub-categorisation of the Scheduled Castes.

As the Government of India had not taken any decision on this issue, all political parties in the Telangana Assembly have demanded that an all-party delegation headed by the Chief Minister should meet the hon. Prime Minister of India to apprise the importance of the issue and the gravity of situation.

I, therefore, request you to kindly direct the Ministries concerned, namely, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice and Ministry of Social Justice & Empowerment, to consider this issue for favourable orders in this regard.”

So, Sir, I would request the hon. Minister of Social Justice and Empowerment to kindly consider this issue and take necessary action as early as possible and do justice.

With these words, I conclude my speech. Thank you.

*** SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE: (RAIGAD):** Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021 brought for the State of Tamil Nadu. After independence, under the chairmanship of Dr. Babasaheb Ambedkar, the Constituent Assembly declared India a Republic. The then Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru made a provision of reservation for SCs and STs in 1950. This revolutionary decision was taken to ensure their overall development as well as representation in legislative Assemblies and Parliament. But apart from this, the Government did nothing for their welfare. When Hon. Sharad Pawar ji was Chief Minister of Maharashtra, around 11% and 10% of the Budget used to be earmarked for the welfare of SCs and STs. The cap of 50% was fixed for reservation and also the State Governments were permitted to grant reservation to backward and OBC Communities. When the Mandal Commission Report was being implemented, violent protests and riots occurred throughout the country. In spite of this, Hon. Sharad Pawar ji took a decision to implement Mandal Commission Report in Maharashtra to give reservation to OBCs.

Now, the Maratha Community has been fighting for reservation in Maharashtra for the last 2-3 years. Maratha Community organized peaceful street marches comprising lacs of people. These agitations were completely peaceful and that is why I want to salute them.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

The then Maharashtra Government gave Maratha reservation without necessary provisions but today this Government has brought this bill to take political mileage in Tamil Nadu Assembly Elections. When the cap of 50% in reservations was crossed by the State of Tamil Nadu, the then Central Government had made a constitutional amendment to accommodate that under Schedule Nine so that nobody could challenge it.

In case of Maratha reservation, High Court has validated and upheld the decision of reservation given to Maratha Community but Hon. Supreme Court of India has stayed it.

Therefore, the Central Government of India should come forward to support it. Hon. Ministers Shri Raosaheb Danveji and Gadkari ji are present here. I would like to request the Central Government to bring a constitutional amendment to put this in Schedule 9 to protect it. I demand that Dhangar and Lingayat communities should also get the benefits of reservation along with Maratha Community.

Day before yesterday, Supreme Court had given a decision to scrap OBC reservation in Panchayat Samiti, Zilla Parishad and Nagar Panchayat. Elected Members of these bodies have been terminated. In this situation, central government should come forward and intervene. You are doing injustice to the people of OBC community. You are free to do politics, but do not punish the people of Maharashtra otherwise it would trigger unrest among masses. Central government should take necessary steps to secure reservation facilities to these backward communities. The provision of Maratha

reservation should be placed in the IX Schedule and this is my earnest request to you. You have brought a very good legislation and I would like to congratulate you. Kindly take necessary steps in the case of Maratha reservation too. Jai Hind, Jai Maharashtra!

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): सभापति जी, एक कहावत है 'जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि।' पिछले 68 सालों से तमिलनाडु तक कोई नहीं पहुंचा था। आज हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी तमिलनाडु पहुंचे हैं। 68 सालों से लोगों का जो मूवमेंट चल रहा था, उनकी सात कैटेगरीज को मिलाकर एक कॉमन नाम रखने के लिए संघर्ष चल रहा था, आज उनका वह सपना पूरा हो रहा है। आज कम से कम 30 से 40 लाख लोगों को सुकून की नींद आएगी।

Chairman, Sir, I stand here in strong support of the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021, brought by our Social Justice and Empowerment Minister, Shri Thawar Chand Gehlot ji. I thank our beloved hon. Prime Minister Modiji and the Government of Tamil Nadu also for this purpose. A thorough study has been done. Many queries were raised by RGI. All queries were properly replied by the Tamil Nadu Government. They have rightly done their job. This Bill replaces entry for *Devendra Kulathan* community with their heritage name, that is, *Devendra Kula Vellalar* which includes the communities which are listed separately within the Act. These are *Kudumban, Pannadi, Kaladi, Kadayan, Devendrakulathan, Pallan* and *Vadhiriyar* communities. Now, the separate entries have been omitted.

Sir, it is not just a mere change of name, there was an evidence in history and literature about the existence of the name *Devendrakula Vellalar* and that is the reason why the Government is doing everything to set the records straight.

It has been a long pending demand of the *Dalit* movement to change the nomenclature of the caste for the last three decades. Assigning a new name, *Devendra Kulal Vellalar*, of seven communities would give them honour, dignity and respectability in society.

Sir, here, I would like to express what Narendra Modi says. He says:

“It is not a favour what the BJP Government is doing to the community, but it is our duty for the community.”

Our beloved Prime Minister believes in doing what he says. I would like to mention here that our hon. Prime Minister has said in the rally in Madurai just a year back that he is committed to give justice, opportunity, and ensure social harmony in the community. Today, we are witnessing this क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं, वे करते हैं।

Hon. Chairperson Sir, the people of Devendrakulathan Caste claim that they gained this name because they are the descendants of Lord Indra, the King of Devas. Leaders of their community were brought to the temple with great fanfare. They would be riding on an elephant with white umbrella, and there would be trumpet and drum players. These were the privileges only the ancient Tamil Kings had, and they were passed on to their descendants. The Devendrakulathan community now has Scheduled Caste status. They resent this large drop in status. History explains how their status dropped so drastically. Research suggests that they are the descendants of Tamil Kings

who ruled what is now called Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, some parts of Andhra Pradesh, and Maharashtra during ancient period, up to the 16th Century. After the invasion of the Vijayanagar and Maratha Empires, Tamil Kings and their communities were relieved of their titles and land. They became agricultural labourers on the farms which they once owned. This new situation continued during the 17th Century until the mid-20th Century. The Devendrakulathan community now live in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, and Sri Lanka.

Hon. Chairperson Sir, I would like to put some light on my community, that is, Banjara community. I can relate myself with this community as most of the people of this caste are involved in agriculture. The people who live in villages have their own self-Government. They have their special priests in temples, special barbers, special cloth washers, and special medical workers in villages. These people also have their own temples which are called King Temples. Also, there are priests in village temples and shrines which are exclusively owned by these people. That is the reason why Modiji has said that these communities have a rich heritage and culture. All these communities would be grateful to our hon. Prime Minister, Narendra Modiji.

Sir, there are some issues of my State of Karnataka. As one of the hon. Members and my colleague from Maharashtra mentioned about Dhangar Community which is called Kuruba community in Karnataka. There is also Koli community in Karnataka. These communities were about to sit on an agitation on 27th of this month but because of COVID-19 pandemic, they deferred. So,

the Koli Community and the Kuruba Community should also be included in the Scheduled Tribes list. The Government of Karnataka has already recommended to include them in ST category. This is also being studied by the RGI. They have raised some queries which have already been replied to. So, through you, I would request the hon. Minister to include the Dhangar community, which is called Kuruba community in Karnataka, and also the Koli Community in the Scheduled Tribes list. Thank you.

***DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):** Thank you, Hon. Chairman Sir.

Let me say that proposal for inclusion of a particular caste in the SC list had been there for the last several years. I have read the files in this regard. But you have brought this bill to derive political mileage as there are elections in Tamil Nadu. Why did you not bring this bill 6 months or one year ago? Their demands are just and genuine. I have seen letters written by Tamil Nadu Government in 2019. But, your timing in bringing this bill reeks of sheer politics. You should not have done it when election process had already started. You should have done it earlier.

Sir, we are talking about Dalits and all of us want to speak about their plights in the House. I know the Hon. Minister and he knows me well. Both of us are concerned about this section of society. Sir, I was in the M.P. cadre. He is a politician from M.P.

Sir, the Dalits have been trailing behind socially, economically and politically even after 72 years of getting independence. This is the truth we all know. I don't want to accuse any government in this regard. But it is the main responsibility of the present government to ameliorate the plight of Dalits and mitigate their suffering.

Chairman Sir, we can help the weaker sections most through providing them education. Those who study and get technical degrees get jobs. Post-matric scholarship scheme that was there since last 30-40 years has been

* English translation of the speech originally in Punjabi.

altered so much that it is rendered ineffective. The 60% and 40% share done by Central government is a sad state of affairs. Gehlot sir, this change was made when you were the Minister and I am saddened by this. You are a well-wisher of this community. The states do not have money even to pay the salaries to their employees. Loans are being taken by them They cannot provide 60% contribution in scholarships.

I demand that Union Government provide 100% money for this scholarship. Your image will improve. The SC children will be very happy. This will be historic and landmark step.

Sir I have been in the Government and I know how policy decisions are made. But if you do not have budgetary provision, the scheme fails. You should keep Rs. 60000/- to Rs. 70000/- crores for SC scholarship. The School Education department has the details of SC children. The government must know these details. How many SC students are there in higher education? The HRD ministry must have this information. Thus, their number multiplied by scholarship amount will be the budget for scholarship. This is my suggestion. Secondly, mostly Dalits are landless and they work in MGNREGA. UPA government had given a guarantee that 100 days' work would be provided by us. It is not the case now. Rs.241/- income per day is a peanut. I urge upon the hon. Minister that though this does not fall under your ministry but you are custodian of scheduled castes. You should take a proposal in cabinet. 80 to 90% SCs work in MGNREGA. Their daily wage should be increased. They will get economic relief.

Thirdly, you are framing policies as per your whims because you are in the government and you have a brute majority. We cannot stop you. But hon. Minister sir, you privatise everything. Who will provide reservations to SCs and STs? How are you protecting their reservation while, on the other hand, you are privatising all the public sector undertakings? SCs are mostly employed in public sector. You are selling these institutions. You are in a majority and you will get things passed. But what will happen to SCs.

The Dalits cannot be admitted in private schools due to costly fee. Why not open schools of excellence for them at district level so that they will get educated. Help them. This will go a long way in uplifting them. Thank you.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने का जो विधेयक लाया गया है, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तमिलनाडु राज्य में इन सात जातियों को उपांतरित करके देवेन्द्र कुला वेल्लालर के नाम से उपांतरित किया जा रहा है। यह वर्षों पुरानी मांग तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की थी, जिसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ही बात कही थी कि समाज के सबसे अंतिम छोर पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के उत्थान का जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हमारा विकास अधूरा है। समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको रहने के लिए जब तक मकान नहीं मिलता है, उसको खाने के लिए जब तक भोजन नहीं मिलता है, उसको स्वास्थ्य के लिए जब तक चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उसके बच्चों की शिक्षा के लिए जब तक व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, तब तक हमारा विकास अधूरा है और इसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है। चाहे वह प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, चाहे वह जन औषधि योजना के माध्यम से हो, चाहे वह आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हो, चाहे खाद्यान्न योजना के माध्यम से हो और चाहे शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित समाज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहित करके जीवन में उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय थावरचंद गहलोत जी के द्वारा तमिलनाडु राज्य के संबंध में जो बिल लाया गया है, यह वास्तव में सराहनीय है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुछ जातियां ऐसी हैं, जो एक राज्य के कुछ जिलों में अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आ रही

है, लेकिन उसी राज्य के बाकी जिलों में या तो उनको ओबीसी में रखा गया है या सामान्य श्रेणी में रखा गया है। इसके कारण से उनके मन में यह भेदभाव आता है कि अगर हम उन जिलों में होते, तो हमको शायद इस योजना का लाभ मिल रहा होता। बाकी जो उन जिलों में लोग रहते हैं, वे यह कहते हैं कि हम अपने बच्चे की शादी वहां नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे की शादी वहां पर करेंगे, हमारी बेटी वहां पर जाएगी, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह का भेदभाव न केवल प्रदेशों में समाप्त होना चाहिए, बल्कि प्रदेशों के साथ-साथ देश में भी समाप्त होना चाहिए।

मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो धोबी समाज है, जिसको अलग-अलग नामों से कहीं पर रजक समाज कहा जाता है। कुछ राज्यों में उसको अलग नामों से पुकारा जाता है। यह जो धोबी समाज है, यह मध्य प्रदेश में भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में है। इन तीनों जिलों में इसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। लेकिन बाकी जिलों में इसको ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है। अब धोबी समाज वह समाज है, जब अस्पताल में पीप के कपड़े, खून के धब्बे के कपड़े, मवाद के कपड़े, उन कपड़ों को ले जाने का काम अगर कोई करता है तो वह धोबी समाज का व्यक्ति करता है। घर में प्रसूति होती है, वह प्रसूति वाले कपड़े घर में नहीं धोए जाते हैं, उन कपड़ों को भी धोबी समाज का व्यक्ति ले जाता है, अपने घर से धो कर लाता है। उसके साथ इस तरह का अस्पर्श्यता का व्यवहार किया जाता है। वह वर्षों से मांग कर रहा है कि हमको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके संबंध में मैं आदरणीय मंत्री जी, माननीय थावर चंद गहलोत जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वे मध्य प्रदेश से ही आते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने विधान सभा में 03 अप्रैल, 1998 में विधान सभा से एक अशासकीय संकल्प पारित कर के, 22 नंबर क्रमांका का, वह पारित कर के यहां केंद्र को भेजा था। उसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनः 17 फरवरी, 2006 को एक अशासकीय संकल्प 1670/19 पारित कर के केंद्र सरकार को भेजा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दो-दो बार मध्य प्रदेश की सरकार से अशासकीय संकल्प पारित कर के केंद्र को भेजा

गया। वहां पर जो हमारे धोबी समाज के लोग हैं, वहां पर एक परमानंद रजक नाम का बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी लगभग 85-90 साल की उम्र हो गई है, वह बार-बार मेरे पास आता है, पिछली बार भी मैंने इस विषय को उठाया था, उसके बाद धोबी समाज के देश भर से काफी लोगों के हमारे पास फोन आए कि हमारे समाज को देशभर में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह का प्रजापति समाज है, यह समाज दीपावली के समय पर दीपक बनाने का काम करते हैं, खिलौने बनाने का काम करते हैं, कलात्मक वस्तुएं बनाने का काम करते हैं, लेकिन यह प्रजापति समाज भी सभी जगह पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आता है और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो प्रजापति समाज है, यह टीकमगढ़, छत्तरपुर, पन्ना, दतिया, सतना, रीवा, सीधी और शहडोल आदि जिलों में तो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन बाकी जिलों में इनको ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके कारण से अनुसूचित जाति के समाज को मिलने वाली योजनाओं के लाभ से वे वंचित रहते हैं। इसी तरह से दिल्ली में मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ओडिशा के हमारे सांसद महताब जी यहां पर बैठे हुए हैं। ओडिशा में एक भुइया जाति है। उसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, लेकिन ओडिशा के पास में ही एक झारखंड राज्य है, वहां पर उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि वहां पर उनको ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस तरह की जो जातियां हैं, जो एक राज्य के कुछ जिलों में ओबीसी में आ रही हैं, कुछ में एससी की कैटेगरी में आ रही हैं। ऐसे ही दूसरे राज्यों में उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है। इस तरह का भेदभाव समाप्त होना चाहिए।

मैं खटीक जाति की बात करना चाहता हूँ। अभी तेलंगाना के हमारे माननीय सांसद बोल रहे थे, तो तेलंगाना के खटीक समाज के लोग आए थे। उन्होंने वहां से, राज्य सरकार ने, वहां की खटीक जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव पारित कर के यहां पर भेजा। आरजीआई में गया। दो-दो बार भेजा गया। आरजीआई के पास भी

वे गए। कमीशन के पास भी गए। आरजीआई हर बार कोई न कोई कमी निकाल कर उसको वापस कर देती है। जबकि देश के बाकी राज्यों में उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल अनुसूचित जाति के समाज के लिए बजट का एलोकेशन बढ़ाया, जिसके कारण से उन योजनाओं का लाभ और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से हमारे बंदों को मिल सके।

मैं इसके साथ ही साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे छत्रपति शाहूजी महाराज। वे रोज बाणगंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। जब वे बाणगंगा में स्नान करने के लिए जाते थे, उनके जो पुरोहित थे, वे उनको वैदिक मंत्रों के स्थान पर पुराणों के मंत्र सुनाया करते थे। एक दिन उनको जब इसका रहस्य मालूम चला तो वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने उनको पुरोहित पद से अलग कर दिया। उसके बाद प्रजापति समाज का जो व्यक्ति था, उस समाज के व्यक्ति को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा। वहां से बुलाकर उसको राजपुरोहित नियुक्त किया गया। तब से लेकर कोल्हापुर में यह परम्परा अभी तक चली आ रही है।

17.00 hrs

(Shri Bharatruhari Mahtab *in the Chair*)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने जो धोबी, प्रजापति, खटीक, भूरिया, मल्लाह समाज की बात की तो इन सारी जातियों के संबंध में बात यह है कि हमारे देश में ऐसी कई जातियां हैं, जो एक राज्य में एस.सी. में हैं और बाकी राज्यों में वे 'सामान्य' श्रेणी में या ओबीसी में हैं। इसके संबंध में एक सम्पूर्ण विधेयक लाने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण विधायक लाकर इस तरह की विसंगतियों को समाप्त करके इन सारी जातियों को पूरे देश में अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाए, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि

‘सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना’, इस काम को आगे करने का काम देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ‘मोदी जी हैं तो मुमकिन है।’ उनके आने के बाद अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जिस तरह से योजनाएं बनाई गई हैं, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारे आदरणीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के द्वारा इस दिशा में पहल की जाएगी और इस तरह का बिल लाया जाएगा, ताकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जातियों की जो विसंगतियां हैं, उन्हें समाप्त करके उसका लाभ देश में सभी को मिल सकेगा।

इसके साथ ही साथ, तमिलनाडु राज्य के संबंध में जो बिल लाया गया है, उस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): महोदय, जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि एस.सी. समाज का बहुत भला हो रहा है, उनकी आँखें खोलने के लिए मैं कुछ आँकड़े आपके सामने लेकर आया हूँ। यह अलग बात है कि अपनी सरकार में रहते हुए 'सब कुछ अच्छा हो रहा है', यह बताना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं न कहीं अपने समाज की तरफ भी आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है, इसके ऊपर भी ख्याल करने की जरूरत है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) का एक डेटा बताता हूँ। A total of 45,935 cases were registered for crimes/atrocities against Scheduled Castes in the year 2019. इसके अन्दर जो डेटा बताया गया है, उसमें वर्ष 2015 में एस.सीज़./एस.टीज़. के विरुद्ध 38,600 क्राइम्स हुए थे। वर्ष 2019 के अन्दर इसका आँकड़ा बढ़ कर 45,900 हो गया है यानी इसके अन्दर 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अन्दर जिस राज्य को सबसे ज्यादा होने का सेहरा जाता है कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा एस.सीज़. के खिलाफ क्राइम्स हुए हैं तो वह उत्तर प्रदेश है। ये डेटा मेरे नहीं हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा हैं। दूसरे नम्बर पर राजस्थान आता है। इसी डेटा में यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, ये तीन राज्य ऐसे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा एस.सीज़. के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये डेटा मेरे नहीं हैं, ये एन.सी.आर.बी. के डेटा हैं, जो सरकार की तरफ से निकाले जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया है - of the total 4,78,600 prisoners, जो कैदी देश भर के जेलों के अन्दर बंद हैं, उनमें एस.सीज़., एस.टीज़. और ओबीसीज़ की संख्या कितनी है तो आपके ही सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है कि 65.9 प्रतिशत हैं, जो लोग अलग-अलग जेलों में बंद हैं। उनमें अगर एस.सीज़., एस.टीज़. और ओबीसी को मिलाते हैं तो यह करीब-करीब 66 प्रतिशत है। यह आपके ही सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है। इसके अन्दर भी अगर सबसे ज्यादा एस.सीज़. के कैदी जेलों में बंद हैं

तो उसका श्रेय भी उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। ये मेरे डेटा नहीं हैं, इसे आपके ही मंत्री ने जवाब देते हुए बताया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ। हम गुजरात गए थे। गुजरात के बहुत सारे ट्राइबल लोग हमसे मिलने के लिए आए थे। हम सरकार से जवाब चाहते हैं। आपने जिस 5,000 करोड़ रुपये का सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का स्टैच्यू बनाया है, उसके अतराफ अब आपने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके जरिए 122 गांवों के आदिवासियों को जमीन खाली करने का हुक्म दिया गया है क्योंकि सरकार चाहती है कि वहां पर टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स बनाएं जाएं। हम चाहेंगे कि मंत्री जी आप अपना जवाब देते वक्त इस बात का खुलासा करें कि कितने सारे ट्राइबल्स को गुजरात के उन 122 गांवों से आप खाली करवाने जा रहे हैं।

महोदय, अगर आप वैकेन्सीज की बात करते हैं तो कितनी सारी वैकेन्सीज हैं? यह प्रश्न पूछा गया कि how many vacant reserved posts are there for SCs, STs and OBCs in Central Universities, तो इसका जवाब भी 15 मार्च, 2021 को रमेश पोखरियाल साहब, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने दिया है।

एससीज की 2,847 वैकेसीज हैं। हमारे जो हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। एसटीज की 1,686 वैकेसीज हैं। उसी तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो छह मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अंदर आपकी जो वैकेसीज हैं, वह 60 परसेंट हैं। 60 परसेंट वैकेसीज महज आठ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं। इसके अंदर एससीज, एसटीज और ओबीसीज हैं।

सर, कुछ देर पहले जब मैं यह भाषण देने लिए यहाँ आ रहा था तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे साहब बड़े जोश के साथ भाषण दे रहे थे। वह यह कह रहे थे कि हमारे मराठाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सरकार ने यह किया है, धनगरों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं यह फैसला लिया। उनका भाषण सुनकर मुझे ऐसा लगा कि गिरगिट को भी शर्म आ जाए

कि हमारे राजनेता कैसे रंग बदलते हैं। जब वह सरकार के अंदर थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेन्द्र फडणवीस साहब थे, जिनको माइनोंरिटी से कोई लेना-देना नहीं है। देवेन्द्र फडणवीस साहब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहते थे कि आप माइनोंरिटी को रिजर्वेशन दीजिए, मुसलमानों को दीजिए। आज जब सत्ता के अंदर हैं तो वह बिल्कुल खामोश है। आज एक जिक्र भी नहीं किया जा रहा है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में भी बात की जाए।

सर, हमारा यही कहना है कि एससीज तथा एसटीज का मतलब यह नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आणी, हम लोक सभा और पार्लियामेंट बिल्डिंग को रौशनी से सजा देंगे, अंबेडकर साहब के पुतले पूरे देश भर में सजा देंगे। हमें उनके सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउण्ड के बारे में सोचना है। 70 सालों से क्यों यह समाज आज पिछड़ा हुआ है। इस समाज की झोपड़ पट्टियों के अंदर हम देसी दारू की दुकानें सजाते हैं। वहाँ पर शिक्षा का प्रावधान क्यों नहीं किया जाता है? 70 सालों के बाद भी हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर बहस कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था, उन्होंने यह भी बताया था कि इस समाज को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। क्या यह समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इलाकों से देसी दारू तथा शराब के अड्डों को बंद कराया जाए? आपकी बस्तियों के अंदर ये शराब के ठेके क्यों खोले जाते हैं? कहीं न कहीं उस समाज के नेताओं को सोचने की जरूरत है।

सर, मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर हम बार-बार चर्चा करते हैं। एक बार संजीदगी से इसके बारे में कुछ न कुछ फैसला होना चाहिए और हम यह उम्मीद कर रहे हैं।

सर, आप गुजरात के 122 ट्राइबल विलेजेज को खाली करवा रहे हैं, उसके बारे में क्या स्थिति रहेगी, यह आप बताइए। नर्मदा आंदोलन कितने सालों तक चला, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये ट्राइबल्स भी खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हम वहाँ जाकर उनको भी ताकत देंगे। आप इस तरह से ट्राइबल्स व आदिवासियों के 122 गाँवों को खाली कराएंगे और वहाँ पर टूरिज्म का प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो यह बहुत गलत बात है।

PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI (ALLAHABAD): Sir, thank you for allowing me to speak on this very important issue. I rise here in support of the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Tamil Nadu as introduced by the hon. Minister of Social Justice and Empowerment.

I feel that it is incumbent on every civilised society to give respectability to its citizens, especially so in a democracy like ours which has provided in its Constitution equal opportunities and equality to every citizen of this nation. Yet we are debating on a Bill which, I think, should have been passed without any debate in the House today.

What is the Bill that we are bringing in today? I compliment the Government of India, especially the Prime Minister, who had promised a group of people that the least we could do is to give respectability to them. So, the Government of India has introduced an amendment, through this Bill, which was forwarded by the Government of Tamil Nadu.

What is it all about? A group of seven castes want a new nomenclature. They want to be known collectively as Devendrakula Velalar. I associate myself with all the historical background that has been provided by other Members. I will not dwell into that. But I was just wondering and thinking about this caste, the Devendrakula Velalar. The history of this caste is replete with injustices. Just imagine a situation where this caste enjoyed a lot of titles. It enjoyed respectability in the society. They had temples, they had big lands, they were cultivators and they were warriors. But in three centuries,

commencing from the 17th century, their position declined gradually in the society.

They were dispossessed of their title; they were dispossessed of their land; they were dispossessed of all their respectability. Think of a situation when people who were the masters of their land became labourers in their own fields in their own lands. They were cultivators, they were warriors, and yet these seven castes, Devendrakula Velalar broke up and different sub-castes were doing different kinds of activities. For instance, the Devendrakulathan were agriculturists, Kaidaiyan were into fishing, the Kalladis were in mat making and Kudumban were agricultural labourers and Pallam and Pannadi enjoyed cultivation. Now, these people have been struggling for decades for respectability. They are not asking for any material support from you. They even do not want to be in the Scheduled Caste category. That matter is *sub judice* whether it can exceed 50 per cent reservation or not and any State Government can do that or not. So, that will come in later. But we have been seeing in the papers that thousands of them collect periodically and demand respectability. Now, what have the Government of Tamil Nadu asked for? The request of the Government of Tamil Nadu is to permit them to issue caste/community certificates to the people belonging to the seven castes who are in the Scheduled Caste list as Devendrakula Velalar and without any mention of their previous caste. That is all. They have also said that the Kadaiyan who pursue fishing can also be referred to in the Caste certificate. They are asking for nothing. It does not involve any financial liability on any

Government. It is only giving respectability. I would just like to quote Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar. Dr. Bhim Rao Ambedkar had said: "No race can be raised by destroying its self-respect". At a point he said, "You have no land because others have usurped them. You have no post because others have monopolized them. Learn to live in the world with self-respect".

Sir, for all of us, the first pre-requisite for self-advancement or moving forth is self-respect. I tell all the women that if they are devoid of self-respect, they can never grow and they can never achieve their desires or their wish. So, we need self-respect, and we are giving nothing in this amendment except self-respect to this group of people. But here we find that many people are opposing it. They are bringing in so many stories. There are a lot of people who are looking for upward mobility, there are a number of backwards who want to move into the Scheduled Caste category. 17 sub-castes in UP have been struggling for decades to go into the SC category because they are being denied the kind of support or benefits that are being provided to the backward community. There are people in the Scheduled Caste community who want to shift into the Scheduled Tribe community. So, upward mobility is required. People want it whichever way it can come, whether it can come through caste certificates, whether it can come through any Government policies or whether they can achieve it by moving from one group to another. This is their right to ask for it. Some of the speakers have asked for reservation for certain castes in different categories and I also agree with this. I have Kol community in my constituency in big numbers. The Kols are STs in Madhya Pradesh and in my

constituency they are SCs. The other issue is with Dhangad and the Dhangar. In English, you cannot type Dhangad. You have to type Dhangar. Now, the Government has told the States that it can give out certificates, but the DMs are not giving certificates. They said तुम धनगड़ नहीं हो, तुम धनगर हो । कैसे आप अंग्रेजी में धनगड़ लिखेंगे? आप वह भाषा समझाइए । मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सम्मान देना चाह रहे हैं तो उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए । मैं तो कहती हूँ कि एक लार्जर डिस्कशन होना चाहिए । हमारे जो कास्ट ग्रुप्स हैं, जिनको हमने आरक्षण दिया है, उनमें भी कुछ ही लोगों को उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है । क्यों नहीं उन ग्रुप्स को भी सब-कास्ट्स में बांटकर हम आरक्षण को भी बाँटें? This is a very pertinent issue which needs to be debated. It should happen. So, I would say that all that the Devendrakula Velalar is asking for is respectability. They have been enjoying respectability in the past. They have been relegated to a situation of disrespect. They want to get it back.

As we all know, the State Government wanted to do it. The court said that it requires a legislative amendment and they have come to us. If they have come to the Government of India, I compliment the Prime Minister and the Minister for Social Justice for bringing in their demand to us in the form of an Amendment Bill. It should be passed because under Article 341 of the Constitution of India, it is the Union Government that is the nodal agency for notification of Scheduled Castes. However, the subject of identification of castes and communities, issuance of caste certificate, and verification thereof rests with the State Governments and Union Territory Administrations concerned.

The Government of Tamil Nadu has proposed that they should be permitted to issue caste and community certificates to the people belonging to these seven castes who are in the Scheduled Castes list as Devendrakula Velalar without any mention of the previous sub-castes in brackets, which should be admitted and accepted. Further, those who want to be known as Kadaiyans may also be accepted. This is the issue before the House. So, I plead with the House to pass it unanimously.

Some of our Members were talking that the Government is doing nothing for the Scheduled Castes. I would like to beg your pardon. The amount of affection and concern that the NDA Government under Shri Narendra Modi ji has for the have-nots, for the communities that are totally dispossessed of any facility can be seen through the programmes that are being brought by this Government. All activities of this Government are directed towards the poor whether it is housing, toilets, giving out Golden Cards for health or all the other programmes all are benefiting the poorest of the poor.

Excuse me, but I would like to tell the speaker who has spoken before me that the maximum beneficiaries of the Government programmes are the SCs, the most backward, the Muslims and the minorities. You can go and look into the details. Now, I am talking about UP. ...*(Interruptions)* You were talking about NCRB data. ...*(Interruptions)*

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL : I have the Government data with me, and I am not speaking on my own. ...*(Interruptions)*

PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI : You have not seen the NCRB data. ...*(Interruptions)* Please look into the NCRB data. ...*(Interruptions)* I will have a discussion with you outside. ...*(Interruptions)*

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL : Please go through the website and check it. ...*(Interruptions)*

PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI : Yeah, you also go back and look into the NCRB data. ...*(Interruptions)* They have said that the best performance of any Government to contain crime in India in 2019-2020 was Uttar Pradesh. Please go and see it. When you look into the data, you will realise that the Government is doing its best. But I will agree with you that all in the society need to change from within and I would ask you also to please take care of your women, which is badly required. ...*(Interruptions)* All societies evolve, so, you also evolve. Thank you very much, Sir.

HON. CHAIRPERSON : I believe that the deliberation is complete now.

Now, I invite the Minister.

श्री थावर चंद गहलोत: माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर तेरह माननीय सदस्यगणों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, परंतु उन्होंने कुछ अन्य मुद्दों की ओर भी ध्यान दिलाया है।

मैं सबसे पहले विधेयक के बारे में चर्चा करना चाहूंगा और उसके बाद जो अन्य मुद्दे उठाए गए हैं, उस पर चर्चा करूंगा। जैसा मैंने पहले बताया कि विधेयक में सात जातियों को समाहित करके एक जाति के नाम जाना जाए, इस प्रकार का प्रावधान है। अभी यह अलग-अलग क्रम पर उल्लिखित हैं, इस विधेयक के पारित होने के बाद केवल दो क्रमांक पर उल्लिखित हो जाएंगी – क, प्रविष्टि 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी- देवेन्द्रकुला वेलालर।

यह इन सात जातियों का एक नाम होगा, बाकी ये सात जातियां सम्मिलित होंगी। प्रश्न उठेगा कि जब एक जाति बना रहे हैं तो इन सात जातियों को विलोपित क्यों नहीं कर रहे। ये सात जातियां ऐसी हैं जिनके प्रमाण-पत्र अनेक वर्षों से बनाए गए, ये अमान्य न हों, इसलिए इन सात जातियों का उल्लेख ब्रैकेट में किया जाएगा। मुख्य जाति देवेन्द्रकुला वेलालर हो, इससे किसी को न तो कोई आर्थिक लाभ या हानि होगी, न सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा और न ही किसी और प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। केवल इन सात जातियों को देवेन्द्रकुला वेलालर नाम देने से सम्मान मिलेगा, ऐसी इन सारी जातियों के लोगों की भावना है।

कड्डयन जाति तिरुनेलवेली, तूतूकोड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर और नागापट्टनम जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कड्डयन जाति को छोड़ दिया जाएगा और बाकी जातियां सम्मिलित रहेंगी। कल्लादी, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरियन, ये सब जातियां तमिलनाडु में देवेन्द्रकुला वेलालर के नाम से जानी जाएंगी।

प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् कड्डयन जाति तिरुनेलवेली, तूतूकोड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर और नागापट्टनम जिलों में कड्डयन जाति को इसी नाम से जाना जाएगा और बाकी पूरे तमिलनाडु में देवेन्द्रकुला वेलालर के नाम से जानी जाएगी। इन पांच जिलों में इसी नाम से जानी जाएगी।

प्रविष्टि 28, 33, 49, 52 और 54 का लोप किया जाएगा। इन सात जातियों को क्रमांक 17 में सम्मिलित करने के कारण जिस क्रमांक में उल्लिखित है, वहां से विलोपित कर दिया जाएगा। केवल इस विधेयक में इतना प्रावधान है। इस विधेयक का सबने समर्थन किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

अन्य मुद्दों के बारे में बहुत चर्चा हुई है। मैं उन मुद्दों का संक्षिप्त में उत्तर देना चाहूंगा। सबसे मैं कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मादी जी जब प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उन्होंने जो कहा उस पर लगातार अमल किया जा रहा है। इसके अनेक उदाहरण हैं और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन ऐतिहासिक निर्णयों के कारण सामाजिक समता और समरसता लाने में सहायता मिल रही है। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है।

गुरजीत सिंह औजला जी ने उल्लेख किया था कि अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं। राज्यों के नाम भी लिए और कहा कि यहां अत्याचार की संख्या बढ़ रही है। आप और यह सदन जानता है कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। राज्य इस पर कार्रवाई करते हैं। केंद्र की ओर से हम समय-समय पर राज्यों के साथ संपर्क करते हैं और जहां अपराध बढ़ते हैं उनसे बातचीत करके अपराधों को कम करने का प्रयास करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। उस अत्याचार निवारण अधिनियम में कुछ खामियां महसूस हुईं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान वर्ष 2015 में उसमें संशोधन किया गया और 22-23 नए अपराध, जो पहले वाले कानून में नहीं थे, उनको जोड़कर इस कानून को मजबूत बनाने का काम किया गया है। उस कानून के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय रोकने का प्रयास किया जाता है और जो अपराधी हैं, उनको दंड दिलाने का प्रयास किया जाता है। जो पीड़ित परिवार हैं, उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। अपराधी को दंड दिलाकर उसको न्याय दिलवाने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसा करने के लिए हम समय-समय पर

वकील की सहायता भी देते हैं। कानूनी सहायता देने के लिए एक नहीं, अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2018 के अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। पहले बीच में एक कानून बन गया था कि बिना जांच किए एफआईआर दर्ज कार्रवाई की जाए, परन्तु, इस कानून में हमने सुधार किया कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी या जिसको वे नियुक्त करेंगे, उसके द्वारा जांच करने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होगा, तो गिरफ्तारी भी होगी। इस प्रकार हमने कानून में सुधार करने की कोशिश की है।

उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का उल्लेख किया है, अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती थी, वह केंद्र प्रायोजित थी। परन्तु, उसके लिए एक फार्मूला था। उस फार्मूले के अंतर्गत कमिटेड लायबिलिटी का प्रावधान था। यह कमिटेड लायबिलिटी का प्रावधान पहले वाली सरकारों में भी था और वर्तमान सरकार में भी है। अब हमने उसको चेंज कर दिया है। उस कमिटेड लायबिलिटी के माध्यम से, जो कमिटेड लायबिलिटी राज्यों की बनती थी, उसका परिणाम यह होता था कि कुछ राज्यों को केंद्र से एक भी पैसा नहीं मिलता था, अभी स्थिति ऐसी आ गई थी कि 36 राज्यों में से आधे राज्यों को या तो कोई पैसा नहीं मिलता था या मिलता भी था तो बहुत कम मिलता था। इसी कारण हमने एक फार्मूला बनाया। कई राज्यों को कोई पैसा नहीं मिलता है, यह ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में केंद्र का कुछ हिस्सा हो। शिक्षा राज्य का विषय है। इसलिए, यह राज्य की भी जिम्मेदारी है और केंद्र की भी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया कि 60 परसेंट केंद्र देगी और 40 परसेंट राज्य देगी। इसका परिणाम यह निकलेगा कि अभी तक हम जिस फार्मूले के आधार पर पैसा देते थे, उसमें साल भर में राज्यों को केवल एक हजार करोड़ रुपया देते थे। इस नए फार्मूले के कारण अब हम लगभग पांच हजार करोड़ एक साल में देना चालू कर देंगे। वह इसी साल से देना

चालू कर देंगे। मार्च तक हम कई राज्यों को देने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। इस फार्मूले के आधार पर हम अगले पांच सालों में लगभग 55 हजार करोड़ रुपये राज्यों को देने वाले हैं। इसके कारण चार करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से 35500 करोड़ से अधिक रुपये इस व्यवस्था में खर्च किए जाएंगे। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसका लगभग सभी राज्यों ने समर्थन किया है। अभी तक हमारे पास किसी भी राज्य से नकारात्मक जानकारी नहीं आई है।

उन्होंने यह भी कहा था कि सफाई कार्य करने वाले मजदूरों के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किया है। आजकल, जो सीवेज टैंक या नाली साफ करने का काम करते हैं, वे हाथों से करते थे। उसको कम करके यंत्रों के माध्यम से सफाई करने की कोशिश की जाएगी। कानून में संशोधन करके ऐसा प्रावधान भी बना दिया गया है। मैं कह सकता हूं कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की इस सरकार में हर साल अनुसूचित जाति के कल्याण के संबंध में बजट में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है। पिछले साल 83,000 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इस साल के बजट में 1,26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल विभाग के बजट में 8,207 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। इस साल 10,517 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जैसा कि मैंने बताया है कि बजट में निरंतर वृद्धि होने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान की योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद दी जा रही है। माननीय रमूलु जी ने कहा था कि अनुसूचित जातियों का उप-श्रेणीकरण किया जाए। उप-श्रेणीकरण करने वाला मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। पंजाब बनाम देवेन्द्र नाम के वाद के अंतर्गत इस पर सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जा रहा है।

माननीय सभापति : अमर सिंह जी, आपने जितने भी प्रश्न उठाए हैं, आपको उनका उत्तर तो सुनना ही पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, माननीय सुनील दत्तात्रेय जी ने तमिलनाडु का मामला उठाया है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मराठा आरक्षण का मामला भी विचाराधीन है। ओबीसी एक ऐसा वर्ग है, जिसकी राज्यों की सूची अलग है और केन्द्र की सूची अलग है। राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी निर्णय ले सकते हैं। उस पर केन्द्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह आरक्षण भी इसी प्रकार का है। इस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और वह उस पर विचार-विमर्श कर रहा है, जिसमें राज्य ही पैरवी कर रहा है। हमें राज्य और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा रुख सकारात्मक है। परंतु सुप्रीम कोर्ट हमसे इस विषय पर कोई जानकारी मांगेगी, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपील भी राज्य सरकार ने की है और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ही तरफ से पैरवी की जा रही है। इस प्रकार की कानून-व्यवस्था को राज्य के माध्यम से ही आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है।

मैंने अत्याचार निवारण के बारे में बताया है। उप-श्रेणीकरण करने के बारे में विचार हो रहा है। परंतु आज की स्थिति में किसी उचित फोरम पर इस विषय पर कानूनी प्रावधान बनाने का प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि ओबीसी कैटेगरी में राज्यों की सूची अलग-अलग है। उसी प्रकार से प्रदेशों में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जातियां वर्गीकृत की गई हैं और उसका कारण सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। जब इन जातियों का सर्वे हो रहा होगा, उस सर्वे के दौरान एक ही जाति कुछ क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न पाई गई होंगी, इस कारण से उनको अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया है। कुछ जिलों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने गए होंगे, इस कारण से उनको अनुसूचित जाति में रखा गया है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कई जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के भी सुझाव दिए हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस विषय में एक नियम है। अगर राज्य सरकार किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में मिलाना चाहे या उससे विलोपित करना चाहे, तो वह एक प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजेगी। केन्द्र सरकार उस प्रस्ताव को

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) को भेजेगी। यदि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उस पर यस करता है, तो हम वह प्रस्ताव संबंधित आयोग को भेजते हैं।

यदि आयोग उस पर सहमति देता है तो फिर सरकार उस पर विचार करती है। विचार करने के बाद कैबिनेट नोट बनता है। वह कैबिनेट में जाता है और अगर उसको कैबिनेट स्वीकृति देता है तो विधेयक के रूप में सदन में लाया जाता है और संसद उस पर निर्णय करती है। अभी कई मुद्दों को उल्लिखित करके मांग की गई कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में मिलाया जाए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद या तो निरस्त कर दिए गए हैं या विचाराधीन हैं। मेरे यहां पर जो विचाराधीन मामले हैं, मैं उनके बारे में भी जानकारी दे सकता हूँ। कुछ जातियों के बारे में विचार-विमर्श जारी है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अभी तक छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, दादर व नगर हवेली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि ऐसे प्रांतों में 26 जातियों को शामिल किया गया है। नमोशूद्र, पोंड्रा व पोंड्र जातियों को अनुसूचित जाति में मिलाने का विषय है, जो मेरे विभाग में विचाराधीन है। विचार करने के बाद जैसा उचित लगेगा, वैसा हम करने वाले हैं। ओडिशा की एक जाति को रिमूव करने की बात है। Removal of area restriction in respect of Mangali caste, ये आयोग के पास है। इस पर अभी आयोग विचार कर रहा है। इस तरह से कर्नाटक की कुछ जातियां हैं, जिस पर आरजीआई स्तर पर विचार हो रहा है। इसी प्रकार से झारखण्ड की जाति पर आरजीआई विचार कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी जातियां हैं। बेलदार जाति को भी अनुसूचित जाति में मिलाने का मामला है। यह भी आरजीआई के पास है। अगर आरजीआई हमें सकारात्मक जवाब देगी तो हम उस पर आगे कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही साथ वीरेन्द्र कुमार जी ने अनुसूचित जातियों का राज्यवार विनिर्देश का एक मामला उठाया था। अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है कि कुछ जातियों को किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, लेकिन अन्य राज्यों में मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। यह एक सच्चाई है और मैंने इसके बारे में बताया है। सन् 1950-55 के करीब जातियां बनी थीं और जब उनमें 5-6 बार संशोधन हुए तो उस

समय के सर्वे में सामाजिक और आर्थिक आधार पर आंकलन किया गया था। उस आंकलन के अनुसार जो जातियां अनुसूचित जाति के योग्य पाई गईं, उनको उसमें सम्मिलित किया गया। बाकी को ओबीसी या सामान्य में रखने की कोशिश की गई। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी, वीरेन्द्र कुमार जी का प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले में कुछ कास्ट्स को अनुसूचित जाति के हिसाब से माना जाता है तथा दूसरे जिलों में नहीं माना जा रहा है। एक ही राज्य के कुछ जिलों में अनुसूचित जाति के हिसाब से उन्हें माना जाता है और कुछ दूसरे जिलों में माना नहीं जाता है। यह वीरेन्द्र जी का एक प्रश्न था।

श्री थावर चंद गहलोत : मैंने उसी का जवाब दिया है। मैं यदि स्पष्ट नहीं कर पाया तो फिर से दोहरा देता हूँ। सन् 1955 या 1950 के पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कैटेगरियां बनाने का जब सर्वे हुआ था तो उस समय उन जातियों का सामान्य स्तर उच्च था, आर्थिक स्तर उच्च था, जिस कारण से उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया। वही जाति अगर दूसरी जगह पर सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी थी, तो उसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय उस समय की सरकार ने लिया था। आज भी जब इन जातियों को अनुसूचित जातियों में मिलाने के लिए प्रस्ताव आते हैं, तो आरजीआई उसी आधार को देखकर निर्णय करती है और अपनी राय देती है। उस समय जो आधार बना था, उसके आधार पर वह हमें यह कहती है कि इस जाति को अनुसूचित जाति में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सही है कि ऐसी स्थिति हर राज्य में है कि कोई जाति चार जिलों में अनुसूचित जाति है, छः जिलों में ओबीसी है और बाकी जिलों में सामान्य वर्ग में है। ऐसा हर राज्य में है। इस दुविधा को दूर करने की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी कि अमुक जाति को अनुसूचित जाति में मिलाया जाए या उसको हटाया जाए। प्रस्ताव आने के बाद, उसे हम आरजीआई को भेजते हैं और आरजीआई अगर सकारात्मक राय देती है, तो उसे हम संबंधित आयोग को भेजते हैं और अगर आयोग भी सकारात्मक राय देता है तो फिर वह सरकार के

पास आता है। सरकार कैबिनेट नोट बनाकर कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद, उसे विधेयक का रूप देकर हम संसद में आते हैं और अंतिम निर्णय करने का अधिकार संसद को ही है। इस आधार पर निर्णय होता है।

महोदय, अब मैं निवेदन करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Tamil Nadu be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran – not present.

Shri Jasbir Singh Gill to move amendment No.3 to clause 2.

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 4 and 5, -

for “excluding in the coastal areas of”.

substitute “in the districts of”. (3)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No. 3 moved by Shri Jasbir Singh Gill to clause 2 to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री थावर चंद गहलोत : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

17.43 hrs

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION
RE: WELFARE MEASURES FOR
ANGANWADI WORKERS AND ANGANWADI HELPERS –Contd...

HON. CHAIRPERSON: Now, we take up Private Members' Business. Item No. 22: welfare measures for anganwadi workers and anganwadi helpers.

Shri Jagdambika Pal *ji* has been the night watchman for quite a long time. I ask him to continue his speech.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं, महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए -

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोजगार को नियमित करना;
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को “मानदेय” से बदलकर “वेतन” करना;
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो उनकी समाज के प्रति सेवाओं के योगदान के महत्व को दर्शाए;

4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातायन-व्यवस्था सहित सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवा कर उनका उन्नयन करना; और
5. देश में किराए पर चलाये जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना।“

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय। आज का सदन निश्चित तौर से इस बात का गवाह बनेगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री जगदम्बिका पाल जी, एक मिनट रुकिए। छः बजे तक हम इस मोशन के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद ज़ीरो ऑवर लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैंने इसीलिए कहा कि आज यह सदन निश्चित तौर से इस बात के लिए साक्षी है कि संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा माइन्स एंड मिनरल्स एक्ट, 1957 को अमेंड किया गया है। इसे आज बहुत विस्तार से अमेंड करके, पूरे देश में एक ट्रांसपेरेंट ढंग से पारित कराया गया है, इस बिल के पारित होने के बाद पूरे देश के लिए जो संशोधन हुए हैं, उनसे माइन्स एंड मिनरल्स का...(व्यवधान) मुझे भूमिका तो बनाने दीजिए। आज यह सदन इस बात के लिए साक्षी है और उसने एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसमें आपने भी भाग लिया है।

आज यह संघीय ढांचे का पहला स्वरूप होगा कि उस माइन्स एण्ड मिनरल एक्ट के द्वारा देश का एक पैसा-पैसा और राजस्व आएगा, उसे केन्द्र सरकार नहीं, बल्कि आज केन्द्र सरकार उस बिल को पारित करके एक-एक पैसा राज्य सरकारों को देगी। निश्चित तौर से अपने आप में यह सदन इस बात के लिए साक्षी है और इतिहास कायम कर रहा है।

दूसरी बात यह है कि यहां दूसरा भी बिल पास हुआ है। वह बात, जिसको लेकर 30-35 वर्षों से एससी/एसटी का आंदोलन तमिलनाडु में चल रहा था, यहां राज्य सरकारें हैं, संघीय ढांचे का इससे बेहतर स्वरूप क्या हो सकता है कि पूरा विश्व देख रहा होगा कि आज भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, भारत की गौरवशाली परंपराएं कितनी मजबूत हैं कि संघीय ढांचे में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं, लेकिन इसके बावजूद उस तमिलनाडु के एससी/एसटी के आंदोलन को एड्रेस करके कानून बनाकर उनके नाम पर उपांतरिक करने का काम नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है। निश्चित तौर से सब सदस्य इस सदन के सौभाग्यशाली सदस्य हैं, जो इसके साक्षी बनेंगे।

आज प्राइवेट मैम्बर बिल में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, उस पर मुझे आपने भाग लेने का मौका दिया। आज आजादी के बाद पहली बार, यह ठीक है कि आईसीडीएस था, आंगनबाड़ी की भूमिकाएं थीं, आंगनबाड़ी के लोग कार्यक्रम करते थे, गांव में निश्चित तौर से बच्चों के कुपोषण के लिए, माताओं के स्वास्थ्य के लिए या पोषण स्तर के लिए वे काम करती थीं, हमारी माननीय मंत्री स्मृति जी बैठी हैं, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद यह तय किया कि भारत में कुपोषण से आज भी बच्चे कुपोषित हैं, उन कुपोषित बच्चों को हम देश से समूल नष्ट करेंगे। यह निर्णय लेने का काम पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया, जिसमें भारत सरकार ने तय कर लिया कि इस देश में कुपोषण है, उसको दूर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जाएगा। आपने देखा है कि वह पोषण अभियान टूट है। बच्चा पैदा होने के 6 साल तक, अभी तीन साल तक के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों, गर्भवती माताओं या दूध पिलाती हुई जो हमारी माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर को कैसे समयबद्ध तरीके से सुधार किया जाए, इसके लिए तीन वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं इसके लिए निश्चित तौर से माननीय मंत्री स्मृति जी को बधाई दूंगा। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया। इस पर कभी ध्यान नहीं गया होगा कि उन बच्चों में जो ठिगनापन है, ऐसे 6 प्रतिशत हैं। हम तीन सालों में हर साल 2 प्रतिशत ऐसे बच्चे, जो किन्हीं कारणों से बोनो होते हैं, ठिगने होते हैं, हम यह तीन वर्षों में समूल नष्ट करेंगे कि बच्चों में ठिगनापन या बौनापन न हो। इसी

तरह से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनका जो अल्प पोषण है, उसमें भी 6 प्रतिशत की कमी को हर साल 2 प्रतिशत की कमी लाई जाएगी। 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया का प्रसार होता है, जिसका 9 प्रतिशत है। उसको प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से तीन सालों में समूल नष्ट करेंगे, जिससे कोई बच्चा एनीमिया से प्रभावित न हो। 15 से 49 वर्ष की किशोरियां हैं, बहनें हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनको एनीमिया होता है। आप गांव में देखते हैं कि किस तरीके से महिलाएं एनीमिया से प्रभावित रहती हैं, ऐसा लगता है कि वे सूख गई हैं। उनका प्रसार भी 9 प्रतिशत है, उनका भी प्रति वर्ष 3 प्रतिशत अगले तीन सालों में कम करने की बात है। जो बच्चे कम वजन के साथ पैदा होते हैं, उन बच्चों की भी संख्या 6 प्रतिशत है, ऐसे बच्चों को भी 2 प्रतिशत की दर से हर साल सही करने का लक्ष्य है।

महोदय, हमने एक रोडमैप बनाया, हमारी सरकार ने एक रोडमैप बनाया है। आजादी के बाद से लगातार आप गांव देखिए कि बच्चे किस तरह से मालन्यूट्रिशन में कुपोषित हैं, बच्चे किस तरीके से कमजोर हैं, किस तरीके से उनका पेट बड़ा हुआ है, हाथ-पैर कितने पतले-पतले होते हैं, उनकी मां एनीमिया से ग्रसित हैं। निश्चित तौर से ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा? भविष्य में इस कुपोषण को इस देश से समाप्त करने का संकल्प सरकार ने लेकर, यह मैं 'आत्मनिर्भर भारत' की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की स्पर्धा में खड़े होने के लिए हमारी पीढ़ियों को तैयार करने का काम निश्चित तौर से यह सरकार करने जा रही है।

हमारे आंगनबाड़ी केन्द्रों का पहले काम क्या था। उनका काम केवल यह था कि उनको पुष्टाहार मिल जाए और वे उस पुष्टाहार का वितरण करते रहते थे। पहले आंगनवाड़ी केन्द्र कहीं दूर ऐसे ही पड़े रहते थे। कितने आंगनवाड़ी केन्द्र फंक्शनल होते थे और कितने नहीं होते थे। इस सदन में हमेशा इस बात की चर्चा होती थी। हम उसके प्रति चिंता भी व्यक्त करते थे। निश्चित तौर से सरकारें पैसा देती थीं। वे चाहती थीं कि पुष्टाहार योजना के माध्यम से मातृत्व और बच्चे के कुपोषण को दूर करें। आज यह फैसला लिया गया है कि अब जो भी आंगनवाड़ी के केन्द्र बनेंगे, वे हमारे स्कूल के कैम्पस में बनेंगे, जिससे कि वे बच्चे जो अभी स्कूल में नहीं जाते हैं, वे बच्चे

आंगवाड़ी केन्द्र पर जाकर फैमलियर होंगे। बच्चों में विकास का काम उन आंगनवाड़ी केन्द्रों से होगा। इस तरह से छः काम निर्धारित किए गए हैं। आज उन आंगनवाड़ी केन्द्रों से सप्लिमेंट्री न्यूट्रीशंस, जैसे हम बच्चों को वह बांटने का काम करते थे, उसी आंगनवाड़ी केन्द्र से इस पोषण अभियान के तहत रेडी टू इट, आज एक मेन्यू बना रहे हैं, हम उनको गर्म और तैयार भोजन दे रहे हैं।

इसी तरह प्री-स्कूल नॉन-फॉर्मल एजुकेशन का विषय है। जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, तब तक गांव में बच्चे की मां उनके बौद्धिक विकास के लिए उस तरह से देखभाल नहीं कर सकती हैं। वे आंगनवाड़ी केन्द्र पर जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी के माध्यम से एक फैसला किया गया है कि स्कूल जाने से पहले की एज में जो बच्चे तीन साल या छः साल के हैं, उनको उस अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में भेजा जाए।

इसी तरह से उनका तीसरा काम न्यूट्रीशंस और हेल्थ एजुकेशन से संबंधित है। इसे भी दो पार्ट में किया जाएगा, एक न्यूट्रीशंस का पार्ट रहेगा और दूसरा हेल्थ एजुकेशन का पार्ट रहेगा। आंगनवाड़ी की बहनें, कार्यकर्ती या सहायिका पूरे देश के गांवों में व्यापक तौर पर इस काम को कर रही हैं। पहली बार इस तरह का एक अभियान चलाया गया।

आपने देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर आज कोविड-19 का इम्यूनाइजेशन हुआ है, निश्चित तौर से आज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कोई इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान नहीं चला है, जैसा कि भारत में नरेन्द्र मोदी की सरकार में इस कोविड-19 के लिए कार्यक्रम चला है। निश्चित तौर से उस इम्यूनाइजेशन में जहां आशा कर्मियों का रोल है, वहीं उसमें पर आंगनवाड़ी की बहनों का भी रोल है। इस तरह से इम्यूनाइजेशन की जिम्मेदारी भी उनकी है।

हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने काफी विस्तार से वेलनेस सेंटर्स के बारे में कहा है, अभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर तमाम राज्य की योजनाओं के लिए जो चेक-अप केन्द्र लगते हैं, उनमें आंगनवाड़ी की बहनें भी सहयोग कर रही हैं। इस तरह से आज रेफरल सर्विसेज में पहली बार

हमारे आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के विकास के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, मां को एजुकेट करने के लिए बच्चों की पोषण की व्यवस्था के लिए आज उन आंगनवाड़ी केन्द्रों को फंक्शनल और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना कर आगे किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हम केवल इनको काम नहीं दे रहे हैं, बल्कि पहली बार इस बात की चिंता माननीय मंत्री जी ने भी है कि आज आंगनवाड़ी की बहनें काम कर रही हैं। मैंने पिछले दिनों आपसे यह कहा था कि उनके मानदेय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मैं उसको नहीं दोहराना चाहता हूं। शायद आजादी के बाद पहली बार मात्र तीन हजार रुपए आंगनवाड़ी की बहनें पाती थी उसे एक साथ 1500 रुपए बढ़ा कर हमारी सरकार ने 4500 रुपए कर दिया है। इसी तरह से सहायिकाओं के लिए भी काम किया गया है। इसके साथ सोशल सिक्योरिटी देने का भी काम किया गया है। आपने देखा होगा कि स्वयं प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि बेनिफिट्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो सभी महिलाएं हैं, चाहे वे कार्यकर्ती हों, सहायिका हों, जो एज ग्रुप में 18 से 50 साल की हैं, उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से कवर किया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: जगदम्बिका जी आज भी नाइट वाचमैन होना है।

श्री जगदम्बिका पाल: हां जी।

माननीय सभापति : मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं समझता हूं कि अधिष्ठाता महोदय आपने खुद भी इसमें भाग लिया है। हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आंगनवाड़ी के हर कार्यकर्ती और सहायिका को कवर कर रहे हैं, जिसके बारे में विस्तार से माननीय मंत्री जी बताएंगे। इसी तरह से जो 18 वर्ष से 59 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, महिलाएं हैं और जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कवरअप नहीं हो पाई हैं, तो हमने ऐसा किया है कि अगर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कोई बहन नहीं कवर हुई है, तो उसके लिए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। अर्थात् किसी न किसी योजना से उन्हें सोशल सिक्योरिटी देने का काम किया गया है। अगर वह इस देश की

राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यक्रमों को पूरा करने का काम कर रही है, तो उसकी सुरक्षा का ख्याल नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। इस तरह से उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल कवर भी दिया गया है कि कभी दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना न हो जाए। आंगनबाड़ी की वे कार्यकर्ताएं जो 51 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के उम्र की हैं, जो इन दोनों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कवर नहीं हो पाई हैं, तो उनके लिए एक योजना मोडिफाई की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के द्वारा उन्हें पूरा लाइफ कवर दिया गया है। इस तरह से यह एक चिंता है कि हम किस तरह से आंगनबाड़ी बहनों को कवर देंगे।

आज हम आंगनबाड़ी सेंटर्स को डेवलेप कर रहे हैं। पहले आंगनबाड़ी केन्द्र बन जाते थे। सांसद जिले में 'दिशा' की बैठक की समीक्षा करते थे। एक तरफ आंगनबाड़ी केन्द्र बना और दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केन्द्र अबंडेन्ड हो जाता था, गिरने लगता था। जिस तरह की कार्यदायी संस्थाएं थीं कि राज्यों से शिकायतें आती थीं कि वहां पर बच्चों के साथ बैठा नहीं जा सकता था। मैंने एक-दो घटनाओं का जिक्र भी किया है। लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय कर लिया है कि अब आंगनबाड़ी केन्द्र के बिल्डिंग तथा अपग्रेडेशन का कार्य करने के लिए भारत सरकार 2,00,000 रुपये देगी। यह एक बड़ा फैसला है कि हम देश के आंगनबाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड करने जा रहे हैं। इसी तरह से आंगनबाड़ी वर्कर्स सेंटर्स के मेंटेनेंस के लिए भी 3,000 रुपये प्रति वर्ष दे रहे हैं। यह चिंता किसे है कि हम अपग्रेडेशन भी करें और निश्चित तौर पर उस केन्द्र की ड्यूरेबिलिटी भी रहे और उसके मेंटेनेंस के लिए भी हम 3,000 रुपये देंगे। इतना ही नहीं उन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बैठने के लिए जगह भी नहीं रहती थी, आज प्रति 5 वर्ष 10,000 रुपये हर आंगनबाड़ी केन्द्र को फर्निचर और इक्विपमेंट के लिए देंगे। मुझे लगता है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हैं। हम यह चाहते हैं कि देश के प्रत्येक बच्चे के भविष्य को उन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुधार सकें और उसका मुस्तकबिल बना सकें।

आज एक प्रश्न का उत्तर इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने दिया था कि हमारी यह कोशिश है कि कॉर्पोरेट, सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी से भी आंगनबाड़ी केंद्रों को दें। हमारी सरकार ने 1,303 आंगनबाड़ी केन्द्र सीएसआर के माध्यम से बनवाया है। निश्चित तौर पर यह हमारी पहल है कि हम अपने कॉर्पोरेट, सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी, चाहे वह सरकार की हो या पीएसयूज की हो, आज हम उसके लाभ से केवल सड़क, खड़जा, हैंडपंप या सोलर लाइट नहीं, बल्कि ऐसी जगह भी पैसा दें, जहां हम बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। किसी देश का भविष्य क्या होता है? उस देश की युवा पीढ़ी कैसी हो, उस देश के बच्चों की अपब्रिगिंग कैसी हो, उसे कैसी ग्रूमिंग दी गई है? इस तरह के सेंटर्स हर गांव में बनाकर दिए जाएंगे। पहले इस प्रकार के कम्युनिटी सेंटर्स गांव में कहां थे कि वहां पर बच्चे इकट्ठा हों, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के विषय पर भी मैं विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से आंगनबाड़ी की बहनों को आज ट्रेनिंग दी जा रही है, स्कूल की टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह जो ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा।

इसी तरह से जो पोषण अभियान है, उस पोषण अभियान के तहत आज 6,44,000 आंगनबाड़ियों को स्मार्ट फोन देने का काम किया गया है। हम बताएंगे कि उनके लिए कितने मॉडल एप बनाए गए हैं? आज देश में पहली बार आंगनबाड़ी वर्कर इस तरह की योजनाओं को कर रही हैं। आज 6,44,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्ट फोन मिल चुका है। हमारी सरकार ने 19,203 सुपरवाइजर्स को भी स्मार्ट फोन देने का काम किया गया है, जिससे कि छोटे-छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जा सके।

इसी तरह हमने 359 जिलों में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेंट सर्विसेज़ और कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन दोनों को एक साथ रोलआउट किया है, जिससे आइसीडीएस और सीएस का कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम केवल आंगनबाड़ी केन्द्र बनाकर केवल पुष्टाहार देने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से और इसी तरह से हमारी 73,28,000 प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन्स को भी एनरोलड किया जा चुका है।

18.00 hrs

HON. CHAIRPERSON : Shri Jagdambika Pal ji, you may continue next time when we will be taking up this Resolution again.

HON. CHAIRPERSON : Now, I need the consent of the House to extend the time of the House for taking up the '*Zero Hour*'. We would now be taking up some more issues relating to the '*Zero Hour*' and so the time of the House may be extended till the '*Zero Hour*' is over.

If you all agree, then we can go ahead with that. Does the House agree to the extension of the time of the House till the '*Zero Hour*' is over?

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended till the '*Zero Hour*' is over.

Smt. Jaskaur Meena.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय सभापति जी, आज मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे गम्भीर अत्याचार और घोर अपराध, अभी-अभी जो झालावाड़ में हुआ, एक 15 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार का कांड हुआ। ऐसे जघन्य अपराध के लिए राजस्थान सरकार के कान भी नहीं खुल रहे हैं और न ही उनकी आँखें खुल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत ही अफसोस है कि राजस्थान में एक नहीं, बल्कि अनेक जगहों पर ऐसे अत्याचार हुए। मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत छोटा है, यह मात्र आठ विधान सभाओं का क्षेत्र है, जहाँ महिलाओं और बेटियों के खिलाफ 23 कांड हुए, जो जघन्य अपराध थे, लेकिन उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

इसके साथ ही, मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में एक साल में छः लाख 14 हजार मामले दर्ज हुए। जिनमें से 80 हजार एफआईआर केवल महिलाओं और बालिकाओं के कारण हुई हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि यदि रेप के केसेज देखें जाएं, तो ये 12 हजार हैं। ऐसी स्थिति में, यदि हम कहें कि राजस्थान महिलाओं और बालिकाओं के अत्याचारों का स्टेट हो गया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

माननीय सभापति जी, राजस्थान में जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, इससे मुझे अफसोस होता है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद भी किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है।

आपको ध्यान होगा कि कोटा में भी जिस तरह के अत्याचार हुए थे और जब 24 घंटे के अन्दर सोलह-सोलह बच्चों की मौत हो गई थी, उनमें बेटियाँ कितनी थीं? जब उसकी बात आई, तो केवल लीपा-पोती कर दी गई।

मैं आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान की सरकार जिस तरह से महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाले अत्याचारों को सहन कर रही है, इन पर कोई-न-कोई संज्ञान जरूर लेना चाहिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय सभापति महोदय, दौसा से आने वाली माननीय सांसद ने अभी राजस्थान का जिक्र किया। राजस्थान के झुंझुनू जिले के जैतपुर गाँव की निवासी महिला पहलवान रितिका, जिसने पहलवानी की शुरुआत की थी और वह बहुत अच्छी पहलवानी कर रही थी, वह आगे इस देश का नाम रोशन करती, वह राजस्थान का नाम रोशन करती, लेकिन इस महिला पहलवान ने दो दिन पहले आत्महत्या कर ली। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

12 से 14 मार्च तक राजस्थान के भरतपुर स्थित लोहागढ़ स्टेडियम में राज्य स्तरीय सब-जूनियर, जूनियर महिला व पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी। इस मुकाबले में विवाद की स्थिति में ज्यूरी का, जिसमें दो-तीन से निर्णय होता है, उनको ही अंतिम फैसला करने का अधिकार होता है। मगर समाचार पत्रों व खेल जगत के प्रतिष्ठित लोगों के माध्यम से यह जानकारी आई कि उस कुश्ती में जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने मध्यस्थता की और वह जीती हुई थी, पहले उसकी जीत डिक्लेयर कर दी, जब वह चली गई, तो उसे वापस बुलाकर उससे कहा कि आप जीती नहीं हो, आप हार गई हो। स्टेट चैंपियनशिप के अंतिम मुकाबले में हार के बाद वह सदमे में चली गई। देश के और राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों तथा सोशल साइट्स के माध्यम से इसके बारे में पता चला।

मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि इसकी एज ग्रुप के अनुसार उसको नेशनल खेलने के लिए यह अंतिम मौका था। रितिका विजय हो गई थी, इसका विडियो क्लिप भी है।

माननीय सभापति: आप अपनी डिमांड बता दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

निर्णय करने वाले लोगों, जिसमें वहाँ के जिला खेल अधिकारी सत्यप्रकाश, महासचिव रवीन्द्र पहलवान, सी.पी. सिंह ने उसे दोबारा बुलाकर उसको हारा हुआ घोषित किया। सभापति महोदय, एक सोची-समझी साजिश के तहत विजेता को उप-विजेता बना दिया गया। इस साजिश में बहुत लोग थे, जिन्होंने इसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। मैं मांग करूंगा कि यदि देश का खिलाड़ी, चाहे वह किसी भी खेल क्षेत्र में हो, आत्महत्या करता है, तो उसके कारणों पर भारत सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

मैं जानता हूँ कि राजस्थान की सरकार इसकी जांच नहीं करेगी, जैसा कि मेरे से पूर्व सांसद ने भी बताया। इस 17 वर्षीय बालिका को न्याय तब ही मिलेगा, इस बालिका की आत्मा को सच्ची श्रद्धाजलि तब ही मिलेगी, जब इस कुश्ती के आयोजनकर्ताओं पर एनआईए, सीबीआई या यहां से न्यायिक जांच के आदेश लोक सभा अध्यक्ष या आप फरमाएं। ...(व्यवधान) मैं सिर्फ आधा मिनट और लूंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। राजस्थान में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की घटनाएं वहां घटित हो रही हैं। वर्ष 2021 में अस्पतालों में 519 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए, वहां कानून व्यवस्था वेंटीलेटर पर है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं नेक्स्ट स्पीकर का नाम ले रहा हूँ।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि दिल्ली की सरकार इस विषय का संज्ञान ले और इस बालिका, जिसने आत्महत्या की है, इस बालिका को न्याय दिलाए और उन आयोजनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

सभापति महोदय, हाल ही में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के पद रिक्त हैं। इन पदों की रिक्तता को भरने का काम केन्द्रीय

विश्वविद्यालयों का है। हम सभी जानते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा और शिक्षा के लिए सभी आयामों का इन्तेज़ाम करना, जिसमें नियुक्तियां भी शामिल हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय के आपसी समन्वय से होता है। नियुक्तियों की रिक्तता के बारे में माननीय मंत्री जी ने समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों के ऊपर डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 40 प्रतिशत प्रोफेसरों के पद रिक्त हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ओबीसी वर्ग के प्रोफेसरों का है। इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी वर्ग के प्रोफेसरों को मिलने वाले कोटे में लगभग 50 प्रतिशत से ऊपर ओबीसी प्रोफेसरों के पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2019 में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छः महीने के अंदर सभी आरक्षित पदों पर प्रोफेसरों की भर्ती का आदेश दिया था। एक अल्टीमेटम भी दिया था कि जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने यहां आरक्षित प्रोफेसरों के पद को समय रहते नहीं भरते हैं, तो उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली ग्रांट रोक दी जाएगी। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश का न ही अनुपालन हुआ और न ही अनुपालन न करने वाले विश्वविद्यालयों की ग्रांट रोकी गई। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सिर्फ अपनी मांग रखिए।

...(व्यवधान)

श्री गिरीश चन्द्र: सभापति महोदय, इससे समझा जा सकता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच नूरा-कुश्ती किसी साजिश का अंश है। सरकार की मंशा पर झूठे दलित प्रेम और ओबीसी प्रेम पर प्रश्नचिन्ह लगाना उचित है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि यदि वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के प्रोफेसरों के रिक्त पदों को अविलंब भरा जाए। धन्यवाद।

श्री राहुल कस्वां (चुरु): सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से अपने लोक सभा क्षेत्र में चल रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र से और वहां की शेखावटी बेल्ट, जो चुरु, झुंझुनू और सीकर का इलाका है। चुरु के बहुत से युवा हमेशा देश की सेना में भर्ती होने के लिए सबसे आगे भागते हैं। आज की तारीख में चाहे सेना हो या पैरामिलेट्री फोर्स हों, आपको चुरु के सबसे ज्यादा लोग वहां मिलेंगे। वर्ष 2020 के कोरोना टाइम में सेना की भर्ती निकली थी, वहां के कलेक्टर महोदय से जब सेना ने परमीशन मांगी, तो कलेक्टर महोदय के परमीशन न देने के कारण 70 हजार लोग, जिन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर रखा था, वे उससे वंचित रहे।

राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर्स ने परमीशन दी पर वर्ष 2020 में चुरु को परमीशन नहीं मिली, जिस कारण बहुत से लोग इससे वंचित रहे। मैं आपके मार्फत से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार की जो भर्ती निकली है, उसमें 70 हजार से ऊपर लोगों के भर्ती के ट्रायल्स देने के चांसेज हैं, लेकिन बीते हुए साल में कोरोना के कारण जो बच्चे रह गए, जिनकी एज एक साल ऊपर हो गई है, उनको इस साल की भर्ती के लिए केन्द्र सरकार काम करे।

मैं आपके मार्फत से इस मुद्दे को सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): उत्तर प्रदेश राज्य भारत के बड़े प्रदेशों में से एक प्रदेश है। आपका ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशाल जनसंख्या का प्रदेश हो गया है। कैंसर, हार्ट अटैक आदि गंभीर बीमारियों के कारण हजारों मरीज प्रतिदिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए दिल्ली, ऋषिकेश, चंडीगढ़ आदि में इलाज कराने के लिए जाते हैं। अधिक दूरी होने के कारण काफी मरीज रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर, दो राज्य हरियाणा और उत्तराखंड को जोड़ने वाला मुख्य जनपद है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना के अंतर्गत सहारनपुर पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कालेज को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में सम्मिलित करने हेतु सभी आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन मेडिकल सुविधाएं काफी कम

हैं। सहारनपुर में एम्स बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मरीजों को ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तराखंड के मरीजों को काफी लाभ होगा। सरकार द्वारा 16वीं लोक सभा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के लिए विभिन्न राज्यों में कार्य किये हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अत्यधिक दूरी होने के कारण वहां जाकर इलाज करना असंभव हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस मुख्य समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पिलखनी जनपद, सहारनपुर में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा दिया जाए।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में नेपाल से बाल्मीकि नगर बराज द्वारा बारिश के दिनों में अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक नदी में विनाशकारी बाढ़ से गंडक नदी का रिंग बांध तथा सारण तटबंध के टूटने की संभावना हो जाती है। जैसा कि पिछले साल में दोनों तटबंध टूट गए थे, जिससे हमारे क्षेत्र के 5 प्रखंड बैकुण्ठपुर, सिधवलिया, बरौली, गोपालगंज एवं उचकागांव के 200 गांव के दो लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित थी। हमारे गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में 80 किलोमीटर की दूरी में गंडक नदी बहती है, जिसमें 9 डेंजर प्वाइंट्स हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि तात्कालिक समय में यदि बांध में बोल्ट्स लगा दिया जाए एवं किनारों को सीमेंटेड कर दिया जाए, तो स्थायी रूप से कटाव को रोका जा सकता है एवं प्रत्येक वर्ष के वित्तीय नुकसान से भी बचा जा सकता है। इसलिए जनहित में केंद्र द्वारा एक केंद्रीय टीम भेजकर इसका स्थायी समाधान करने की कृपा की जाए क्योंकि यह समस्या नेपाल से जुड़ी है।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति जी, देश में सिर्फ तीन परसेंट सरकारी नौकरियां हैं। मेरे क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जहां देश की जनसंख्या का पांचवां हिस्सा रहता है, वहां तृतीय श्रेणी और चौथी श्रेणी की नौकरियों को भी पूरी तरह से आउट सोर्स कर दिया गया है, जिनमें आरक्षण भी लागू नहीं होता है और उसके साथ-साथ जो वेजेज मिलते हैं, वे सातवें वेतन आयोग के हिसाब से नहीं मिलते हैं। इस वजह से देश में समानता की जो एक पहल बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा की गई थी, उस पर कहीं न कहीं एक भारी ठेस पहुंचने का काम हो रहा है। हमारे देश के तमाम गरीब लोगों को अपने जीवन स्तर में बढ़ावा करने में मदद नहीं मिल पा रही है। यह देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन गरीबों के साथ बिलकुल खड़ी नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यह जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां हैं और जिन सभी नौकरियों को आउट सोर्स किया जा रहा है, उन्हें रेग्यूलराइज किया जाए, ताकि उन्हें सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पेमेंट मिले और उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी होने का काम हो।

माननीय सभापति: श्री अरविंद सावंत – उपस्थित नहीं।

श्री मनीष तिवारी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी नहीं होने की वजह से कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है और चिकित्सा के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है।

मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा, गिरीडिह, हजारीबाग में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी जल्द शुरू कराई जाए, ताकि वृद्ध और बेसहारा लोगों को और कर्मचारियों तथा अधिकारियों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके और उन्हें इलाज के लिए दूर न जाना पड़े।

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): धन्यवाद सभापति जी, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिल के मजदूरों और किसानों की तरफ मैं आपके माध्यम से भारत सरकार ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की सपा, बसपा और केंद्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की उपेक्षा और उदासीनता के कारण भारत का ब्राजील कहे जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश का गन्ना उद्योग मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया है। यहां की लगभग दो तिहाई चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं। ये मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, सहकारी क्षेत्र तथा भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के उपक्रम 80(सी) द्वारा संचालित थे। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने करीब एक दर्जन चीनी मिलों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कौड़ियों के भाव निजी हाथों में बेच दिया। बसपा के माननीय सदस्य बेरोजगारी की बात करते हैं। ... (व्यवधान) दर्जनों चीनी मिलें बंद करके हजारों मजदूरों को बेकार करने का काम और किसानों के हितों के विरुद्ध काम किया गया था। ... (व्यवधान) इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र की भटनी चीनी मिल भी है। ... * ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव निजी हाथों में बेच दिया। ... (व्यवधान)

SHRI RITESH PANDEY : Mr. Chairman, Sir, he is making baseless allegations. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Nothing is going on record.

... (Interruptions)*

श्री रविन्दर कुशवाहा : सभापति महोदय, इसके चलते जहां हजारों चीनी मिल मजदूर बेरोजगार हो गए, वहीं लाखों किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि गन्ना ही इस क्षेत्र के किसानों की एकमात्र नकदी फसल थी। मेरे संसदीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की एकमात्र चीनी मिल प्रतापपुर है, जो प्रबंधन द्वारा गत 5 वर्षों से बंद कर देने की साजिश की जा रही है। स्थानीय किसान, मजदूर, जनप्रतिनिधि व्यापक स्तर पर इससे आक्रोशित हैं, लेकिन जब से केंद्र में

* Not recorded.

आदरणीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से गन्ना किसानों में एक आशा की नई किरण जगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कई नई चीनी मिलें स्थापित की हैं। इसी क्रम में मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में अपने स्तर से प्रयास करके देवरिया में नया आधुनिक चीनी मिल संयंत्र स्थापित करने के साथ ही भटनी चीनी मिल को चालू करने की कृपा करें।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): धन्यवाद सभापति महोदय। गोदावरी नदी हमारे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति हमारे नासिक जिले के त्रयम्बकेश्वर से होती है और इस नदी का बड़ा ही धार्मिक महत्व है, लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बढ़ता हुआ जल प्रदूषण आज गोदावरी की समस्या बन चुका है। कई कंपनियों का कैमिकल युक्त पानी इसमें छोड़ा जाता है, जिससे यह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है और अनेक बीमारियों, जैसे-स्कन डिजीज या फिर वाटर बॉर्न डिजीज होने का भी डर होता है। पानी में दुर्गन्ध महसूस होती है। कुछ जगह इस नदी का पानी जलपर्णी या जलकुंभी से घिरा हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र के निफाड में बहुत ही बड़ा नान्दुर मधमेश्वर बर्ड सैंक्चुरी है, जिसमें दो सौ से ज्यादा पक्षी जैसे फ्लेमिंगो, स्पूनबिल आदि आते हैं। यहां 25 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, लेकिन हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि इसको सुरक्षित रखा जाए। इस क्षेत्र में भी प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अभियान के माध्यम से गोदावरी स्वच्छ करने के लिए प्रयास हों, ताकि यह प्रदूषण मुक्त हो सके।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Mr. Chairman, Sir, I would like to raise a very important issue concerning my area. This is about two villages namely, Divkaral and Dimundi in my area. Divkaral and Dimundi are two villages which are not displaced. I had been to Divkaral. It is only one or two streets which are not in displaced status and the rest of the surroundings

belong to Utkal Aluminium Refinery Project. These people have been left out from availing the opportunities.

Similarly, Dimundi is situated very next to the factory; and the people there have been badly impacted by noise pollution, air pollution, dust and various other things.

If we look at the history, these two villages were in the prime of protest against Utkal Alumina and the District Administration when the people did not want to have a company back in the 1990s and 2000. But since then, most of the villagers had been displaced and have been availing the facilities like jobs to their children and so on.

But these two places Dhenkanal and Dimundi are still not in the list of displaced villages. I had checked with the RDC (South) from Berhampur and he had mentioned that the matter was *sub judice*. But when we did an RTI, the High Court mentioned that it was not *sub judice*; and they passed an order.

So, Mr. Chairman, Sir, since it belongs to the Revenue Department, I would request you to write a letter to RDC, Berhampur to check the current status; and also, if we can send a delegation of MPs to actually find out as to what the current status of people of Dhenkanal and Dimundi is, which would be really helpful. Thank you.

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

25 दिसंबर, 2000 ई. को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना परम श्रद्धेय पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा की गई थी और इसके माध्यम से लगभग 97 प्रतिशत छोटे, बड़े गाँव आज पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं।

महोदय, इस महत्वपूर्ण योजना को विस्तृत रूप प्रदान करके परम आदरणीय यशस्वी तेजस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने पीएमजीएसवाई फेज तीन की शुरुआत 2019-20 में की है। निःसंदेह इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण होगा।

महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना के द्वारा हमारे संसदीय क्षेत्र दरभंगा में भी अनेक सड़कों का निर्माण किया गया, लेकिन अभियंताओं के द्वारा तैयार डीपीआर बनाने में अनियमितता बरती गई, क्योंकि आज भी कई ऐसी सड़कें हैं, जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित की गई हैं, उनमें पुलों के अभाव के कारण सड़क कई जगह दो भाग में विभक्त है।

महोदय, ज्ञात हो कि दरभंगा अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वर्ष 2019 में ऐसी सड़कों का सर्वे किया गया और विभक्त सड़कों को जोड़ने हेतु मिसिंग लिंक ब्रिज की सूची बनाई गई, जो ओमास पर भी अंकित है।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री ग्रामीण विकास से आग्रह है कि किरतपुर, गौड़ाबौराम, घनश्यामपुर, बिरौल, घनश्यामपुर, अलीनगर, मनीगाछी, तारडीह, दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हनुमान नगर, बहेड़ी, बेनीपुर आदि सभी प्रखण्डों में कई वर्षों से पुल बनाने का इंतजार है।

वर्ष 2029 में मिसिंग लिंक ब्रिज की सूची बनाई गई, जो ओमास पर अंकित है को फेज थ्री में लेकर बनाया जाए और अनियमितता बरते वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, शायद सबको मालूम है। जीरो ऑवर में अधिकतम 150 शब्दों में अपना वक्तव्य और अपनी माँग रखने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। इससे ज्यादा कंप्यूटर भी नहीं लेता है।

श्रीमती वीणा देवी।

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात सदन में रखने का अवसर दिया है।

मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली में गर्मी के मौसम में हर साल मई और जून के महीने में बिहार के अलग-अलग कस्बे के बच्चे चमकी बुखार नाम की बीमारी की चपेट में आते हैं और बच्चों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। चमकी बुखार को दिमागी बुखार भी कहा जाता है। यह इतनी खतरनाक और रहस्यमयी बीमारी है कि अभी तक विशेषज्ञ भी इसकी सही-सही वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। चमकी बुखार में वास्तव में बच्चों के खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है। सही समय पर उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो सकती है। अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। यदि पहले से ही प्रशासन द्वारा चमकी बुखार से बचाव के उपाय कर लिए जायें, तो काफी बच्चों को इसकी चपेट में आने से बचाया जा सकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली के मुजफ्फरपुर जिले में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर इलाज के लिए जरूरी संसाधनों की भारी कमी है। इस वजह से वहां पर चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को उचित इलाज नहीं मिल पाता है। केन्द्र सरकार की तरफ से मैं इसमें सहयोग की मांग करती हूँ।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर ध्यान देकर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

माननीय सभापति: श्री श्याम सिंह यादव।

श्री रितेश पाण्डेय: सर...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री श्याम सिंह यादव का रिकार्ड पर जाएगा ।

...(व्यवधान) ... *

श्री रितेश पाण्डेय: सर, आप उनको बुलवा लीजिए । मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There is no point of order during 'zero hour'.

... (Interruptions)

श्री रितेश पाण्डेय : सर, ...* का नाम लिया है और यह कहा है कि ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There is no point of order during 'zero hour'.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा ।

...(व्यवधान) *

श्री रितेश पाण्डेय: सर, उसको रिकार्ड से हटाया जाए । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : जो चीज आप बता रहे हैं, आप बैठ जाइये । जीरो अवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है । लेकिन जो चीज आप संज्ञान में ला रहे हैं, आप सुनिये ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सुनिये । आपस में बात मत कीजिए ।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There should not be any cross talk.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: There is no point of order during 'zero hour'.

... (Interruptions)

* Not recorded.

माननीय सभापति : आप जो बात संज्ञान में लाए हैं, हम उसको देख लेंगे। यह आश्वासन है।

...(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : सर, नाम लिया है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : हम देख लेंगे। हम आपको बता रहे हैं, देखना है।

श्री श्याम सिंह यादव।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): जनाब सदर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को 149 शब्द में खत्म करूँगा। मेरी आज की यह जीरो अवर की स्पीच...(व्यवधान)

माननीय सभापति : स्पीच नहीं, आपका जो इशू है, वह बता दीजिए।

श्री श्याम सिंह यादव: बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, बहन कुमारी मायावती और देश के तमाम गरीब, मजदूर और खास तौर से हमारे जनपद जौनपुर के मजदूरों पर कुर्बान है। महोदय, आप जरा गौर करें कि मौजूदा हुकूमत, सनदकारों, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद है। गरीबों और काश्तकारों पर बहुत खामोश है। मजदूरों के लिए न सोच कर बड़े-बड़े काश्तकारों, बड़े-बड़े सरमायेदारों के मफाद के बारे में सोचती है।

हम सभी लोग जानते हैं कि किसान पिछले 6 महीने से कड़कड़ाती ठंड, ठिठुरती ठंड में आज तक परेशानी के आलम में सड़क पर पड़ा हुआ है। लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है।

सितम ज़रीफी यह है कि उनसे हमदर्दी का मुजाहरा करना तो दूर की बात है, उनके चारों तरफ कीलें और दीवारों खड़ी की जा रही है।

जनाब वजीरे आलम जो अपने को प्रधान सेवक, खादिमे आला ऐलान करने से थकते नहीं हैं और यह भी दावा करते हैं कि वे किसानों से महज एक फोन की कॉल की दूरी पर है। मैं उनसे दरखास्त, गुजारिश करूँगा कि मुल्क का खादिमे आला होते हुए कम से कम एक फोन कॉल ही करके उनकी खबरगिरी कर लें। इतना भी हमारे किसान...(व्यवधान) सर, एक मिनट। अगर वजीरे आलम साहब इतना भी हमारे किसान के लिए कर देंगे तो उनका बहुत बड़ा एहसान होगा।

अपने मन की बात से थोड़ी फ़ुर्सत पाकर किसानों के मन की भी बात फ़क़त एक बार सुन लें। इसी के साथ मैं यह गुज़ारिश करूँगा कि इस ज़रई कवानीम को वापस लेकर किसानों को उनकी बदहाली से बाहर निकालें। जयहिंद, जय भारत।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी बात मराठी में रखना चाहूँगा।

*Hon'ble Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak. I would like to speak in Marathi. I would like to draw the attention of this House towards an important issue. Maratha Community had started a 'People's Movement' to secure reservation in Maharashtra but now the decision has stucked in litigations. On one hand, these people are fighting for reservation but on the other hand, the people of Dhangar Community are still deprived of reservation benefits even when they are included in STs list by Babasaheb Ambedkar. This is because of the mistake in Hindi and Marathi. The word 'Dhangad' has been written in place of 'Dhangar'. This Dhangar community is a backward Tribal Community who rear sheep and goats and live in and around villages in very poor and adverse conditions. They really need the benefits of reservation.

Hence, through you, I would like to request the Central Government to correct it and use the real and original word, 'Dhangar' so that these 1.20 crore people get the benefits of tribal reservation.

This is my earnest request to you, thank you.*

* * English translation of this part of the speech originally delivered in Marathi

माननीय सभापति: श्री जुगल किशोर शर्मा जी – उपस्थित नहीं।

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): सभापति महोदय, सदन के प्रथम सत्र में तारांकित प्रश्न के माध्यम से मैंने एक मुद्दा उठाया था कि एनएच-28 पर दो खतरनाक मोड़ हैं। एक कुशीनगर है और दूसरा गोपालगढ़ है। कुशीनगर के राइट साइड में बौद्ध सर्किट एरिया है। लेफ्ट साइड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की फोर लेन जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री और भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के आशिर्वाद और प्रयासों से वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज चंद दिनों में विमानों की उड़ान के कगार पर है। कल्पना की जा सकती है कि उड़ान के बाद यह खतरनाक कुशीनगर मोड़, जिसके दोनों तरफ विद्यालय भी हैं। अक्सर विद्यालय में शिक्षारत बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। सदन के तारांकित प्रश्न के माध्यम से, मैं अभिनंदन करता हूँ अपने माननीय राजमार्ग मंत्री माननीय गडकरी जी का, जिन्होंने दोनों प्रोजेक्ट स्वीकृत तो किए। आज डेढ़ वर्ष हो रहे हैं, डीपीआर बन कर, एनएचआई हेडक्वार्टर पर, आज लंबित है, इसी तरह से कप्तानगंज नगर में फ्लाईओवर-730 एनएचआई हेडक्वार्टर में लंबित है। फोर लेन की जगह न होने से हम लोगों ने लिख कर दिया कि टू लेन में ही फ्लाईओवर का निर्माण पूर्ण किया जाए। तीनों के तीनों फ्लाईओवर की फाइल आज एनएचआई हेडक्वार्टर में लंबित है। मैं माननीय सभापति जी, आपसे आग्रह करता हूँ कि आपकी निगाह में यह मुद्दा जो अतिसंवेदनशील है, एनएचआई के ऐसे लंबित करने वाले कर्मचारियों पर आपकी निगाह पड़े और इन दोनों-तीनों फ्लाईओवरों का निर्माण पूर्ण हो सके।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सभापति महोदय, पिछले आठ-दस सालों में, खास तौर पर मानसून के वक्त पर, सैकड़ों गांव हमारे इलाके से कट जाते हैं और हजारों एकड़ इरोजन में खत्म हो जाते हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था और आवेदन दिया था कि कुछ गांव हैं – मुसलदांगी, महेस, भतना, निसंधरा, इस्लामपुर, मटियारी, ग्वालटोली, दलेगांव, तेलीबीटा, बोलमारा, बगलबाड़ी, मझोक, बेलुआ, सारकी, टेंगरमारी, सिरसी, महीनगांव, चुनीमारी, मिचानटोली, सीमलबाड़ी, नेगरटोली, गरिया, जोअर। सर, इन गांवों के अलावा भी कई गांव हैं, सबका नाम लेना उचित नहीं

होगा। हमारे यहां मुख्तर, महानंदा, मेची, डोंक, रतुआ, परमान, कनकई, सुधानी, रमजान के अलावा भी कुछ नदिया हैं, जिनकी वजह से बरसात में काफी तकलीफ होती है। आपके माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि जिनके घरबार का नुकसान हो जाता है, उनको रीहैबिलिटेड किया जाए। जिनकी जमीन का नुकसान हो जाता है, सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाए। आखिर में, महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट में इतनी राशि दी जाए कि अगले दो-तीन सालों में इन सभी नदियों पर एम्बैकमेन्ट हो, ताकि तबाही रुक सके।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। भारत सरकार की एमएसडीपी योजना के अन्तर्गत मुस्लिम-डॉमिनेटेड ब्लॉक्स और जिले में कुछ योजनाएं लागू हुई थीं, उनका हाल, खास तौर से मेरे उत्तर प्रदेश में मेरे लोक सभा क्षेत्र में बहुत ही खराब है।

माननीय सभापति: आपका सब्जेक्ट कुछ अलग है। यह मिल्क एडल्ट्रेशन के बारे में है।

कुंवर दानिश अली : सर, रोज़ जीरो आवर में अपने नाम दे रहा हूं। हम भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हमारा नम्बर नहीं आता है। मैं मिल्क एडल्ट्रेशन पर ही आ रहा हूं। Thank you very much for reminding me.

सर, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने खड़ा हुआ है। आज देश में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत एडल्ट्रेशन है। हम जो दूध पीते हैं या पनीर खाते हैं या घी खाते हैं, यंग जेनरेशन के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वे भी इसे खाते हैं। खास तौर से, महानगरों में, इसमें इतना एडल्ट्रेशन है कि उसकी जांच-पड़ताल जिस तरीके से होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है।

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि दूध का एक एडल्ट्रेशन तो वह होता है, जो यूरिया मिलाकर, रिफाइन्ड ऑयल मिलाकर दूध बनाते हैं। जो बड़े मिल्क प्लांट्स होते हैं, वहां पर एक बार ही मिल्क का कलेक्शन होता है। अगर शाम को गाय या भैंस से दूध निकाल लिया तो अगले दिन जब वह गाड़ी उसे लेने आती है तो लोग उसमें ऐसा कोई केमिकल डालते हैं, जिससे कि वह दूध न फटे। यह कॉमन चीज है। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे ही लोक सभा क्षेत्र के गजरौला में

एक बड़ा दूध प्लांट है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। हम किसी ब्रांड का क्यों नाम लें?... (व्यवधान) अच्छा, उसका नाम ले लेता हूँ। वह उमंग डेयरी है। जे.के. जैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस की उमंग डेयरी में जब यह सब पाया गया, जब वहाँ के कर्मचारियों ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि यह तो बहुत बड़े पॉपुलेशन की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे। ऐसे प्लांट्स की जांच कराए। कम से कम जो खान-पान है, उसके ऊपर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति: हमारा लिस्टेड जीरो आवर था, वह कम्प्लीट हो गया है। अब पहले कुछ महिला सदस्यों को हम बुलाते हैं। एक-एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल: सर, हमें भी बोलने का मौका दीजिए।

माननीय सभापति: हाँ, आप लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा।

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): Sir, through you, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister of Education, Government of India to the setting up of a second Kendriya Vidyalaya at Chandbali in Bhadrak District of Odisha State.

I have requested the hon. Minister of Education, Government of India, through a letter dated 11th October, 2020, for setting up a second KV in Chandbali town of Bhadrak District of my Parliamentary Constituency. At present, there is only one KV located at the district headquarters, which is 60 kilometres away from Chandbali town. Chandbali is an old port city during the British period. It is famous for its maritime activities and it is adjacent to the present Adani Dhamra port.

After the commissioning of Adani Dhamra Port project, major economic activities along with ancillary industries are coming up. Accordingly, railway link and communication facilities have developed. Apart from this, the DRDO has a huge establishment at Dr. APJ Abdul Kalam Island, which was earlier known as Wheeler Island, near Dhamra. Also, an airport being developed by Adani is coming up at Dhamra.

Apart from a few State Government schools, there is no such school of national standard at Chandbali. The Central Government employees have to depend on Bhadrak District headquarters for schooling of their children, which is more than 60 kilometres from Chandbali.

The District Administration is ready to provide the land and temporary accommodation for the proposed second KV at Chandbali, if it is sponsored through the proper channel.

If a second Kendriya Vidyalaya is set up by the Ministry of Education, it will help and ensure the locals getting quality education. Thank you.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Sir, during the bleakest period of our life in the pandemic year, the one word which gave us all hope and encouraged us to get back on our feet was our hon. Prime Minister's call for AatmaNirbhar Bharat. Several districts were earmarked under 'One District One Product' scheme. My district of Mandya, which is famous across the country and the world, was chosen for its pure and organic jaggery processing units.

What I want to draw the attention of the House today is towards the fact that the once thriving 6000 units have now dwindled down to 600 units due to lack of financial support. Under this scheme, the Government has assured technical business support as well financial assistance.

Also, the more disturbing fact is the unhealthy and dangerous practices of adulterating jaggery. The popular concept is that 'consumer prefers the white jaggery' whereas the organic jaggery is always dark brown in colour. Now, some illegal units have started adding chemical agents and bleaching compounds to make the jaggery more appealing to the consumers. I think this should be looked into and taken up very seriously by the Government of India. There is also an urgent need for spreading awareness among public about the unhealthy consumption of white jaggery.

I would urge the Government of India to provide necessary financial support to revive the once thriving jaggery processing units of my district as well as in the rest of the country. Thank you.

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, hon. Chairman, for giving me this opportunity. Through you, I would like to humbly request the hon. Home Minister to recommend the Andhra Pradesh Disha Bills, that is, Criminal Law (AP Amendment) Bill and Special Courts for Specified Offences against Women and Children Bill, which were unanimously passed by the Andhra Pradesh Assembly under the leadership of hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu to the hon. President for granting of assent in the interest of security and safety of women and children in our State.

Sir, today if women in Andhra Pradesh are living without fear-credit goes to implementation of the DISHA Bill. I hope that the Union Government will strengthen our trust in this direction. Thank you.

****SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR):** Thank you, Chairman, Sir for giving me the opportunity, to raise an important issue. My Constituency Jajpur, in Odhisha has several Buddhist sites which have great historical significance. Ancient stupes, structures, relics and other antiquities have been found. Places like Ratnagiri, Udyagiri, Lalitigiri etc. have been mentioned by Hieun Tsang the Chinese traveler of 7th Century who visited India. Odisha govt. under the able leadership of Shri Naveen Patnaik has chalked out a plan to attract more and more domestic and foreign traveller by creating a Diamond Triangle. There are several other places like Langudi, Kaima, Radha Nagar, Brajagiri, Neulapur etc. that have Buddhist heritage. Through You, I request the Central Government to take appropriate steps so that these places can be accorded "World Heritage Site" status like the Sun Temple of Konark.

My Constituency Jajpur is also the abode of Adishakti Maa Biraja. It is one of the 52 Shakti peethas. Chhatia Bata is also an important Jagannatha Dharma. There are numerous other temples like the Mahavinayaka. Saptamatruka, Verahanatha and Buddha Ganesha Temple in my constituency.

... English translation of this part of the speech originally delivered in Telugu.

** English translation of the speech originally delivered in Odia.

Sir, through you, I request the Central Government to take initiative for the development of these places, so that they can attract more tourists. Thank you.

श्रीमती रेखा अरुण वर्मा (धौरहरा): सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। एनएच 24 लखनऊ से सीतापुर के बीच में लगभग 20 वर्षों से कंपनी द्वारा 2 जगहों पर टोल वसूला जा रहा है। परन्तु पिछले 20 वर्षों में अभी तक कंपनी द्वारा सिधौली कस्बे में, जहां बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, उस सिधौली कस्बे में अभी तक ओवर ब्रिज नहीं बनाया गया है और न ही कंपनी द्वारा सिधौली कस्बे को जाने के लिए कोई अन्य व्यवस्था की गई है। इस कारण यात्रियों को लखनऊ से सीतापुर आने-जाने में अधिक समय लगता है। इस कारण यात्रियों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उनका समय ज्यादा लगता है और उन्हें धन की भी हानि हो रही है।

एनएचएआई के नियमानुसार एक टोल से दूसरे टोल की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। एनएच 24 पर लखनऊ से सीतापुर के बीच में 50 किलोमीटर की दूरी में दो टोल बना दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं, क्योंकि यह नियमानुसार भी गलत है। इस समस्या का समाधान किया जाए, धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : There is a long list of Members who want to speak. So, I would request the hon. Members to put forth their points of view or demands within one minute each.

श्री जगदम्बिका पाल: अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से एक ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ की मांग करता हूं। जिस तरह से ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज़ है, पोस्टल सर्विसेज़ है, इंडियन रेलवे सर्विसेज़ है, वर्ष 1958 में लॉ कमीशन की 14वीं रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया। वर्ष 1976 में जो 42 वां संविधान संशोधन हुआ,

उसके अनुच्छेद 312 में जोड़ा गया। वर्ष 1986 में फिर लॉ कमीशन की जो 116वीं रिपोर्ट आई, उसमें भी यह है। वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 165/1991 केस हुआ था, उस केस में भी ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ बनाने के लिए निर्देश जारी किया गया। नीति आयोग ने भी वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट में ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ बनाने का सुझाव दिया। इसी सदन में वर्ष 2020 में माननीय रवि शंकर प्रसाद जी ने भी ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ के लिए विचार करने को कहा। देश में एक न्यायपालिका है, तो उसके लिए भी एक ऑर्गन इस तरह से ऑल इंडिया जुडीशियल सर्विसेज़ हो, जिससे कि और दूसरी सर्विसेज़ की तरह से, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नियुक्ति हो सके।

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Hon. Chairperson, Sir, we are fortunate that out of 62 newly sanctioned Eklavya Model Residential Schools in the North-East region, our State got 12. I hope that these schools will do the same as Kendriya Vidyalaya and Navodaya School, which are doing extremely well in my State.

However, it is surprising to note that legitimate L1 bidder for 55 Eklavya Model Residential Schools was not allocated even a single allocation, but they were allocated to L2 and L3 bidders without consulting and taking the consent of the lowest bidder. As per the NESTS guidelines, the final selection of the successful bidder would be considered as per the Least Cost System in line with rules of the General Financial Rules, 2017. This is a gross violation of the guidelines laid down by the CVC.

Moreover, some vested or interested groups might be trying to alter the locations originally allotted to the sanctioned schools. This is not proper and it should not be done. These schools must be constructed at the already decided sites.

I urge upon the Tribal Affairs Ministry to go ahead with the original plan. We hope that it will be a blessing for the tribal students of my State.

Thank you.

***DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):** Thank you, hon. Chairman Sir.

Through you Sir, I would like to draw the attention of this august House towards an injustice being meted out to Punjab. In Punjab, the Rural Development Fund, 1987 was going on. It had 3 % tax structure. The Central Government changed the tax to 1% for paddy in the cost-sheet for procurement and regarding wheat, the tax was changed to zero percent. Punjab had to bear the loss of Rs. 3000/- crores per annum.

Sir, 67,000 kms rural roads are there. 2000 mandis are there that are maintained. Farmers' loan waiver takes place from this. It gives a boost to rural development.

Sir, farmers' agitation is a separate issue. The Union Govt. is punishing Punjab and its people and injustice is being meted out to Punjab. Kindly reconsider this ill-advised decision.

Thanks.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं सबसे पहले भारत सरकार से बागपत क्षेत्र के अपने नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय खेल संस्थान की साग्रह मांग करता हूँ। इसका कारण यह है कि बागपत पूरे देश का शूटिंग में लगभग आधे बच्चे देता है, तीरंदाजी के क्षेत्र में एक तिहाई बच्चे देता है, कुश्ती में लगभग बारह खिलाड़ी अर्जुन अवार्डीज हैं, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल और ट्रैक के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी काम करते हैं।

आज सुविधा के अभाव में हमारे यहां के बच्चे और खिलाड़ी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वहां एक राष्ट्रीय खेल संस्थान का जल्दी से जल्दी से निर्माण कराया जाए।

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020 तक लगभग छह हाथियों की मौत हो चुकी है। वनमंडला अधिकारी गरियावन से जानकारी ली तो उन्होंने मुझे लिखित में कहा है कि करेंट से मौत हुई है। 23 फरवरी, 2021 का दिन देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। देश में पहली बार मगरकुंड में मादा तेंदुआ का शिकार हुआ और उसके अंगों को नोच डाला गया, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी स्वीकार किया है। उसका पोस्टमार्टम हुआ, मेरे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि तेंदुआ के सामने के दो पंजे गायब थे, माथे की चमड़ी गायब थी, मुँह के दो बाल गायब थे, नाखून भी गायब था। छत्तीसगढ़ में जो गिरोह काम कर रहा है, इसका फोटो देखने के बाद किसी भी व्यक्ति के आंख से आंसू निकल जाएगा।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देशित करे कि बेजुबान जानवरों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को चिह्नित करके इस प्रकार से दंडित किया जाए कि देश में इसकी कहीं पुनरावृत्ति न हो, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, बिहार के तीन लोक सभा क्षेत्र को जोड़ने वाली पथ एनएच-107 महेशखुंट-सिमरी-बख्तियारपुर-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया के 177 किलोमीटर पथ का निर्माण ईपीसी मोड पर हो रहा है। जब एनएचएआई ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो डीपीआर में कई तरह की त्रुटियां सामने आईं, पूर्व के आरसीडी रोड का निर्माण पीडब्ल्यूडी मानक के अनुसार हुआ था लेकिन वर्तमान डीपीआर में उस सड़क को पूरी तरह से नहीं उखाड़कर उसके ऊपरी सतह में एक-दो लेयर में मेटल देकर उसे निर्माण कराने की योजना है। यदि उक्त पथ के डिजाइन में संशोधन नहीं किया जाएगा तो कुछ ही दिनों बाद पथ क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

स्थानीय समीक्षा बैठक में एनएचएआई के पदाधिकारी बताते हैं कि एसीओएस चेंज ऑफ स्कोप का प्रस्ताव छह महीने से मुख्यालय में लंबित है। पूर्व निर्मित पथ काफी जर्जर हो गया है। खासकर सहरसा-मधेपुरा जिला मुख्यालय के बीच की सड़क की स्थिति काफी दयनीय है।

वह चलने लायक नहीं है। अगर समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो बरसात में आवाजाही बिल्कुल ठप्प हो जाएगी। निर्माणाधीन पथ के दोनों तरफ बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, लेकिन इसकी चेतावनी के लिए कोई भी फ्लैग नहीं लगाया गया है। पथ पर काफी धूल उड़ती रहती है। इस पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। इस पथ पर चलने वाले सभी लोगों को धूल के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है और इस कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुखद बात तो यह है कि पथ पर पेड़ की कटाई और बिजली के खंभे हटाने का कार्य होना है, उसकी मंजूरी भी मुख्यालय नहीं दे रहा है।

मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एनएच-107 के डीपीआर में सुधार किया जाए। पथ के दोनों तरफ के गड्ढों पर चेतावनी फ्लैग लगाया जाए। पथ पर सुबह-शाम नियमित पानी का छिड़काव किया जाए। माननीय मंत्री जी द्वारा एनएच मुख्यालय के सदस्य तकनीकी को स्वयं एनएच-107 का निरीक्षण कर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया जाए।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): माननीय सभापति जी, हमारे देश ने कोविड संक्रमण से पूर्व और बाद में और अधिक प्रभावी रूप से औषधियों के उत्पादन और निर्यात में प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। ऐसी सकारात्मक स्थिति में भारत सरकार द्वारा मूल औषधियों के उत्पादन हेतु फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

अन्य प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश ने फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश में विश्व स्तर की कई औषधियों की प्रयोगशालाएं हैं तथा सरकार ने कई औषधि प्रयोगशालाओं को पार्टनर बनाने का अनुबंध किया है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र लखीमपुर सहित ऐसे कई स्थान हैं, जहां औषधियों के उत्पादन एवं निर्माण हेतु अच्छा वातावरण है, परंतु एक बड़ा प्रदेश होने के बाद भी निर्यात व व्यावसायिक उत्पादन के बजाय आज भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से मांग करता हूं कि औषधीय उपकरण एवं सर्जिकल आवश्यकताओं हेतु आत्मनिर्भर बनने एवं निर्यात बढ़ाने के लिए सस्ती एवं गुणकारी औषधियों की उपलब्धता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करके फार्मा पार्क स्थापित करने की कृपा करें।

श्री देवजी पटेल (जालौर): माननीय सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में अहमदाबाद से दिल्ली एनएच गुजर रहा है। वहीं सिराही के पास ट्रैफिक कांडला की तरफ डाइवर्ट होता है। जब यहां से कांडला के लिए ट्रक जाते हैं, बीच में दो बड़े कस्बे रेवधर और मंडार पड़ते हैं। शहर के बीचों बीच रोड निकलने के कारण बड़े ट्रक यहां से निकलते हैं, जिस कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं।

मैंने पहले भी इस विषय को रखा था। उदयपुर में सम्मानीय गडकरी जी ने इसकी घोषणा भी की थी कि सिराही से झेरड़ा एनएच बनाकर मंडार और रेवधर को बाईपास किया जाए। इससे जो बड़े व्हीकल्स कांडला के लिए निकलते हैं, बाई-पास होकर चले जाएंगे और इन दुर्घटनाओं में

जिन लोगों की जान जाती है, उनकी जान बचाई जा सकेगी। यही मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय सभापति जी, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 से ज्यादा कंपनियों को अप्रैल, 2020 से फरवरी, 2021 तक बंद कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अधिकतम कंपनियां बंद हुईं। 2394 दिल्ली में और महाराष्ट्र में लगभग 1279 कंपनियां बंद हुईं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में बंद कंपनियों की संख्या भी महत्वपूर्ण है। ये कंपनियां लॉकडाउन के कारण बंद हुई थीं। इन कंपनियों ने स्वेच्छा से अपना कारोबार कंपनी के अधिनियम की धारा 248/2 के प्रावधान के अधीन बंद किया था।

महाराष्ट्र राज्य में कोविड की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके कारण कंपनियों के कामकाज पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में धारावी का इलाका आता है। धारावी में लाखों लोग रहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी लैडर इंडस्ट्री धारावी में है।

19.00 hrs

वहां के लोग उसके ऊपर निर्भर हैं। लेडर इंडस्ट्री के माध्यम से कई सालों से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। वहां स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण लेडर इंडस्ट्री पर काफी बुरा असर पड़ा है। ग्राहकों की संख्या में गिरावट आने के कारण उनके पास बिजली, दुकानों के किराए आदि का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके कारण कई लाख लोग बेघर हो गए हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि लेडर इंडस्ट्री के इस क्षेत्र को विशेष आर्थिक सहायता घोषित की जाए। वे पहले से ही कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अगर, आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो हमारे धारावी के लोगों को सहायता मिलेगी।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): धन्यवाद सभापति महोदय, हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारा भारत देश इतिहास और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया के सभी पर्यटक हमारे देश में पर्यटन के लिए आते हैं। राजस्थान प्रदेश में आज भी बहुत से स्मारक और पर्यटन स्थल संरक्षण का इंतजार कर रहे हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में कालीबंगा एक प्राचीन सभ्यता है, जो हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी सभ्यता है। करीब 8000 साल पुरानी इस कालीबंगा में मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, जो आज तक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो पायी है। मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि कालीबंगा के पर्यटन स्थल को और ज्यादा विकसित किया जाए। इसके अलावा वहां पर ब्रह्मणी पल्लू माता का मंदिर है। पर्यटन की दृष्टि से वहां पर काफी लोगों का आना-जाना होता है।

हमें सेना के शौर्य व पराक्रम पर बहुत गर्व है। मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र हिन्दुमलकोट जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, आजादी से पहले वहां पर ट्रेनें आया-जाया करती थीं। वहां पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है। वहां एक नदी में 28 दिसम्बर, 1971 को हमारे 27 जवान शहीद हो गए थे। वहां 28 दिसम्बर को प्रत्येक वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है। मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि वहां पर एक पर्यटक स्थल बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के चारों स्थानों पर पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक स्थल बनाया जाए, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, जिससे राजस्थान प्रदेश को लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): धन्यवाद सभापति माहोदय, महाराजगंज में भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सोहगीबरवा वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1987 में संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था। इस वन क्षेत्र का विज्ञापित क्षेत्र 42820 हेक्टेयर है। इसके एक तरफ नेपाल का चितवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है और दूसरी तरफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कई छोटी-बड़ी नदियां इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। वहां प्राकृतिक रूप से दो बड़े-बड़े ताल हैं, जिनमें एक दर्जीनिया ताल है। उसमें मगरमच्छ भारी मात्रा में वास करते हैं। इसके अंदर दो बड़े घास के मैदान भी हैं। इस जंगल में बाघ सहित अनेक प्रकार के मांसाहारी और शाकाहारी जानवर वास करते हैं। जैविक रूप से यह साल, सागौन, साखू, बेंत आदि पेड़-पौधों से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में भगवान

बुद्ध से संबंधित अनेक ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। सरकार ने हाल ही में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया है, जो इस क्षेत्र से 50 किलो मीटर दूर है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ दो टाइगर रिजर्व के माध्यम से पर्यटन का अवसर मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बाघों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त सोहगीबरवा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने की कृपा करें।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Thank you, Sir.

To realize the objective of the 'Make-in-India' programme, the Union Government has formulated the concept of five industrial and economic corridors. The State, under the leadership of hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has been focusing on infrastructure development and creation of dedicated industrial trade corridors inside the State. However, in order to link these internal feeder roads and railway lines to the proposed five industrial corridors, there is a need to extend the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor to Visakhapatnam so that the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor can also be linked with Kolkata, which will facilitate a strategic link between Eastern and the Southern, Western and Northern Industrial Corridors.

Therefore, I, through you, Sir, would request the Government to provide a backward and forward linkage for industrial hinterlands of Dhamra, Paradeep and Gopalpur Ports with Northern and Central hinterlands.

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मेरी बात किसानों से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं अपनी बात मराठी में रखना चाहूंगा।

Hon. Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity to speak in Zero Hour. I would like to speak in Marathi as the issue is related to farmers. Sir, in my constituency Ahmednagar, 32 villages of Nagar and Shreegonda Tehsils are dependent on Sakalai Irrigation scheme under Kukadi Irrigation project. The farmers from this area have been fighting to get the benefits of irrigation for the last 25 years. The then Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadanavis ji had given Rs 1.5 crore for the survey work of this scheme. But, the fate of this scheme is uncertain as the new government has come to power in Maharashtra. Now, they are going to undertake survey for this scheme to ensure availability of water. In my district, late Balasaheb Vikhe Patil had constructed Vambhuri Chawl under NABARD Finance Scheme. Hence, through you, I would like to request the Central Government to grant Rs 500 crore for this Sakalai Irrigation Scheme through NABARD. Thank You.

** English translation of this part of the speech Originally delivered in Marathi.

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, आज आपने मुझे शून्य काल के माध्यम से मेरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या को उठाने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार माननीय प्रधान मंत्री जी ने वृद्ध व्यक्ति को पेंशन देने की सरकार की एक योजना शुरू की है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारी गौ माता है, जो गायें दूध नहीं देती हैं, ऐसी गायों को लोग छोड़ देते हैं। मेरे क्षेत्र सीतामढ़ी में सीतामढ़ी-जनकपुर रोड पुपरी में दो गौशालाएं हैं। दोनों गौशालाओं को 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। वे इस प्रकार रोड पर छोड़ी हुई गायों का संरक्षण करती हैं। अगर इन्हें कोई सहायता नहीं दी जाएगी, तो पूरे हिन्दुस्तान की ऐसी गौशालाएं जो दूध न देने वाली गायों का संरक्षण करती हैं, उनको वे संरक्षित नहीं कर पाएंगी। वे उनको बचाकर अपनी गौशालाओं में नहीं रख सकेंगी। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में बहुत-सी नील गायें हैं। हमारे बिहार में लोग नील गाय को घोड़परास भी कहते हैं। मेरे जिले में उनका आतंक है। गाय होने के नाते उनको कोई पकड़ नहीं पाता है और न ही हम उनको काट सकते हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ में फैली हुई खड़ी फसलें लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि मेरे जिले में नील गाय (घोड़परास) के आतंक से मुक्ति के उपाय के बारे में सोचा जाए।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

मान्यवर, मैं भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार ऑल वेदर रोड आई है और उसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई है। इसमें चार धाम जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो वाया हरिद्वार है और दूसरा मार्ग वाया हल्द्वानी है। ऋषिकेश-

हरिद्वार से तो सड़क बहुत तेजी से बन रही है, परंतु अभी तक हल्द्वानी से सड़क नहीं बन पाई है। चाहे उसको गलती कहिए या कोई और कारण हो, वह रोड बनने से छूट गई है।

नेपाल, पूरे कुमाऊं रीजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भू-भाग के लोग यहां से चार धाम की यात्रा पर जाते हैं। अगर यह सड़क बन गई, तो कर्णप्रयाग के लिए ऋषिकेश से जो सड़क आ रही है, इन दोनों का मिलन हो जाएगा। इनका मिलन होने के बाद इस बहुत बड़े भू-भाग से जाने वाले लोग जो कि कभी पैदल जाते थे और वे चार धाम की यात्रा चार से छः महीनों में पूरी करते थे, तब वे आसानी से जा पाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हल्द्वानी से भवाली, गरमपानी, रानीखेत, अल्मोड़ा, कफाड़ा, द्वारहाट, चौखुटिया के बाद पांडुखोली और हमारी जो नई राजधानी बनने जा रही है, उस राजधानी से होते हुए कर्णप्रयाग से मिलान कर दिया जाए। इससे हमारा बहुत बड़ा भाग आच्छादित होगा। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। वे लोग जो चारधाम जाने से वंचित हैं, उनको इससे एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र में वन पर्यावरण एवं पर्यटन, दोनों मंत्रालयों का ध्यान माननीय नरेन्द्र मोदी जी के वन संरक्षण पर्यावरण एवं पर्यटन के प्रयासों के प्रभाव की ओर दिलाना चाहता हूँ तथा दोनों मंत्रालयों से संरक्षण चाहता हूँ। गांधी सागर अभयारण्य एक नया उभरता हुआ ऐसा नाम है, जो 368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर चंबल नदी का किनारा है और यहां घड़ियाल बड़ी संख्या में विकसित हुए हैं। वन विभाग, वाइल्ड लाइफ नेचर कंजर्वेशन और टाइगर फाउंडेशन के 81 पक्षी विशेषज्ञों ने 200 के लगभग अद्भुत, विलुप्त और विश्व में कहीं नहीं होने वाले पक्षियों को चिह्नित किया है। गिद्ध संरक्षण अभियान के तहत वहां पिछले 6-7 सालों के अंतर्गत सात प्रजातियों के 700 गिद्ध संरक्षित हुए हैं। वर्तमान में अभयारण्य में लगभग 70 तेंदुए मौजूद हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भारत में सन् 1930 के बाद पहली बार अफ्रीकी चीते आने का इंतजार है। हम सभी मेरे संसदीय क्षेत्र गांधी सागर में उनका आने का इंतजार कर रहे हैं।

500 के लगभग चीतल अफ्रीकी भूमा पद्धति से गांधी सागर, मन्दसौर, नीमच में छोड़े गए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में वन विभाग जनता के लिए इस अभ्यारण्य को खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ करे। साथ ही भारत महोत्सव के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र की उमा-महेश की प्रतिमा वाशिंगटन गई थी और वहां एक अद्भुत नंदी भी है। मेरे संसदीय क्षेत्र में दुनिया का दूसरा मूवमेंट रॉक कटिंग भी है। भारत सरकार ने उसे स्वदेश दर्शन और बौद्ध सर्किट से जोड़ा है। मैं चाहूंगा कि पर्यटन विभाग और वन विभाग दोनों मिलकर इसको पर्यटन के उभरते हुए नक्शे में सम्मिलित करे।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, धन्यवाद। देशभर में महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। कल महाराष्ट्र में करीब 25 हजार 800 कोरोना के मरीज मिले थे। महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य मंत्री ने दो दिन पहले केन्द्र सरकार से बात करके ज्यादा वैक्सीन देने की मांग की है। केन्द्र सरकार ने 71 देशों को लगभग 6 हजार करोड़ वैक्सीन दिए हैं, जबकि महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। मैं पुणे जिले से आता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र पिंपरी चिंचवड पुणे और पुणे ग्रामीण में लगभग एक करोड़ की जनसंख्या है। केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि 45 से अधिक की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उन लोगों की पुणे जिले में कुल जनसंख्या करीब 73 लाख है। अगर भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिल जाए तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा। मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाती है तो कोरोना का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। आज महाराष्ट्र राज्य कोरोना से जूझ रहा है, वह भी कम हो जाएगा।

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): सभापति जी, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ।

महोदय, सर्वप्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में और परीक्षा की घड़ी में पूरे विश्व में काम किया है, उनकी सब प्रकार की भूमिका सराहनीय रही है।

आकांक्षी जिलों में जहां लोग वंचित हैं, जहां निजी-सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज नहीं है, ऐसे 75 मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी देना और एम्स की संख्या में वृद्धि करना, वास्तव में इसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राजनंदगांव के अंतर्गत कबीरधाम जिला है, जो आदिवासी बहुल वनांचल है। सामान्य बीमारी की स्थिति में भी मरीजों को राजधानी रायपुर जाना पड़ता है, जिसकी दूरी जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर है। उसी प्रकार से दुर्ग, राजनंदगांव, बिलासपुर, मंडला, चारों तरफ यह दूरी सवा सौ किलोमीटर से ऊपर ही है। स्वयं कवर्धा का एक बॉर्डर पंडरिया का सिंदूरखार एक छोर में है, जहां मध्य प्रदेश लगता है। उसी प्रकार से चाहे मंडला का बॉर्डर हो, मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, सभी बहुत-बहुत दूर हैं। कबीरधाम में क्षेत्रीय जनता की लम्बे समय से मांग रही है और लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी पत्र के माध्यम से और प्रत्यक्ष मेरी चर्चा भी हुई थी कि कवर्धा में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। यह वहां की जनता की मांग रही है। उसी स्थापना से लोगों का राहत मिलेगी, चिकित्सा शिक्षा भी प्राप्त होगी और जन-जन तक चिकित्सा-शिक्षा पहुंचाने का मोदी जी का जो संकल्प है, वह पूर्ण होगा। यह भौगोलिक दृष्टि से कवर्धा में बहुत ही आवश्यक है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, एक अत्यंत गंभीर मामला, जो मिजोरम प्रान्त से जुड़ा हुआ है। मिजोरम ग्रामीण बैंक (एमआरबी) में देश के अन्य भागों जैसे बिहार, राजस्थान, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि राज्यों के जो युवक नौकरी कर रहे हैं, उनको वहां जान-माल का खतरा पैदा हो गया है। भाषा को आधार बनाकर मिजोरम स्टूडेंट्स यूनियन नॉन-मिजोरम वासियों को प्रताड़ित कर रही है, उन लोगों को विभिन्न प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक कि उन्हें मिजोरम ग्रामीण बैंक से नौकरी छोड़ने को कहा जा रहा है। महोदय, अभी पिछले दिनों मुझे मिजोरम ग्रामीण बैंक के लगभग 18 कर्मचारियों, जो खासकर बिहार, राजस्थान, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि

प्रान्तों से हैं और वहां काम कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से और दूरभाष के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। इनमें मेरे संसदीय क्षेत्र के भी कई लोग हैं। उनकी यह स्थिति हो गई है कि वे घर के अंदर बन्द हैं और लोकल पुलिस भी उनको ड्यूटी पर जाने से रोकती है, कहती है कि आप ड्यूटी मत करो। जो मिजोरम ग्रामीण बैंक के बड़े अधिकारी हैं, वे भी उनको रोकते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको संज्ञान में लें और इसका हल निकालें। वहां पर जो बेरोजगार युवक बैंकों या अन्य संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं, उनको सुरक्षा देने का काम करें, उनको संरक्षण देने का काम करें, क्योंकि उनके घर-परिवार वाले उनकी चिन्ता कर रहे हैं। उन लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए उनको वहां सुरक्षा दी जाए। यह मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मांग करता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. मनोज राजोरिया ।

श्री संतोष कुमार : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं यह विषय उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. मनोज राजोरिया ।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान के करौली-धौलपुर और उसके नजदीक सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर-कैला देवी अभ्यारण्य की ओर दिलाना चाहता हूं। रणथम्भौर-कैला देवी अभ्यारण्य का ईको-सेंसिटिव जोन का निर्धारण नहीं होने के कारण उसके दस किलोमीटर तक के क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य और खनन कार्य पर रोक लगी हुई है, जिसके कारण वहां के आम नागरिकों को रोजगार में और वहां के विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यह मेरे संसदीय क्षेत्र का बहुत ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि खनन ही मेरे संसदीय क्षेत्र का एकमात्र रोजगार का विषय है। मेरा जिला एक आकांक्षी जिला भी है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि राज्य सरकार से तुरंत इस विषय की रिपोर्ट मंगवाकर रणथम्भौर-कैला

देवी अभ्यारण्य क्षेत्र के ईको-सेंसिटिव जोन का निर्धारण करना जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, 150 kilometres of NH-16, the Chennai-Kolkata highway, passes through my Constituency Srikakulam. I would like to, with lot of respect, pay tributes to former Prime Minister, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji who envisioned the Golden Quadrilateral project. At that point of time, this two-lane highway was expanded into a four-lane highway and it has given a huge boost to the Indian economy, trade, and travel of general public.

Sir, the four-lane project had already happened at that point of time. Now, the six-laning project of that highway is happening but it is happening in bits and pieces. In my Constituency, out of 150 kilometres, only 30 kilometres stretch has been commissioned and that is coming to an end. My request to hon. Minister of Road Transport and Highways is that the remaining 120 kilometres of the highway, which is from Narasannapeta to Ichhhapuram, also be taken up as a priority project and its six-laning be finished.

In addition to this, there are certain points on this highway at which certain villages are dissected. As a result of this, there is a lot of movement of public, especially school children, from one side to the other. Those dissecting points have become accident-prone. At these points, there is a requirement for underpasses and bridges according to the technical requirements of the highways.

Some of the important points where accidents keep taking place day in and day out are: Munasabpeta; Kondammatalli Temple Road at Singupuram, Gunduvillipeta, Tamarapalli, Jaduru, Gatlapadu, Pakivalasa, Adi-Andhra

Veedhi at Tekkali, Subhadhrapuram, Lattigam, Kothagraharam, Ramakrishna Puram Junction, Mamidipalli, Sunnadevi, Kabbaruru, Neelavathi, Makannapalli, Buragam, Baliyaputtuga-Patrapada Junction, Padmatula, Makharampuram, and Eedupuram-Bellupada Connecting Road.

Sir, I would request the hon. Minister to look into these places and commission the underpasses that are required at those places. I would also request the hon. Minister to see that the 120 kilometres stretch is made into a six-lane road. Thank you, Sir.

श्री संजय सेठ (राँची) : सभापति महोदय, धन्यवाद। देश में बढ़ती जनसंख्या और सीमित होते प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। चाहे पानी की बात हो, पर्यावरण की बात हो, चाहे अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बात हो, निश्चित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या खड़ी कर रही है। आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक हो चुकी है। सरकारों ने जागरूकता अभियान चलाया, जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझाया, जनसंख्या नियंत्रण की मुहिम से जोड़ने की कोशिश की, किंतु इसका देश में कोई सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिलता है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब हम हर क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, उसमें शिक्षा हो, रोजगार हो, व्यवसाय हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हों, सबके रहने के लिए आवास हों, इन सबकी चिंता करते हुए, हमको कहीं न कहीं यह दिखता है कि आज से दो-तीन दशक के बाद हमारे सामने एक बहुत विकराल समस्या आ जाएगी।

महोदय, जरूरत इस बात की है कि सरकार इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और सख्ती से लागू करे। उन्हें तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, चुनाव लड़ने से रोका जाए, वोट देने का अधिकार ले लिया जाए। अब 'हम दो, हमारे दो' का स्लोगन रखने का समय नहीं है, बल्कि इसे सख्ती से लागू करने का समय है। देश बोल रहा है – 'मोदी है, तो मुमकिन है।'

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, the recent shortlisting of venues for the IPL has come as a huge shock to Hyderabad because the IPL authorities have dropped Hyderabad as a venue. We really do not have any objection when other venues are selected. If you look at the cities selected, elections are due to take place in Kolkata and Chennai, and the number of COVID-19 cases is rising in Delhi and Mumbai which is alarming. The reason IPL authorities gave for not selecting Hyderabad was the cases of COVID-19 pandemic. It is really pathetic, Sir.

Secondly, Hyderabad has been selected as the best playing ground continuously for the fourth time. Thirdly, it is the IPL which conducts the cricket matches and not the global cricket authorities. It is a huge revenue loss, Sir. On behalf of Government of India, we assure full cooperation and support to BCCI and IPL authorities in conducting the matches there. We request the IPL authorities to reconsider their decision and we assure that Hyderabad will definitely become the safest venue. Thank you, Sir.

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके जरिए सिविल मिनिस्ट्री से यह दरखास्त करता हूं कि औरंगाबाद, जो मराठवाड़ा की राजधानी है, वहां हवाई अड्डा है। हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि वहां पर एक एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी और एक फ्लाईंग स्कूल खोला जाए। यह सभी लोग जानते हैं कि आने वाले वक्त में सिविल एविएशन में बहुत बड़ी बूम आने वाली है, एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है।

मैं औरंगाबाद के लिए यह इसलिए मांग कर रहा हूं कि औरंगाबाद और मराठवाड़ा का जो रीजन है, यह बैकवर्ड है। अगर ऐसे बैकवर्ड इलाकों में एकेडमी आती है, तो वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार एक तरफ यह दावा कर रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट को बहुत बढ़ावा दे रहे

हैं, अगर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ही एक एकेडमी स्टार्ट की जाती है, जहां पर पूरी तरह से टेक्निकल रेक्वायरमेंट, जो सिविल एविएशन के लिए रहेंगी और वह वहां पर प्रोवाइड की जाती है, तो यकीनन वहां के नौजवानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा।

श्री चन्द्र सेन जादौन (फिरोजाबाद): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के युवाओं को सेवा में जाने का अति रुझान है, परन्तु उच्च शिक्षा ग्रहण न कर पाने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। हर मां-बाप चाहता है कि उनका बच्चा सर्वोच्चतापूर्ण शिक्षा ग्रहण करके राष्ट्र जीवन में अपना योगदान दे। मैं माननीय गृह मंत्री व रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। उस घोषणा से मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के बच्चों और युवाओं में आशा का संचार हुआ है और उन्होंने अपेक्षा की है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में ही एक सैनिक स्कूल खोला जाए, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और देश की सेवा करने में अपना योगदान दे सकें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से पूर्ण आशा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सभापति महोदय, बदकिस्मती से मुझे अब तक पिता बनने का अवसर नहीं मिला है, पर मैं आज जिस गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं वह हमारे देश के बच्चों के बारे में है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि मुझे बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त दें। यह बहुत गहरा और गंभीर विषय है, जिसे हम पैरेंटल एलीयनेशन कहते हैं।

सर, देश में डिवोर्स के केसेज जितनी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही तादाद में चाइल्ड कस्टडी की केसेज भी बढ़ते जा रही हैं। हमारे देश में 408 से ज्यादा कोर्ट्स हैं, जिनमें ये केसेज लगातार चल रही हैं और आज तक हम किसी भी सही नतीजा पर नहीं पहुंच पाए हैं। पिछले साल माननीय हाई कोर्ट, कर्नाटक ने एक अच्छी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि shared parenting is good for children's future. पर अभी तक देश की किसी भी कोर्ट ने इस पर

अमल नहीं किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर दो-दो जजमेंट्स दिए हैं। एक डिवीजन बेंच ने और एक श्री बेंच ने जजमेंट दिया है, जिसमें जस्टिस डी.वाई चन्द्रचूड़ जी थे। जब 22 मई, 2015 में लॉ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा जी थे, तब लॉ कमीशंस रिपोर्ट, 257 एक रिपोर्ट दी थी, for reforms in guardianship and custody of child. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब डिवोर्स की बात आती है, जब आपस में पति-पत्नी लड़ने लगते हैं, उस वक्त जब बच्चे की कस्टडी की बात आती है, तब कई तरह के फेक एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है और उनमें से एक एलिगेशन ऐसा होता है, जिसे हम सेक्सुअल एब्यूज कहते हैं। सेक्सुअल एब्यूज एक ऐसा एलिगेशन है, जो फेक हो और उस पर जब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाता है। That order in itself is a shame. लोगों को बहुत सामाजिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे-पिता या बच्चे-मां, इन लोगों के बीच में बहुत गैप क्रिएट हो जाता है, जिंदगी भर के लिए एक स्टिग्मा रहता है, साइकोलॉजिकल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, इमोशनल स्टिग्मा।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: What is your demand?

श्री अनुभव मोहंती: Sir, Counselling is mostly done by marriage counsellors who are not psychological experts. हमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स चाहिए और ऐसा भी होता है कि जब एलिगेशंस फेक प्रूव होते हैं, उसके बाद भी बच्चा उसी की कस्टडी में रहती हैं, जो फेक एलिगेशंस में खुद इनडलज होते हैं। Can the custody be continued with such an abusive parent who has caused psychological harm to the child? Is it not a violation of UNCRC, National Charter for Children 2003, and Section 75 of Juvenile Justice Act? As per conservative estimates, various alienation strategies are used in 50 to 70 per cent of all child custody disputes which means that between 82,000 and 1,32,000 children are alienated from their non-custodial parent every year in India alone.

Parental alienation is rapidly becoming an epidemic in India. मैंने कुछ दिन पहले भी यह कहा था कि आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन यह संसद यहीं होगी। देश के भविष्य बच्चे, जब वे इसी संसद में बैठे हों, तब ऐसा न हो कि वे हमारे ऊपर उंगली उठाएं और अपने सवाल खड़े करें कि हम लोगों ने उनके लिए ऐसा क्यों नहीं सोचा और हम लोग क्यों चुप बैठे थे? मैं आपके माध्यम से मौजूदा सरकार से यह गुजारिश करता हूं कि एक ऐसा मंडेटरी लॉ आना चाहिए कि there should be shared parenting. बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए बच्चों पर माता और पिता दोनों का अधिकार होता है। मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है और मैं चाहता हूं कि मौजूदा सरकार इस पर गौर फरमाए और जल्दी करे। Thank you so much. Jai Hind. Vande Mataram.

HON. CHAIRPERSON : It has been a very fruitful week. आज भी बहुत अच्छी तरह से संसद चली है। It has been a long day. यह पूरा हफ्ता ही प्रोडक्टिव रहा है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि शुक्रवार भी प्रोडक्टिव हो सकता है, यह आज सिद्ध हुआ है। लास्ट जीरो आवर का सबमिशन बहुत ही महत्वपूर्ण सबमिशन था। हम संबंधित मंत्रालय के ध्यान में भी लाएंगे, क्योंकि कल इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, उसके लिए भी आपका जीरो आवर महत्वपूर्ण था।

**LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE
ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shrimati Jaskaur Meena	Dr. Manoj Rajoria Shri Devaji Patel Shri Nihal Chand Chouhan Shri Rahul Kaswan Shri Malook Nagar Shri Sudheer Gupta
Shri Hanuman Beniwal	Shri Shrirang Appa Barne Shri Malook Nagar
Shri Girish Chandra	Shri Malook Nagar
Shri Pradeep Kumar Choudhary	Shri Malook Nagar
Shri Ritesh Pandey	Shri Malook Nagar
Dr. Bharati Pravin Pawar	Shri Malook Nagar Dr. Sujay Vikhe Patil
Shri Jagdambika Pal	Shri Sudheer Gupta
Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane	Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Dr. Sujay Vikhe Patil

Shri Rahul Ramesh Shewale	Shri Shrirang Appa Barne Dr. Sujay Vikhe Patil
Dr. Satya Pal Singh	Shri Sudheer Gupta
Shri Sunil Kumar Soni	Shri Sudheer Gupta
Dr. Sujay Vikhe Patil	Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale
Shri Shrirang Appa Barne	Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Rahul Ramesh Shewale
Shri Sanjay Seth	Shri Sudheer Gupta

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet on Monday, the 22nd March, 2021 at 11 a.m.

19.32 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 22, 2021/Chaitra 1, 1943 (Saka)
